खण्ड-449, अंक-8
सोमवार, 11 श्रावण, शक संवत् 1926
(2 अगस्त, 2004 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
प्रश्नोत्तर	1-59
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	59-60
जनपद सोनभद्र के पन्नूगंज थानान्तर्गत दरमा गांव के आदिवासियों का उत्पीड़न किये जाने तथा दोषीजनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	60
बस्ती जनपद में वर्षों से बन्द पड़ी शुगर मिल मुण्डेरवा को फिर से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61
इलाहाबाद नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	61
जनपद सोनभद्र के चोपन क्षेत्रान्तर्गत कनहर नदी पर हरदी कोटा एवं सोन नदी पर मीतापुर-करगरा में पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	61-62
रायबरेली डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा, मजरे माधव में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
दि को-आपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड सहकारी नगर, बुलन्दशहर जो बन्द पड़ी है, को चालू कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62-63
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	63
पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत इलाहाबाद मण्डल के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न .... (जारी) ...	63
नियम-301 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार करने का अनुरोध	64
पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत इलाहाबाद मण्डल के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	64
जनपद बहराइच कैसरगंज में गायों की सुरक्षा विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को उठाने का प्रयास	64-65
लोकनायक जय प्रकाश नारायण की शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनपद बलिया के लिये घोषित विशेष पैकेज का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	65-66
वाराणसी में नलकूप को चालू करने में शासन स्तर पर उत्पन्न बाधा को दूर करने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	66-68

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कुमार पालीवाल तथा श्री सत्यपाल सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार	68
विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	69-71
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	71-88
उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 (पारित)	88-89
प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र आरम्भ हो जाने के बावजूद बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने एवं पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशकों द्वारा रद्दी किस्म के कागज पर मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण राय द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा ...	89-94
प्रदेश के पूर्वांचल में व्याप्त बीमारियों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी रोकथाम एवं रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम्स द्वारा मनमाने ढंग से जनता से धन लेकर उपचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घंटे की चर्चा	95-108
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	108-109
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अर्धनिर्मित पानी की टंकी को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य ...	109
इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	110-111
जनपद-बलिया स्थित इसारी सलेमपुर ग्राम में 33/11 के0 वी0 के विद्युत उप केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	111-112
जनपद शाहजहांपुर के किसानों का गेहूं जेवां किसान सहकारी समिति द्वारा खरीदे जाने तथा उसमें घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य	112-113
प्रदेश में जीवन रक्षक दवा "इन्सुलिन" को हर प्रकार से कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य...	113-114

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बस्ती, संत कबीरनगर एवं सिद्धार्थनगर में चमर-मंगता जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 कै अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	114-116
जनपद बलिया के श्री ओ0 पी0 सिंह, मैनेजर, सहारा इण्डिया की हत्या की जांच सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	116-117
जनपद आजमगढ़ के ग्राम मानिकपुर निवासी स्वर्गीय मनोज चौहान के हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	117-118
जनपद अम्बेडकर नगर के लिये आवंटित विधायक निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि के धन को अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मराज निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का केवल वक्तव्य	118-119
जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार में स्वीकृत 33 के0 वी0 ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	119
जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील टाण्डा में घाघरा नदी के कटान से हो रही क्षति को रोकने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	120
जनपद कौशाम्बी के मूरतगंज राजापुर राजमार्ग-95 की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	120-121
जनपद जालौन में निजी नलकूप की बोरिंग कराने वाले किसानों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	121

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 अगस्त, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-340

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजय राय, श्री	वाराणसी
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीरनगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमर मणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इलम सिंह, श्री	सहारनपुर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिलदेव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र, बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीरनगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम, एम0 काम0, श्री	जालौन
बाबूलाल, श्री	गोण्डा
बाबूलाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनबाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर,	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ	
मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ	
योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ	
राजा भैया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर	कुशीनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राम अचल राजभर, श्री	अम्बेडकर नगर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम लाला अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा

रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला, "भगत राजा"	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शंखलाल मांझी, श्री	सन्त कबीरनगर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर, भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं0	मुरादाबाद
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा

सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, डा0	बांदा
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :-(1)श्री राम प्यारे सिंह पर्यावरण मंत्री एवं
(2) श्री अजीत कुमार राजू बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

वाराणसी में ध्वस्त एवं पुरानी सीवर/पाइप लाइनों के कारण दूषित जलापूर्ति एवं रोकथाम हेतु उपाय

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी शहर में सीवर लाइनें ध्वस्त तथा अत्यन्त पुरानी जर्जर हो चुकी पाइप लाइनों के कारण जलापूर्ति दूषित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम हेतु कोई कार्य योजना बनाकर शुद्ध पेय जलापूर्ति करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी नहीं।

परन्तु कुछ क्षेत्रों की सीवर/पाइप लाइनें अधिक पुरानी हो गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

परन्तु अधिक पुरानी पाइप लाइनों को बदलने हेतु शासन द्वारा नगर निगम, वाराणसी को रिवाल्विंग फण्ड से रु0 25.00 लाख की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा चुकी है।

निश्चित समयावधि का निर्धारण सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस काम की जो गम्भीरता है और उसको देखते हुए यह 25 लाख रुपये की धनराशि कुछ भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जल संस्थान की स्थापना आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व हुई थी और उस समय जो पाइप लाइनें डाली गई थीं, उनकी स्थिति आज यह है कि वह बहुत ही जर्जर हो चुकी हैं, इन पाइप के अन्दर सिल्ट भी जमा हो गयी है। वह पाइप लाइनें बिल्कुल खराब हो चुकी हैं और जो उसकी साइड से सीवर लाइन गई है, वह भी ध्वस्त हो चुकी है और दोनों का संयोजन हो जाने से जब जलापूर्ति चालू होती है तो आधे घण्टे, पौन घण्टे तक प्रदूषित जल प्राप्त होता है इस कारण मैंने यह अत्यन्त लोक महत्व का गम्भीर प्रश्न उठाया था और यह मांग की थी कि इसका एक सर्वे शासन स्तर से करा लिया जाए और जिन क्षेत्रों में बहुत गम्भीर स्थिति है, वहां की पाइप लाइनें बदल दी जायें लेकिन शासन से 25 लाख रुपये दिए गये हैं और यह नगर निगम को दिए गये हैं और उसके द्वारा आज तक मेरे संज्ञान में कभी भी पेयजल की जो पाइप है, उसे बदला नहीं जाता है। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि पाइप लाइनों को बदलने हेतु नगर निगम को 25 लाख रुपये दिया है। आप सुनिश्चित कर लें कि यह 25 लाख रुपया जल संस्थान को स्थानान्तरित हो जाए क्योंकि यह काम जल संस्थान करता है। मेरा अनुरोध है कि एक सर्वे कराने की सरकार कृपा करे और

तदनुसार जो आवश्यक धनराशि है, उसे अवमुक्त करने की कृपा करे ताकि लोगों को शुद्ध जलापूर्ति हो सके।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बिलकुल वाजिब समस्या है। मैं इस सम्बन्ध में खुद ही लिखकर आदेश दे दूंगा कि वह पैसा जल संस्थान को दे दिया जाये। मैं पिछले दिनों बनारस गया था, वहां होकर आया था उसके नतीजे में सर्वे हुआ था। सर्वे की रिपोर्ट मेरे पास है, अब इसमें नये सर्वे की आवश्यकता नहीं है। वहां पर अमिया मण्डी में 300 मीटर, घुघरानी गली मे 100 मीटर, भिखारीदास लेन, कदुआपुर आदि में पुरानी पाइप लाइन है। 1892 में यह पाइप लाइन डाली गयी है और यह 100 सालों बाद 1992 में ध्वस्त हो रही है। जहां से वह फटती है, उसमें प्रेशर कम होता है तो उसमें नाली का पानी रिस जाता है और जब उसमें पानी जारी होता है तो आधे घण्टे तक यह गंदा पानी आता है फिर साफ पानी आता है। लेकिन जो नई पाइप लाइन बिछायी गयी है उसमें भी जैसे ही पानी खोला जाता है वह फट जाती है। बिगाड़ तो यहां तक पहुंच गयी है कि जैसे ही पाइप में पानी चालू हो रहा है और वह पाइप फट रहे हैं। मैंने चौधरी साहब से कहा था कि जैसे ही यह सदन उठेगा तो मैं बनारस और मथुरा जाकर खुद घोषणा करूंगा। यह 25 लाख बहुत कम है। मैं इससे अधिक पैसा, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं वह मैं इसके लिए दूंगा। मेरा मन है कि ऐसे धार्मिक स्थलों का खास ख्याल रखा जाये। मैंने नगर आयुक्त को कहा था कि जो स्टीमेट का एक प्रतिशत पैसा मिलता है वह कई वर्षों से नहीं मिला था। संसाधन समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने यहां तक कहा कि अगर यह पैसा नहीं मिला तो मैं नहीं आउंगा। वह पैसा मिलना शुरू हो गया है और बनारस की भी बहुत बड़ी रकम उसमें है। वह हमने घाटों के सुन्दरीकरण के लिए रखा है उसके अलावा नहीं खर्च करेंगे। मैं खुद ही बनारस आकर वहां की पाइप लाइनों के लिए पैसे की घोषणा करूंगा। केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि वहां पर आप सबसे राय मशविरे से करूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी द्वारा जो भावनाएं प्रकट की गयी हैं वह अच्छी सदिच्छा की प्रकटीकरण है। मैं इसके लिए आभारी हूं। आपने जो एक बात कही है कि जो पाइप 100 वर्ष पुराने थे वह नहीं फटे, वह इसलिए नहीं फटे क्योंकि उस समय की पाइप लाइन सी0टी0 पाइप कास्ट आयात की थी। लेकिन जो नये पाइप लाइन हैं वह पी0 वी0 सी0 कर पाइप डाली जा रही है। जो जल का प्रेशर है वह ले ही नहीं पा रही है। आप इस पर विचार कर लें कि एक तरफ जनता का पैसा खर्च हो रहा है। इसका मूल उद्देश्य यह था कि उन्हें सुविधा मिले हम भी सन् 89 से लेकर अब तक आ रहे है, जनता की कृपा है और इस दिशा में हमने कम से कम दर्जनों नलकूप लगवाये हैं लेकिन उसका असली लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पी0 वी0 सी0 की लाइनें पड़ी हैं तो जब पानी फोर्स से निकलता है, वह फट जा रही हैं। आप इस पर विचार कर लें जिससे जनता की जो गाढ़ी कमाई का पैसा है उसका लाभ उन तक पहुंचे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैंने इस हद तक नोटिस दिये हैं कि जहां पर बदलना है तो उनका बदलना रोक दिया है। इससे आवाम को दस दिन, पन्द्रह दिन या एक महीने की परेशानी होगी। हमने जांच बैठा

दी है और इसका कोई नतीजा निकलेगा। यह पी0 वी0 सी0 के पाइप लाइन डालने का निर्णय इस सरकार का निर्णय नहीं है। मैं इसमें किसी सरकार को कोई दोष नहीं देता हूं। जब जमाना बदलता है तो जमाने के साथ चीजें भी बदलती हैं। एक जमाना था कास्ट आयरन का फिर आयरन का आया, फिर स्टीनलेस स्टील का आया और अब पी0 वी0 सी0 का है। पहले कागज के लिफाफे चला करते थे, अब प्लास्टिक के थैले चलने लगे हैं। पहले हम कुल्हड़ में चाय पीया करते थे अब प्लास्टिक के गिलास चला करते हैं। जिस कम्पनी ने हमें पी0वी0सी0 के पाइप सप्लाई किये थे, उसने हमें यह एश्योर किया था कि इतना पानी का फोर्स देंगे तो यह पाइप नहीं फटेगा लेकिन हुआ क्या वह फट गये। उन्होंने इसकी गुणवत्ता उससे अच्छी साबित की। कास्ट आयरन में बहुत सी अच्छाइयां हैं तो बहुत सी बुराइयां भी हैं। जब उसकी परतें निकलती हैं तो शरीर में कहां पर धस जायें यह पता नहीं। तो इससे भी कई नुकसान हैं। इस वजह से नयी चीजें इजात हुई। आपको हैरानी होगी, धोखा देने का आलम यह है कि पांच मीटर लम्बी पी0 वी0 सी0 की पाइप लाइन है। एक-एक इंच इनकी मोटाई है जिस मोटाई पर कम्पनी सप्लाई करती है लेकिन अन्दर की क्वालिटी खराब है। कोई भी पाइप किनारे से नहीं टूटा है। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर लिखकर दे रहे हैं कि इतनी लाइन फट गयी इसलिए इन कामों को रोका है और हम इसको दिखवा रहे हैं। मैंने इस बात पर भी निलम्बित किया है कि मैं एक सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि सड़क धंसी हुई है। सड़क को बीच में से काटकर वहां पर पाइप लाइन डाली गयी थी जबकि उसके दोनों ओर जो मिट्टी पड़ी होती है वहां पर डालते। इस बीच वहां से कोई हैवी लोडेड ट्रक गुजरा होगा और वह मिट्टी धंस गयी जिससे नीचे जो पाइप लाइन डाली थी वह फट गयी तो बहुत सी कमियां हैं। हम देख रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी को सुना वाराणसी की यह स्थिति है कि लोग सड़कों पर धरना, प्रदर्शन और जाम लगाये बैठे हैं। लोग आन्दोलन कर रहे हैं वहां जांच समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। यह मेरी जानकारी है। पांच छः विभागीय अधिकारी द्वारा जांच हो चुकी है। उनको पता है कि कहां पर पाइप लाइन टूटी है, कहां पर खराब है इसमें पुनः जांच की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें एक समयबद्ध कार्यक्रम की घोषणा करें जिससे अगली बरसात के पहले बनारस की जो पेयजल की जटिल समस्या है, जो दूषित पानी सप्लाई हो रहा है वह दूर हो सके। क्या इस प्रकार का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की सरकार घोषणा करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य है और मंत्री भी रहे हैं, मान्यवर, गुणवत्ता पर ज्यादा जोर देना चाहिए और मैं समझता हूं कि विपक्ष को भी इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जो भी पैसा लगे, वह पैसा आपका ही है, जनता का है, उस पैसे से जो भी पाइप लाइन डाली जाए उसकी क्वालिटी अच्छी हो ऐसा न हो कि डालते ही फूटनी शुरू हो जाए, अच्छी पाइप जल्द से जल्द पड़े और जल्द से जल्द इस समस्या का निदान हो और अगली बरसात तक यह काम पूरा हो जाए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं।

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, इस तरह की समस्या प्रदेश के अनेकों महानगरों में है, पर्यावरण हमारा ज्वलन्त मुद्दा है, आज पीपुल्स की डेन्सिटी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री

जी से जानना चाहता हूं कि क्या कोई एक योजना या एक नीति बना करके प्रदेश के जितने भी महानगर हैं उसमें जहां भी इस तरह की समस्या है उनमें रिवाल्विंग फण्ड से या सूडा से नई सीवर लाइन डालने या पुरानी सीवर लाइन को ठीक कराने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सरकार अभी तो इतनी बड़ी योजना को बनाने पर विचार करने की स्थिति में नहीं है।

सचिवालय में प्रमुख सचिव तथा सचिवों के कार्यालय एवं आवासों पर लगे सरकारी टेलीफोन की काल सीमा का निर्धारण

*2-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के कार्यालय एवं आवासों पर लगे सरकारी टेलीफोन से किये जाने वाले काल्स की कोई सीमा निर्धारित है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2003 तक उक्त मद में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या यह सही है कि निःशुल्क सुविधा होने के कारण टेलीफोन का दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों तथा सचिवों के कार्यालय में लगे टेलीफोन काल्स की सीमा निर्धारित नहीं है, परन्तु उनके आवासीय टेलीफोन पर 700 निःशुल्क द्विमासिक काल्स की सीमा के साथ-साथ यह सुविधा अनुमन्य है कि यदि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि निर्धारित सीमा से अधिक की गयी काल्स शासकीय हित में की गयी हैं, तो अतिरिक्त काल्स का भुगतान शासन द्वारा देय होगा।

उपलब्ध सूचनानुसार उक्त मद में टेलीफोन बिल जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2003 के सापेक्ष लगभग रु0 1.77 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया है।

प्रमुख सचिवों एवं सचिवों के कार्यालयों एवं आवासों हेतु निर्धारित उक्त वर्तमान नीति के अन्तर्गत यद्यपि टेलीफोनों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, फिर भी आवासीय दूरभाषों के सम्बन्ध में एक व्यवहारिक एवं युक्तिसंगत नीति बनायी जा रही है।

प्रदेश के सार्वजनिक स्थलों एवं वैवाहिक समारोहों में लाइसेंसी असलहों द्वारा फायरिंग पर प्रतिबन्ध

*3-श्री जगदीश नारायण राय तथा श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों एवं वैवाहिक समारोहों में लाइसेंसी असलहों द्वारा फायरिंग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? क्या यह सही है कि शासन के आदेशों का परिपालन नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका कड़ाई से पालन किये जाने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। इस बारे में आवश्यक प्राविधान शस्त्र लाइसेंस (प्रपत्र-111) की शर्त संख्या-5 में विद्यमान है जिसके उल्लंघन पर आयुध अधिनियम की धारा-17(3)(डी) के अन्तर्गत लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्यवाही की व्यवस्था है जिसके अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

उक्त प्राविधान का अनुपालन न होने के कारण समय-समय पर दुर्घटनायें प्रकाश में आती रहती हैं।

इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को दिनांक 15 मई, 1999, 19 मई, 2001 एवं दिनांक 19 सितम्बर, 2001 को लाइसेन्सी शस्त्रों का तद्नुसार दुरुपयोग रोकने एवं वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सब प्रावधान तो 17(3) में भी है और समय-समय पर आपने आदेश भी जारी किए हैं, 2001 में भी कई आदेश जारी किए हैं, इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं हुई हैं, यह उत्तर में आया है। मैं जानना चाहूंगा कि इसके दुरुपयोग का कोई मुकदमा 2001 से 2004 के बीच में प्रदेश में पंजीकृत हुआ है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस तरह का कोई मुकदमा तो पंजीकृत नहीं हुआ है, लेकिन मेरी जानकारी में एक बड़ा हादसा गाजियाबाद में हुआ था, मैं उसमें गया था, मेरी जानकारी में है, लेकिन मैं उस वाकया की तरफ इंगित नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और ऐसे आदेश जारी किए गए हैं कि अब कोई भी ऐसा वाकया हो छोटा हो या बड़ा, उसे पंजीकृत किया जाए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो नियम बनाये गये हैं जिससे आदेशित किया गया है, इसमें क्या एस0एस0पी0, एस0पी0, सी0ओ0 या थानाध्यक्ष को भी जिम्मेदार बनाया गया है क्योंकि जो कानून बनाया है इसके बावजूद भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो क्या कोई नीति बनाई है ? आपको जानकारी है दुर्घटनाएं हुई हैं, 2001 से आज 2004 है तो इस अवधि में कितनी फायरिंग हुई है और उसमें लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है और इसमें एस0एस0पी0, एस0पी0, सी0ओ0 या थानाध्यक्ष को भी जिम्मेदार बनाया गया या नहीं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, असल में यह दुर्घटनाएं खुशी के मौके पर होती हैं, शादी ब्याह के मौके पर होती हैं और ऐसे मौके पर कोई वारदात हो जाती है तो उसमें उसे आपस में ही निपटा लेते हैं कोई वारदात लिखाई नहीं जाती है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि कोई केस पंजीकृत नहीं हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितने भी लाइसेन्स दिये जाते हैं हथियारों के ये सारे के सारे आत्मरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, माल की सुरक्षा के लिए होते हैं यही उनका प्राविधान होता है और जो आपने बताया कि खुशी के मौके पर दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या यह सीधा-सीधा नियम का उल्लंघन नहीं है ? शादी के मौके पर इलेक्शन के मौके पर नेताओं के स्वागत के मौके पर फायरिंग यह नियमों का उल्लंघन है, आपने यह कह दिया कि केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि दर्जनों केस पंजीकृत भी हुए हैं।

(टोका-टाकी से व्यवधान)

अब राणा साहब के यहां नहीं हुआ होगा। किसी की हिम्मत नहीं है, रामपुर में होना नहीं है क्योंकि वहां चाकू छूरे का काम है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह सबकी जानकारी में है। इस तरह की दुर्घटनाएं न हों क्या इसके बारे में कानून में संशोधन की आवश्यकता है ? इस पर माननीय मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कानून तो पहले से ही है बहुत अच्छा बढ़िया कानून है। यह सही है कि लाइसेंसी हथियार अपनी सुरक्षा के लिए दिये जाते हैं लेकिन हुकुम सिंह जी हथियारों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं क्योंकि हर किस्म के हथियार उनके पास हैं और हुकुम सिंह जी खुद सदन में बतौर हथियार इस्तेमाल होते हैं। मेरा मानना यह है कि अगर किसी बदमाश को आप लाइसेंसी बन्दूक दे देते हैं तो वह हमेशा उसकी सफाई करता रहेगा, शादी ब्याह में तो लाइसेंसी का इस्तेमाल होगा लेकिन जितने भी क्राइम होते हैं वह लाइसेन्सी हथियार से नहीं गैर लाइसेंसी हथियार से होते हैं तो आश्वस्त रहें श्री हुकुम सिंह जी आपके लाइसेंसी हथियार के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आपने इसमें नहीं बताया कि क्या इस बारे में कोई संशोधन की आवश्यकता है और संशोधन करने पर विचार करेंगे उसका न "हां" में जवाब आया और न "नहीं" में जवाब आया इसमें क्या करेंगे यह बतायेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

जो लाइसेंस आप स्वीकृत करते हैं, वह स्वयं की सुरक्षा के लिए करते हैं, तो क्या आप ऐसे हथियारों को ऐसे मौकों पर ले जाने के लिए पाबन्दी कर दी जाय, इस पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर स्वेच्छा से न ले जाना चाहें तो कोई रोक नहीं है, अच्छी बात है।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सम्पूर्ण सदन इससे एकमत है कि इन असलहों का प्रयोग केवल शादी-ब्याह में ही नहीं होता, बल्कि विजय जुलूसों में और कई ऐसे अवसरों पर होता है, जहां बहुत सी दुर्घटनायें होती हैं। कहीं मंत्री जी स्वागत करा रहे हैं, उसमें भी होता है, क्या आप इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि ऐसे लोग जो सार्वजनिक स्थलों पर इन शर्तों को न मानें, जिसके लिए उन्हें लाइसेंस मिला है, तो क्या उनके लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश जारी करेंगे ? दूसरी बात मान्यवर, जानना चाहता हूं कि अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि माननीय हुकुम सिंह जी खुद असलहा हैं, पूरा सदन यह जानना चाहता है कि यह एक नली बन्दूक हैं, देशी कट्टा हैं, या दो नली बन्दूक हैं, यह बताने की कृपा करें, पूरे सदन की रुचि है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय तिवारी जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, तिवारी जी के दूसरे प्रश्न के लिये तो परीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पाल जी परीक्षण करा चुके हैं। मान्यवर, जहां तक मंत्रियों के स्वागत का मामला है, मैंने जैसा पहले कहा था कि स्वेच्छा से किया जाय तो अच्छा है। अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिये, इसे तो नापसन्द ही किया जायेगा।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, किसी प्रश्न को इतने हल्केपन से नहीं लिया जाना चाहिये। प्रश्न यह है कि इन असलहों का दुरुपयोग शादी-ब्याह, स्वागत, सत्कार आदि में फायरिंग करके होता है और कोई न कोई बेगुनाह, बेकसूर मार दिया जाता है, उसके ऊपर कोई कार्यवाही भी नहीं होती। माननीय तिवारी जी ने प्रश्न पूछा था कि क्या इस तरह का कोई निर्देश जारी करेंगे कि वहां असलहा ले जाने, फायरिंग करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है, क्या इस पर विचार करेंगे, इसके बजाय आप दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस पर समय-समय पर निर्देश गये हैं और जैसे ही यह प्रश्न लगा था, उसके बाद भी कड़े निर्देश गये हैं कि इन चीजों को रोका जाय। जिसको भी लाइसेंस मिला हुआ है, वह उसकी सुरक्षा के लिए है। दुनिया में जो विकसित देश हैं, वहां तो लाइसेंस ही नहीं होता। लेकिन जबसे आतंकवाद का दौर शुरू हुआ है, तबसे दुकान पर कोई खरीदने जाता है तो सिर्फ रजिस्टर में इन्डोर्स कर लेते हैं कि फलां-फलां ने इतना-इतना हथियार खरीदा, इतना कारतूस खरीदा। मान्यवर, लाइसेंस जो दिये जाते हैं, वह इसलिए कि व्यक्ति इसको वक्तेजरूरत इस्तेमाल कर सके, यह उसकी अपनी सुरक्षा के लिए है। लेकिन यदि वह इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसकी विधिवत् सूचना

होनी चाहिये, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिये। यदि रिपोर्ट नहीं होगी, केस रिपोर्टेड नहीं होगा तो उस पर बाजाफ्ता कार्यवाही नहीं हो सकती। मान्यवर, सरकार की जानकारी है और माननीय सदस्यों को भी जानकारी है। इस तरीके के जो हादसे होते हैं उनको रोकने के लिए बराबर कोशिश की जा रही है तथा इसे और कड़ाई से लागू करने की कोशिश की जाएगी।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि सैकड़ों मुकदमें पंजीकृत हुए हैं और सिर्फ मेरे जिले को ही ले लें तो दर्सों मुकदमें पंजीकृत हैं। मेरा निवेदन है कि शस्त्र लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करके उसका दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध नियमों में प्राविधान है और जो निरस्तीकरण की प्रक्रिया है वह इतनी लम्बी है कि उस प्रक्रिया के बीच में ही लोग माननीय उच्च न्यायालय से स्टे ले आते हैं। कुल मिलाकर इतना गम्भीर प्रश्न है, जनसमस्याओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, असलहों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जब लाइसेन्स देने का प्राविधान सरकार के पास है तो यह देखने की भी जिम्मेदारी सरकार की है कि जिस कार्य के लिए असलहा दिया जा रहा है, उससे वही कार्य हो उसका दुरुपयोग न हो। इस प्रश्न पर जो भी उत्तर सरकार का आया है वह सन्तोषजनक नहीं है इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले को प्रश्न सन्दर्भ समिति को सौंपे जाने की आप अनुमति दें जिससे कि सरकार के सामने सही पक्ष आ सके और सरकार उस पर कार्रवाई कर सके।

दूसरा माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश जारी किये गये हैं। मान्यवर, प्रश्न किया गया था 19-03-2004 को और जो सरकार के द्वारा आदेश किये गये हैं वह वर्ष 2001 के हैं इसलिए मान्यवर, मैं कहूंगा कि प्रश्न लगाने की तिथि 19-03-2004 के बाद कोई आदेश नहीं जारी किये गये हैं। इस तरीके से क्या सरकार असलहों का दुरुपयोग करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए लाइसेन्स निरस्तीकरण की कार्रवाई का, कुछ इस प्रकार करेगी कि जो लोग प्रक्रिया के दौर में लाइसेन्स बचा ले जाते हैं उसे रोका जा सके ? मान्यवर, इन सब बातों का सही पक्ष आए इसके लिए इसे विधान सभा की प्रश्न सन्दर्भ समिति को सौंप दिया जाए और उसमें विचार-विमर्श के बाद कुछ तथ्य सरकार के सामने आ जायेंगे और जो माननीय सदस्यों ने इस पर गम्भीरता दिखायी है उसके अनुसार सरकार कुछ कार्रवाई करने में सफल हो सकेगी और सदन की भावनाओं का आदर करने में सफल हो सकेगी। इसलिए मैं इस मामले को प्रश्न सन्दर्भ समिति में भेजने की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत उत्तर के पैरा के अन्त में लिखा है कि दुरुपयोग को रोकने एवं वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सरकार का कहना है कि कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है और मेरा कहना है कि मुकदमें पंजीकृत हुए हैं इसलिए इस मामले को प्रश्न सन्दर्भ समिति को सौंप दिया जाए और

आख्या मंगा ली जाए तो सैकड़ों मुकदमें पंजीकृत मिलेंगे। दूसरा जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रश्न आने के बाद आदेश जारी किये गये हैं तो मान्यवर, अन्तिम शासनादेश 19 सितम्बर, 2001 का है जबकि प्रश्न 19-03-2004 को लगा है। जब इतनी विसंगतियां हैं तो इसे प्रश्न सन्दर्भ समिति को सौंप दिया जाए तभी विस्तार से इस प्रश्न पर सरकार विचार करके, नयी प्रक्रिया लागू करके और यदि आवश्यक होगा तो संशोधन करके, शासनादेश जारी करके इस दुरुपयोग को रोकने की प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी और प्रदेश की इच्छा का सम्मान कर सकेगी, इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इसे स्वीकार कर लें।

आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भी आपका निर्णय मान्य है लेकिन मैं यह मानूंगा कि यह निर्णय आपने न्याय हित में नहीं दिया।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, जब शस्त्र लाइसेन्स दिये जाते हैं तो उसमें कई क्लाज लगे होते हैं उसमें यह भी रहता है कि धारा-144 का उल्लंघन नहीं होगा। एक क्लाज यह लगा दिया जाये कि विवाह स्थलों पर शस्त्र ले जायेंगे तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। मान्यवर, चूंकि इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं आ पाया है इसलिए मैं अपने इस प्रश्न को, प्रश्न संदर्भ समिति को सौंपे जाने की मांग करता हूं।

प्रदेश के बेरोजगार युवकों को शिक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा की मांग

*4-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेरोजगार युवकों को परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने के लिये क्या सरकार सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह राणा)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उन श्रेणी के व्यक्तियों को यात्रा किराये में छूट एवं निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिनका व्यय भार प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को की जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एवं राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत शिक्षित बेरोजगारों को परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु आने जाने के लिए परिवहन निगम की बसों में वर्तमान में सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री राम इकबाल सिंह-

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो जिज्ञासा मैंने जाहिर की थी कि प्रदेश में जो बेरोजगारों की दशा है और बेरोजगारों की दशा पर माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उसमें निहायत ही हृदयहीनता

का परिचय दिया है। श्रीमन्, आज बेरोजगारों की जो स्थिति है, एक तरफ सरकार कह रही है कि बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देने जा रहे हैं दूसरी तरफ एक मामूली सी सुविधा एक शिक्षित बेरोजगार को साक्षात्कार में जाते समय या लिखित परीक्षा में जाते समय देने की बात थी, उसमें सरकार ने साफ इंकार कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार जब तक बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है तब तक बेरोजगारों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा साक्षात्कार व लिखित परीक्षा देने के लिए जाने हेतु देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रश्न एक अलग प्रश्न है, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि "प्रदेश के बेरोजगार युवकों को परीक्षा एवं साक्षात्कार में शामिल होने के लिए क्या सरकार सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ? तो मेरा स्पष्ट जवाब है कि बेरोजगारी भत्ता का सवाल अलग है। परिवहन निगम द्वारा मुफ्त यात्रा सुविधा देने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है।"

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय सदस्य ने बड़ा स्पष्ट प्रश्न किया है कि जब तक सरकार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं देती है तब तक साक्षात्कार व लिखित परीक्षा में आने व जाने के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा उपलब्ध करायेगी ? मंत्री जी ने कहा कि निगम द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी ने जो प्रश्न का लिखित उत्तर दिया है उसमें प्रश्न के प्रथम प्रस्तर का उत्तर दिया है कि "जी नहीं"। जबकि दूसरे प्रस्तर के उत्तर में एक पैराग्राफ लिखा है तो जब निगम कोई विचार ही नहीं कर रहा है तो इसका उत्तर यह होना चाहिए कि प्रश्न नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से केवल जानना इतना चाहता हूं कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बेरोजगार लोगों को सरकारी नौकरी के लिए साक्षात्कार-पत्र के आधार पर उस जनपद के ए0 आर0 एम0 को आदेश देगी कि उस स्थान तक जाने और वापस अपने घर तक आने के लिए निःशुल्क बस पास जारी कर दें ? क्योंकि बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ने घोषणा की थी और बेरोजगारी भत्ता इसलिए दिया जायेगा कि उसके पास साधन नहीं है कि वह नौकरियों के लिए आवेदन कर सके। सरकार अभी भत्ता दे नहीं पा रही है तो जब तक बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रही है तब तक राज्य की नौकरियों के लिए लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के लिए उस स्थान तक जाने और वापस आने के लिए ए0 आर0 एम0 को फ्री पास का निर्देश देगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि परिवहन निगम के सम्बन्ध में फिलहाल कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जा सकता और न ऐसी कोई योजना है। शासन के अन्तर्गत अन्य विभाग जो साक्षात्कार के लिए बुलाते हैं वह कोई छूट देना चाहते हैं तो वह विभाग अपने स्तर से निर्णय ले सकते हैं। परिवहन निगम द्वारा ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने यह उत्तर दिया है कि परिवहन निगम में यह व्यवस्था विचाराधीन नहीं है। यदि कोई विभाग साक्षात्कार के लिए बुलाता है और कोई सुविधा देना चाहता है तो वह दे सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में उन श्रेणी के व्यक्तियों को यात्रा किराये में छूट एवं निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिनका व्यय भार प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाता है और इसकी प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को की जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा छूट दी जाती है और उससे कितना व्यय भार निगम पर कितना पड़ रहा है जिसकी प्रतिपूर्ति दूसरे विभाग द्वारा की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वर्तमान में यह सुविधा देना सम्भव नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है उसे देखने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि निगम द्वारा उन श्रेणी के व्यक्तियों को यात्रा किराये में छूट एवं निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है, जिनका व्यय भार प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा वहन किया जाता है। मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर केवल बेरोजगार युवकों को सरकारी साक्षात्कार के लिए सुविधा देने से ही सम्बन्धित नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से श्रेणी के व्यक्तियों को वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा छूट दी जा रही है और कितना व्यय भार पड़ रहा है और इसकी प्रतिपूर्ति कौन दे रहा है ? क्या सरकार बेरोजगारों को यदि वह किसी सरकारी सेवा में इन्टर-व्यू देने जा रहे हैं तो उसमें जाने के लिए छूट देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

मान्यवर, जहां तक विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को सुविधा देने का प्रश्न है यह मूल प्रश्न बिल्कुल अलग प्रश्न है। इसके बारे में सूचना संकलित करके माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है यह कहना न्यायोचित नहीं है। इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रश्नों के बारे में यह दबाव नहीं दिया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि माननीय सदस्य जैसा चाहते हैं वैसा उत्तर दे। उत्तर देना जरूरी है, लेकिन बाजपेयी जी जैसा चाहते हैं वह उत्तर देना जरूरी है इसके लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है। माननीय मंत्री जी ने अपनी राय का इजहार कर दिया है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वह माननीय सदस्य को सूचना उपलब्ध करा देंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा भी किया है कि लोगों को रोजगार दिया जायेगा या रोजगारी भत्ता देंगे। इससे तर्क संगत सवाल उपस्थित हो गया है। ऐसी बहुत लम्बी फौज है शिक्षित बेरोजगारों की जो नौकरी की तलाश में भटक रही है उससे संबंधित यह प्रश्न है। क्या ऐसे लोगों के साक्षात्कार में आने-जाने के लिए निःशुल्क यात्रा और उस पर होने वाला व्यय सरकार वहन करेगी और उनको उसका लाभ देगी। सरकार की ओर से जो जवाब आया है वह सदन के समक्ष है। हो सकता है कि संसाधन की कमी के कारण सरकार उसका निर्वहन करने में सक्षम न हो लेकिन दूसरी तरफ जो शिक्षित बेरोजगार है और वह नौकरी की तलाश में है उनकी भी मजबूरी है तो इन दोनों के बीच का कोई रास्ता सरकार निकालेगी उनको साक्षात्कार का जो पत्र मिलता है उसके पत्र के आधार पर परिवहन निगम उनको साक्षात्कार के स्थान तक आने व वहां से लौटने के लिए एक तरफ का किराया लेकर दोनों तरफ की यात्रा सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम एक वाणिज्यिक संस्थान है सम्बन्धित विभाग जिसमें साक्षात्कार के लिए या अन्य परीक्षा के लिए जो पत्र भेजा जाता है या उस विभाग में नियुक्त होता है।

श्री अध्यक्ष-

क्या एक तरफ का किराया लेकर दोनों तरफ आने-जाने की सुविधा देंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह राणा-

इस तरह का प्रस्ताव विचारार्धान नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंप दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

वह शून्य प्रहर में लाइए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

प्रक्रिया कार्य-संचालन नियमावली के नियम-269 ख को देखने का कष्ट करें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर शासन से समय से प्राप्त न हो अथवा प्राप्त उत्तर संतोष जनक न हो और अध्यक्ष

ऐसा करना समीचीन समझे तो वह उस मामले को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को संदर्भित कर सकेगी। यह ठीक है कि आपको अधिकार है और मैं आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इस पर प्रश्न आया और उसका उत्तर आ गया।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी नियमावली में और भी बहुत नियम है उनके तहत लाइए। खन्ना जी का भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न लगा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

पाल साहब ने प्रश्न किया कि कितने लोगों को यह सुविधा प्राप्त है उस पर कितना व्यय होता है उसके बाद यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अगर सरकार इसका उत्तर नहीं दे पा रही है तो इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति को संदर्भित कर देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने उत्तर दे दिया कि इसकी सूचना नहीं है और सूचना एकत्र करके वह अवगत करा देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

भारत सरकार ने रेलवे में मुफ्त सुविधा प्रदान की है तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार बसों में यह सुविधा नहीं दे सकती है।

श्री राम नरेश यादव-

सरकार की तरफ से मंत्री जी ने कहा कि इस सम्बन्ध में हमारा कोई विचार नहीं है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने अभी रेलवे के द्वारा केन्द्र सरकार की सारी नौकरियों से सम्बन्धित इण्टरव्यू, परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षार्थियों को मुफ्त में लाने ले जाने की व्यवस्था की है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार नौजवानों को जो भटकते रहते हैं उनको उत्तर प्रदेश की सेवाओं में परीक्षा में भाग लेने के लिए मुफ्त में बस से आने-जाने की सुविधा प्रदान करने के बारे में फिर से विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है और बड़ा प्रश्न है। विपक्ष की जिज्ञासा सामने आ गई है लेकिन संसाधनों के अभाव में अभी इस पर विचार करना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की प्रणाली को समाप्त करने पर विचार की मांग

*5-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी सुरक्षा के लिये शस्त्र लाइसेन्सों की मांग को देखते हुए क्या सरकार प्रदेश में निजी सुरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेन्स दिये जाने की प्रणाली को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शस्त्र लाइसेन्स आयुध अधिनियम, 1959 एवं आयुध नियमावली, 1962 के प्राविधान के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं जो केन्द्रीय विधान है। शस्त्र धारण करने के लिये लाइसेन्स की अनिवार्यता समाप्त करने हेतु उक्त विधानों में संशोधन करने का अधिकार गृह मंत्रालय, भारत सरकार को ही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रश्न के सन्दर्भ में केवल दो छोटे-छोटे प्रश्न करना चाहता हूं। मान्यवर, जो वर्तमान में शस्त्र लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया है, वह बहुत लम्बी है, सबसे पहले थानाध्यक्ष से रिपोर्ट, उसके बाद सी0ओ0 की रिपोर्ट फिर एस0पी0 उसके बाद आफिसर इन्चार्ज आर्म्स और फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से उसकी स्वीकृति होती है। इस प्रक्रिया में 3 महीने लगते हैं इसके कारण जो शस्त्र लाइसेन्स लेना चाहते हैं जो इच्छुक हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उनको बहुत लम्बा सफर तय करना पड़ता है। माना कि आप नियमों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, हालांकि स्टेट गवर्नमेन्ट को अमेन्डमेंट का अधिकार है। यह अवश्य है कि यह भारत सरकार का अधिनियम है लेकिन समय-समय पर इस सम्बन्ध में शासनादेश भी जारी किए गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रक्रिया में सरलीकरण करेंगे ? दूसरा मेरा प्रश्न है कि जिन लोगों के वहां हत्या हो गई, डकैती पड़ी है या जिन पर कातिलाना हमला हुआ है अथवा जो किसी संगीन अपराध से प्रभावित है या जो विरासत के लाइसेन्स देने की प्रक्रिया है, उसमें क्या सरकार सरलीकरण करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले तो मोटी सी बात जान ही लीं है कि यह भारत सरकार का कानून है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। पहले मैं आखिरी सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आखिरी सवाल आपने विरासत के लाइसेन्स के सम्बन्ध में पूछा है, पहले विरासत वाले को बता दूं। विरासत वाला जरा थोड़ा सा पेचीदा है, मान लीजिए किसी के एक औलाद है और वह अपराधी है तो विरासत का लाइसेन्स उसे नहीं मिलता। इसलिए इस ख्याल को समाप्त कर दिया गया है। जिसे भी लेना है वह फ्रेस लाइसेन्स लेगा। सरलीकरण का जो सवाल है, अब बदले हुए हालात में आप देखें, कौन्सिलिंग होती है, एडमिशन के लिए पहले यूनीवर्सिटी में टेस्ट में बैठे और एडमिशन हो गया। पहले एक्जामिनेशन देना है, कौन्सिलिंग देना है। हालात के साथ-साथ चीजें बदलती रहती है। इसी तरह जैसे-जैसे अपराध बढ़े हैं और लाइसेन्सी हथियारों का गलत इस्तेमाल होना भी शुरू हुआ है इसलिए थोड़ा सा सख्त किया गया है ताकि जो पात्र हों उन्हें ही लाइसेन्स मिले। इसमें रद्दोबदल करने से बेहतर नतीजे नहीं निकल पायेंगे। समय-समय पर ऐसे शासनादेश जारी हुए हैं कि उनके यहां डकैती हुई है, लाइसेन्स देने में वरीयता प्रदान की जायेगी, खास ख्याल रखा जाएगा, समय-समय पर ऐसे जी0 ओ0 जारी हुए हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शस्त्र लाइसेन्स प्रक्रिया की शर्तें हैं उस निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के बाद कि थाने से एस0 ओ0, सी0 ओ0, एस0 पी0 के बाद जब पत्रावली जिलाधिकारी के यहां पहुंचती है तो कतिपय

जिलों के जिलाधिकारी शस्त्र लाइसेन्स निर्गत नहीं करते हैं और इसमें 6 माह का समय पूरा हो जाने के बाद उस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की जाती है। इसमें मेरा प्रश्न यह है कि इसको करने की जिम्मेदारी डी0एम0 की है। अगर पत्रावली पहुंचने के बाद जिलाधिकारी द्वारा उसको निस्तारित नहीं किया जाता है तो इसमें क्या ऐसी बाध्यता करने पर विचार किया जाएगा जो निर्धारित प्रक्रिया के बाद पत्रावली जिलाधिकारी के पास पहुंचती है उसको एक समयावधि में निस्तारित किया जाये ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस संबंध में समय-समय पर शासनादेश जारी हुए है और जहां इस तरह की कमियां रही है उसमें हम दिखवायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का आशय यह था कि प्रदेश के बहुत से जनपदों में शस्त्र लाइसेन्स की मांग बहुत अधिक है। निजी सुरक्षा की आवश्यकता भी होती है। जो लोग पात्र है उनको शस्त्र लाइसेन्स लेने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के बाद एस0पी0 के यहां से रिपोर्ट जाने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा लाइसेन्स निर्गत नहीं किये जाते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी एक समयावधि निर्धारित करेंगे कि कितने दिनों के बाद जिलाधिकारी अपने यहां से शस्त्र लाइसेन्स निर्गत करेंगे, ताकि उन्हें दोबारा उस प्रक्रिया से न गुजरना पड़े और दूसरा कि यदि विरासत के मामले में पुलिस की रिपोर्ट सही है तो क्या उसमें वरीयता के आधार पर लाइसेन्स दिलवायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस बात का सभी सरकारें ख्याल रखती है कोई भी सरकार हो। जिसको जरूरत हो उसको लाइसेन्स मिलना चाहिए और आगे भी इसका ख्याल रखा जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिलाधिकारी के पास पत्रावली पहुंच जाये तो वह कितने समय तक उस पत्रावली को अपने पास रखे रहेंगे, 6 महीने के बीत जाने के बाद फिर उसकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें आपका कहना है कि जो जिलाधिकारी के यहां पत्रावली निस्तारित करने की प्रक्रिया है क्या उसमें सुधार हो सकता है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, सच्ची बात यह है कि बहुत से लोग एप्लाई करते है, यह संवैधानिक अधिकार है। उसमें जांचें होती है, रिपोर्ट लगती है। श्री जगदम्बिका पाल जी ने इशारा किया, वह भी सही बात है। लेकिन फिर भी जो पाने के हकदार है उनको मिलना चाहिए उनको मिलता है और आगे भी मजबूती से इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि जिनको लाइसेन्स की जरूरत है उन्हें लाइसेन्स मिले।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिनके घर में डकैतियों के आधार पर जानमाल का नुकसान हुआ है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाइसेन्स दिया जायेगा। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय व्यवहारतम जिन्हें शस्त्र लाइसेन्स निर्गत करते हैं तो उसमें

एन0एस0सी0 दस बीस हजार ले लेते है। तो मान्यवर, इनके केसों में आप निर्देश जारी करेंगे कि ऐसे लोगों से एन0एस0सी0 न ली जाय ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा कोई कानून नहीं है। वह चाहें तो जमा कर सकते हैं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, बिना इसके शस्त्र लाइसेन्स निर्गत नहीं किया जाता है। तो यह निर्णय हो जाय कि जो जमा नहीं कर सकता है उसकी मदद आप कर दें। एक मानवीय आधार पर निर्णय ले लें। क्या आप उनकी इस तरह से मदद कर सकते हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसे पैसा जमा कराने का कोई नियम नहीं है।

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

मान्यवर, जैसा अभी पाल जी ने कहा कि 6 महीने तक नहीं हो पाता है और वह पुनः वापस भेज दिया जाता है। इसमें अगर ऐसा हो जाय कि वह थाने तक न जाय और एस0पी0 महोदय अपने यहां से रिपोर्ट मंगा लें कि इनके विरुद्ध कोई संगीन अपराध तो नहीं है थाने में कोई रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। केवल एस0 पी0 अपने यहां रिपोर्ट मंगा लें और वह डी0एम0 के यहां चली जाय ऐसा करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर आ गया है। अब बहुत हो गया है। मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, जो व्यक्ति वृद्ध है तो क्या सरकार कैम्प लगाकर ऐसे लोगों को शस्त्र लाइसेन्स निर्गत करायेगी ?

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के सदस्यों को आवास आवंटन

*6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कालीदास मार्ग, माल एवेन्यू, गौतम पल्ली, बटलर पैलेस, राजभवन कालोनी, गुलिस्ता कालोनी, नया मंत्री आवास, विक्रमादित्य मार्ग पर प्रमुख सचिवों, सचिवों को टाइप-V एवं टाइप-VI एवं बड़े प्रकार के आवास आवंटित हैं ? यदि हां, तो अन्य प्रकार के उन आवासों को माननीय विधायकों को आवंटित किये जाने में क्या कोई वैधानिक बाधा है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो उक्त आवास कब से विधान मण्डल के सदस्यों को आवंटित किये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। कालीदास मार्ग, माल एवेन्यू को छोड़कर गौतम पल्ली, बटलर पैलेस, राजभवन कालोनी, गुलिस्ता कालोनी तथा नया मंत्री आवास नहीं वरन नया उप मंत्री आवास विक्रमादित्य मार्ग पर प्रमुख सचिवों सचिवों को टाइप-V एवं VI के आवास आवंटित हैं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के माननीय सदस्यों की निवास स्थान सम्बन्धी नियमावली, 1963 में माननीय विधायकों को विधायक निवासों में आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था है। तदनुसार आवंटन किये जाते हैं।

मंत्रियों के वेतन भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि तथा व्यय का अनुमान

*7-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मई माह, 2004 में मंत्रियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं में वृद्धि-की गयी है ? यदि हां, तो कितनी तथा इस वृद्धि से एक वर्ष में कितनी धनराशि अधिक व्यय होने का अनुमान है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां। मा0 मंत्रियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में मई माह, 2004 के स्थान पर माह अप्रैल, 2004 से वृद्धि की गई है।

वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं में की गई वृद्धि निम्नवत् है :-

वेतन/भत्ता	1-4-2004 से पूर्व की स्थिति	1-4-2004 से की गई वृद्धि की स्थिति
वेतन	रु0 2,500	रु0 5,000
निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रु0 5,000	रु0 7,500
चिकित्सा भत्ता	रु0 1,000	रु0 2,000
सचिवीय भत्ता	रु0 1,000	रु0 2,500
दैनिक भत्ता	रु0 200	रु0 250
	प्रतिदिन तथा 30 दिन के आधार पर	प्रतिदिन तथा 30 दिन के आधार पर
	रु0 6,000	रु0 7,500

एक वर्ष में रु0 64,80,000-00 अधिक व्यय होने का अनुमान है।

मैं अब प्रश्न संख्या-7 ले रहा हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि मंत्रियों को 1-4-2004 से लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि वेतन तथा अन्य भत्तों में की गयी है। उसके आधार पर नौ हजार रुपया प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। एक तरफ तो सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की एक समानता रहती थी। जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की घोषणा की जाती थी उसी के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों को भी भत्ता मिलता है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पचास प्रतिशत मूल वेतन में जोड़ने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन मंत्रियों को 60 प्रतिशत वेतन आदि भत्तों में वृद्धि कर रहे हैं मान्यवर, यह उचित नहीं है, मा0 अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्रियों के वेतन और अन्य भत्तों में इतनी वृद्धि का कारण क्या है और इसके अलावा जो अन्य खर्चे हो रहे हैं जैसे सरकारी गाड़ी वगैरह की जो सुविधा मिलती है इस पर कितना व्यय आता है एक मंत्री के ऊपर ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पूर्व के खर्चों का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई-कई लाख रुपये प्रति माह एक-एक मंत्रियों के यहां चाय-पानी के ऊपर खर्च हुआ करते थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की [illegible] सरकार आई तो उसमें रोक लगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऐतिहात बरती गई, चाय-पानी के [illegible] मात्र एक नमकीन, एक मीठा और एक चाय कर दिया गया, तेल का खर्च कम से कम हो और मंत्रियों के पास कम से कम गाड़ियां हो इसके लिए मंत्रियों से अपील की गई और मंत्रियों की कैबिनेट मीटिंग्स में भी कहा गया और मंत्रियों ने इसे कम किया भी, जितने वाजिब तरीके से जितना कम से कम हो सकता था किया गया, रही बात सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों की तो अगर न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भी आप देखेंगे तो इससे आप को वह लोग जो यह सदन किसी भी तरीके से ऊपर है, इसे चलाने वाले अगर अपना वेतन देखेंगे और उससे नीचे वालों का वेतन देखेंगे तो खुद पता चल जायेगा कि हम उससे कहीं कम है तो उस वेतनमान से जो सालाना तौर पर केन्द्र सरकार की या प्रदेश सरकार की घोषणा पर बढ़ता है उससे इसका कोई मिलान नहीं है। मेरे ख्याल से यह उचित भी नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो आवश्यकता महसूस की और मंत्रियों को कार्यालय और वाहनों समेत अन्य जो सुविधायें दी है और उनके वेतन भत्तों आदि में वृद्धि की है तो क्या सरकार इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों के भी वेतन भत्तों आदि में वृद्धि करने पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह लगता है कि माननीय पाल साहब को तनख्वाह की सही जरूरत ही नहीं है, आपने पहले कभी यह देखा ही नहीं है कि आपको पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है, पाल साहब को यह पता नहीं है कि इस सरकार ने विधायकों की सैलरी बढ़ा दी है। आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि हमने दैनिक भत्ता 200 से 250 कर दिया और इसी तरह से चिकित्सा भत्ता 1000 से 2000 तथा सचिवीय भत्ता 1000 से 2500 कर दिया है तो इस प्रकार से हमने वृद्धि की है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्रियों की सुविधाओं और वेतन में जो बढ़ोत्तरी हुई है और माननीय सदस्यों की सुविधा और वेतन में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उन दोनों को यह बता दें ?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि वृद्धि आवश्यकतानुसार की गई और यह वृद्धि कोई बहुत नहीं है मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मान्यवर, आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 के जो अधिकारी है वह भी वाहनों का मनमाने ढंग से प्रयोग करते हैं तो क्या सरकार उन पर भी अंकुश लगाने के लिए कोई विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहीं से तो हम इसकी मिसाल शुरू करेंगे ही, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने काफिले से आधे से ज्यादा गाड़ियां कम कर दी हैं। आधे से ज्यादा सुरक्षा कर्मी वापिस कर दिये हैं बावजूद इसके कि "जेड प्लस" की सिक्योरिटी में है। यहां भी आपने देखा होगा कि जितनी सुरक्षा पहले रहा करती थी अब उससे कम सुरक्षा है। यह शुरूआत माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं की है इस पर नेतागण चलें। अधिकारी चले तो उसका स्वागत होगा।

प्रदेश के बढ़ते हुये अपराधों के नियंत्रण हेतु योजना

*8-श्री सुखदेव राजभर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

प्रदेश में अपराधों के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं :-

(1) पुरानी रंजिश के बारे में सूचना एकत्रित की जाय, इसे सही पाए जाने पर संबंधित को पाबन्द करने की कार्यवाही की जाय। पुराने रंजिश के मामलों पर नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाय तथा आवश्यकतानुसार लाइसेन्स/शस्त्रों के निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाय। पंजीकृत अभियोगों की विवेचना महरायी से की जाय एवं प्रकाश में आए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाय।

(2) न्यायालय में विचाराधीन मामलों की पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(3) फिरौती हेतु अपहरण सम्बन्धी अपराध के नियंत्रण हेतु एण्टी किडनैपिंग एवं एक्स्टोशन सेल का गठन। अपहरण करने वाले अपराधियों के गैंगों के सदस्यों, शरणदाताओं, जमानत करने वालों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण सूचना एकत्र कर उनकी गतिविधियों पर निरन्तर सतर्क निगाह रखने व छोटे गिरोहों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध यथावश्यक कार्यवाही की जाय।

(4) रोड होल्ड अप के अपराधों पर नियंत्रण हेतु राजमार्गों पर रात्रि गश्त एवं पिकेट ड्यूटी लगाने की भी व्यवस्था की गई है।

(5) डकैती/लूट के अपराधों पर नियंत्रण हेतु बड़े दस्यु गिरोहों की पहचान कर उनके गैंग चार्ट बनवाकर पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नियंत्रणाधीन दस्यु उन्मूलन कार्यालय में सूचीबद्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है। जनपदीय गिरोहों को सम्बन्धित जनपदों में सूचीबद्ध किए जाने एवं गैंगनोट तथा गैंग चार्ट बनाए जाने की व्यवस्था की गई है।

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आज आये दिन रोड होल्ड अप की घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से रेलवे विभाग में सुरक्षाकर्मी चलते रहते हैं, पैसेंजर की सुरक्षा के लिए फोर्स चलती है तो क्या उसी तरह से माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में भी बसों में भी इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था करायेंगे या कुछ ऐसी शुरुआत करेंगे कि जो लम्बे रूट की बसें हैं या अन्तर्जनपदीय बसें हैं उसमें एक या दो

सुरक्षाकर्मी की व्यवस्था करायेंगे ? दूसरी हमारे यही आपने कहा कि डकैतों/लूट के अपराध पर नियंत्रण हेतु बड़े दस्यु गिरोहों की पहचान कर उसके गैंग चार्ट बनवाकर पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नियंत्रणाधीन दस्यु उन्मूलन कार्यालय में सूचीबद्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी है तो मैं नाम नहीं पूछूंगा। गृह विभाग से चल रहा है गोपनीयता का है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितने गिरोहों को सूचीबद्ध किया गया है तथा जनपदीय स्तर पर क्या आजमगढ़ में ऐसे कितने गिरोह सूचीबद्ध हैं, उनकी संख्या क्या है ? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमारे यहां हत्या हो गयी और अभी कल हमारे क्षेत्र में 4 हत्यायें हो गयी सुरक्षाकर्मी जो थे, निर्दोष मारे गये। एक सोनकर मारा गया उसके 5 बच्चियां हैं तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे कि जो रोड होल्डिंग की घटनाएं हो रही हैं तो जैसे रेलवे में सुरक्षा की व्यवस्था है वैसे ही परिवहन विभाग में बसों पर सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी लगायेंगे ? दूसरी जनपद आजमगढ़ में जनपदीय स्तर पर अब तक कितने गिरोहों की सूची बनी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मानयवर, जो आजमगढ़ का मामला है वह आपसी रंजिश का है। बसों में सुरक्षा की व्यवस्था किया जाना यह फिलहाल सम्भव नहीं है क्योंकि बड़ी मात्रा में बसों का आवागमन है। लेकिन रोड होल्ड अप का रुक रहे है जगह-जगह पिक्ट लगा रहे हैं गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं। पेट्रोलिंग हो रही है थाने बढ़ा दिये गये हैं और जदीद किस्म के असलहे उपलब्ध करा दिये गये हैं इसको रोकने के प्रयास जारी हैं और जो भी आगे जरूरत पड़ेगा कोशिश होती रहेगी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव (हरीश जी)-

माननीय मंत्री जी ने अपराधों की रोकथाम के लिये कई योजनाओं का उल्लेख कर दिया है, लेकिन यह योजना और कार्य योजना जो हैं, यह पहले से चालू हैं, अभी भी इसके शासनादेश गये हैं। इसके बाद भी, डी0 जी0 पी0 महोदय ने स्वीकार किया है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अधिकारियों पर बहुत डांट लगाई गई है। मुख्य मंत्री जी ने भी बैठक में कहा कि अपराध बढ़-चढ़े हैं, इसको रोका जाय। इतना सब होने के बाद भी अपराधों में कोई रोकथाम नहीं हो रही है, यदि इस पर चर्चा होगी तो लम्बी बात होगी। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या कोई ऐसी विधि सम्मत योजना बनायेंगे कि अपराधियों का राजनीतिक क्षेत्र में इस्तेमाल न हो सके, शासन के द्वारा इनको संरक्षण न प्रदान किया जा सके, चुनाव आदि में इनका इस्तेमाल जो बूथ कैप्चरिंग के लिये किया जाता है, वह न हो सके। ऐसी कोई विधि सम्मत योजना बनायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अच्छी बात है, अच्छी राय है, सभी राजनीतिक दलों को इस पर विचार करना चाहिये। अब से कई साल पहले, 5 वर्ष पहले, एक राष्ट्रीय नेता ने यह अपील की थी कि सभी राजनैतिक दल अपने यहां से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कम करें तो हम लोगों ने 3 लोक सभा सदस्यों को अपनी पार्टी से निलम्बित कर दिया था और तब इस बात की उम्मीद की गयी थी कि बाकी दल भी इसी तरह से कार्यवाही करेंगे, लेकिन इसके बाद कोई भी दल यह हिम्मत कर नहीं सका। उस दल की आज सरकार है, सत्ता में हैं, यह बात सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन करने में तो हम ही यकीन रखते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

जो बात मैंने पूछी थी, उसका कोई उत्तर दिया ही नहीं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी ने कई उपाय बतायें हैं और यह भी बताया कि वह अपराधों की रोकथाम के लिये प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब समाज है तो अपराध होते रहेंगे, लेकिन ऐसे अपराध जिसका पूरे प्रदेश में असर पड़ता है, उस संबंध में गिरोहों को सूचीबद्ध करने की व्यवस्था बताई गयी है और यह भी बताया कि उनके गैंग चार्ट बनवाकर पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर नियंत्रणाधीन दस्यु उन्मूलन कार्यालय में सूचीबद्ध कराये जाने की व्यवस्था की गई है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में कितने गिरोहों को सूचीबद्ध किया है और उनके खिलाफ शासन ने कौन सी कार्यवाही की है और इसी तरह जिलों में क्या इस सूचीबद्ध गिरोहों को चिन्हित किया जा रहा है और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, इसकी क्या कार्य योजना है, यह बता दें ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किन्हीं कारणों से यह बेहतर नहीं होगा लेकिन बहुत से सूचीबद्ध किये गये हैं। यह एक रेगुलर प्रासेस है और काम चलता रहता है। कभी खुदबखुद गैंग खत्म होते रहते हैं, कभी सरेन्डर करते हैं, कभी जेलों में चले जाते हैं, कभी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में ट्रांसफर हो जाते हैं, कभी सरेन्डर कराये जाते हैं और नये गिरोह भी बनते रहते हैं। इसकी अलग कार्य-योजना है, उस पर बहुत ज्यादा बहस बेहतर नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल-

इस तरह से जो सूचीबद्ध गिरोह सदन के संज्ञान में आते हैं इसके पहले भी उनका नाम सदन के पटल पर रखा गया है, आप भी पहले इस प्रकार के प्रश्न कर चुके हैं। मान्यवर, उन सूचीबद्ध गिरोहों की जानकारी सदन को होनी चाहिये आखिर सरकार को उनका नाम सदन के पटल पर रखने में क्या कठिनाई है ? इस प्रकार से तो उन गिरोहों को और आवरण मिल जायेगा। इसलिये मान्यवर, उनका नाम सदन के सामने आना चाहिये ताकि प्रदेश की जनता उनको जान सके और उनके विरुद्ध प्रदेश में जनमत तैयार हो सके तथा उन पर प्रभावी कार्रवाई हो सके और उनका नाम सदन के पटल पर रखने में सरकार को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

हजरतगंज, लखनऊ में भूमिगत रास्ता बनाये जाने सम्बन्धी योजना

*9-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हजरतगंज में बढ़ते यातायात को देखते हुए पैदल चलने के लिये भूमिगत रास्ता बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर भूमिगत मार्ग प्रस्तावित है और उस पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :- नत्थी (क) ता0 प्र0 सं0-8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

पुलिस के विरुद्ध लोक शिकायतों की जांच हेतु शिकायत प्रकोष्ठ का गठन

*10-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस द्वारा नागरिकों को तंग करने, एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने और उत्पीड़ित किये जाने के मामले प्रकाश में आने पर पुलिस के विरुद्ध लोक शिकायतों की जांच की कोई व्यवस्था गृह विभाग द्वारा बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पुलिस द्वारा नागरिकों को तंग करने, एफ0 आई0 आर0 न लिखे जाने और उत्पीड़न किये जाने के मामलों की शिकायत प्राप्त होने पर उनके निस्तारण तथा न्याय दिलाने हेतु वर्ष 1995 में प्रदेश के समस्त जनपदों में शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है एवं थानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने के संबंध में शासनादेश क्रमशः दिनांक 26-2-2003 एवं जुलाई, 2004 को निर्गत किया गया है जिसमें यह व्यवस्था की गयी है कि थाना स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, प्रथम सूचना रिपोर्ट न दर्ज करने, जनशिकायतों का निस्तारण न करने व कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने की शिकायत प्राप्त होगी तो जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षकों को इसके लिये सीधे जिम्मेदार माना जायेगा और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जायेगी तथा समस्त ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी द्वारा संबंधित प्रकोष्ठ से कार्यवाही सम्पादित कराकर यथावांछित कार्यवाही की जाती है। इसके साथ ही मुख्यालय पुलिस महानिदेशक पर भी शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिस पर किसी भी प्रकार के उत्पीड़न संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही सम्पादित की जाती है जिसका प्रवेक्षण पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत द्वारा किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

श्री विष्णु कुमार गुप्ता निवासी बभनान बाजार, थाना गौर, जिला बस्ती के घर में चोरी की प्राथमिकी दर्ज एवं जांच

1-कुंवर आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विष्णु कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामलखन निवासी बभनान बाजार, थाना गौर, जिला बस्ती के घर में दिनांक 5/6 अक्टूबर, 2003 को हुई चोरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज की गई ? यदि नहीं, तो प्राथमिकी दर्ज न करने एवं उस पर कार्यवाही न करने के लिये सम्बन्धित थाना/चौकी प्रभारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में उनका शिकायती-पत्र दिनांक 1 मार्च, 04 तथा 10 मार्च, 2004 को मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, गृह विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। दोनों पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक, बस्ती को प्रेषित किये गये। जनपद स्तर पर उक्त पत्रों में अंकित तथ्यों की जांच से मामला असत्य पाया गया।

जनपद सीतापुर ग्राम गुलिरहा थाना मछरेहटा में श्रीमती मुन्नी देवी को आवंटित ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा

2-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मुन्नी देवी पत्नी स्व0 श्री राम किशन निवासिनी ग्राम गुलिरहा, थाना-मछरेहटा, तहसील-मिश्रिख, जनपद-सीतापुर को आवंटित ग्राम समाज गुलिरहा की भूमि गाटा संख्या-1231 रकबा .50 एकड़ पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिसे थाना मछरेहटा की पुलिस द्वारा दिनांक 9-12-2003 को उक्त अवैध कब्जे को हटा दिया गया था जिसे बाद में पुनः उन्हीं अराजक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसकी सूचना थानाध्यक्ष मछरेहटा को देने के बाद भी उक्त अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त अवैध कब्जे को पुनः हटाकर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस अधीक्षक सीतापुर से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रकरण की जांच थानाध्यक्ष मछरेहटा से करायी गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि स्व0 श्रीमती मुन्नी देवी वर्ष 1986 में ग्राम सभा गुलरिया मौजा सिंसेडी तहसील मिश्रिख की सदस्य थीं तभी तत्कालीन प्रधान श्री बाबू सिंह पुत्र श्री पुत्तू सिंह द्वारा सन् 1986 में करीब 50 डिस्मिल जमीन का पट्टा कृषि हेतु श्रीमती मुन्नी को दिया गया था उक्त आवंटन के विरुद्ध आपत्ति पर जिलाधिकारी/तहसीलदार मिश्रिख सीतापुर द्वारा दिनांक 9-8-2001 को स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं आवंटन को गलत पाया गया। जिलाधिकारी सीतापुर द्वारा वाद संख्या 115/42 अन्तर्गत धारा 198 जेड0 एल0 आर0 एक्ट के अन्तर्गत सुनवाई के उपरान्त दि0 18-6-03 को आवंटन को गलत पाया गया एवं आवंटन निरस्त कर ग्राम सभा में भूमि दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हैं।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

उपयुर्क्त अस्पष्ट है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा फिल्म बन्धु के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका

3-डा0 विनोद तिवारी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा फिल्म बन्धु के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं सम्बन्धी पुस्तिका वर्ष 2002 में जारी की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त नियम प्रक्रिया के प्रस्तर 7 "अनुदान की धनराशि स्वीकार करने का प्रकार" का अनुपालन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितनों को यह सुविधा प्रदान की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। यह पुस्तिका दिसम्बर, 2001 में जारी की गयी थी।

प्रस्तर-7 का अनुपालन पूर्व में किया गया था परन्तु बाद में यह पाया गया कि यह व्यवस्था मा0 मंत्रिपरिषद् द्वारा पारित नीति के विपरीत है। इस संबंध में अनुशासनिक कार्यवाही एवं जांच प्रचलित है। अब केवल नीति के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्तर-7 के अनुरूप पूर्व में कुल 11 फिल्मों को सुविधा प्रदान की गयी थी।

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम लबेहा ब्लाक आसपुर देवसरा में सांसद निधि से कराये गये कार्यों की जांच

4-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी एवं अन्य क्षेत्र में पैक्स पेड संस्था द्वारा ग्राम लबेदा ब्लाक आसपुर देवसरा सहित 19 स्थानों पर सांसद निधि से कुल 22.70 लाख का खड़न्जा एवं पुस्तकालय आदि का निर्माण वर्ष 2003-2004 में कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों का स्थलीय भौतिक सत्यापन तथा मानकों के अनुसार लगायी गयी सामग्री की गुणवत्ता की जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ से उनके पत्र दिनांक 21-2-2004 के द्वारा 19 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम किश्त 20.38 लाख रु0 पैक्सफेड को प्राप्त हुआ था, जिसमें से 3 स्थल विवादास्पद होने के कारण इन कार्यों हेतु आवंटित 1.19 लाख रु0 की धनराशि पैक्सफेड द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को वापस कर दी गयी है। शेष 16 कार्यों हेतु प्राप्त 19.19 लाख रु0 का निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त 16 निर्माण कार्यों में से 7 कार्यों की द्वितीय किश्त 2.78 लाख रु0 प्राप्त हुये हैं, जिससे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। अवशेष 9 निर्माण कार्यों की द्वितीय किश्त अभी प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं।

किसी भी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

5-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उ0 प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय में सहायक परिचालकों के रिक्त पदों पर चयन

6-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस रेडियो मुख्यालय में वर्ष 1993 में सहायक परिचालकों के 300 पद अनु0 जाति/अनु0 जनजाति द्वारा विशेष चयन के अन्तर्गत भरा जाना था किन्तु इन 300 विशेष चयन के अग्रणीत पदों को सामान्य श्रेणी के अन्य 1200 पदों (वर्ष 1995) के साथ समायोजित कर विशेष चयन बोर्ड गठित कर वर्ष 1996 में चयन किया गया है ? क्या यह सही है कि वर्ष 1993 के अग्रणीत उक्त 300 पदों को पात्रता सूची में सामान्य श्रेणी के अन्य 1200 पदों के बाद सूची में रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। वर्ष 1993 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 300 पदों को विशेष चयन से नहीं भरा जाना था।

प्रश्नगत विशेष चयन के 300 पद अग्रणीत पद नहीं थे। परन्तु इन पदों को सामान्य श्रेणी के 1200 पदों के साथ वर्ष 1996 में चयन किया गया था।

जी नहीं। चूंकि वर्ष 1993 में अनुसूचित जातिं/अनुसूचित जनजाति के पद अग्रणीत नहीं थे, अतएवं इन्हें नियंमानुसार सूची में यथास्थान रखा गया।

7-श्री राम इकबाल सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सांसद निधि से लगाये गये हैण्ड पम्पों की संख्या एवं मानक

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2000-2001 में 150 हैण्ड- पम्प, 2001-02 में 366 हैण्डपम्प एवं 2003-04 में 72 हैण्डपम्प सूखा राहत समिति द्वारा सांसद निधि से लगाये गये हैं ? क्या उक्त हैण्डपम्पों के क्रय एवं अधिष्ठापन में निर्धारित मानकों का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में वर्ष 2000-01 में 26 नग हैण्डपम्प, वर्ष 2001-02 में 171 नग हैण्डपम्प एवं 2003-04 में 25 नग हैण्डपम्प सूखा राहत समिति (जिला विकास एवं सहायता समिति) द्वारा सांसद निधि से लगाये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेदकर नगर में पूर्वांचल निधि द्वारा स्वीकृत धनराशि

9-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व जनपद अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल विकास निधि जिला अंश वित्तीय वर्ष 2003-2004 के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का चयन करके स्वीकृत आयुक्त, फैजाबाद मण्डल द्वारा जारी की गयी है ? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार कितने-कितने रुपये की स्वीकृति जारी की गई है ? क्या चयनित योजनाओं का कार्य पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं को धन का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्रवार निम्नलिखित धनराशि की स्वीकृति जारी की गयी है :-

अकबरपुर	24.131 लाख
टाण्डा	25.237 लाख
जलालपुर	25.511 लाख
जहांगीरगंज	21.140 लाख
कटेहरी	20.368 लाख

जी हां।

जून/जुलाई, 2004 में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अम्बेडकर नगर को प्रथम किश्त की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर में अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग से तितरहवां घाट थिरुवा नाले पर पुल निर्माण हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव का परीक्षण

10-श्री लालजी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर/फैजाबाद में पूर्वांचल विकास निधि 1999-2000 में राज्य अंश के द्वारा अकबरपुर इल्तिफातगंज मार्ग से तितरहवां घाट थिरुआ नाले पर पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर धन का आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पुल का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्नगत परियोजना का पुनरीक्षित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणार्धान है।

जनपद लखनऊ के अंजुमन कब्रिस्तान में हैण्डपम्प एवं विद्युत पोल व खड़ण्जा आर0 सी0 सी0 कराये जाने की मांग

11-डा0 कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री खलील अहमद, सचिव, अंजुमन कब्रिस्तान जिनपीरन अलीगंज सेक्टर-8 विकास नगर, खुर्रमनगर, लखनऊ का पत्र जो उक्त कब्रिस्तान में एक हैण्डपम्प, विद्युत पोल व खड़न्जा आर0 सी0 सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में है दिनांक 3-12-03 को उन्हें प्राप्त हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त पत्र संख्या 1191/एम0 जी0 दिनांक 5-12-03 को जिलाधिकारी, लखनऊ को कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत स्थल का सर्वेक्षण कराया गया, यह स्थल अंजुमन कब्रिस्तान जिनपीरन है तथा चारों तरफ चहारदीवारी से घिरा हुआ है एवं एक तरफ गेट एवं बरामदा बना हुआ है। यह अंजुमन का निजी/वक्फ कब्रिस्तान है, जिसमें कार्य कराया जाना नियमों के अनुरूप सम्भव नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

12-डा0 रामबाबू हरित-

[दूसरे गुरुवार के अता0 प्र0 सं0-71 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से अर्छा बरेठी सम्पर्क मार्ग एवं पुल निर्माण हेतु स्वीकृत परियोजनायें

13-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से वित्तीय वर्ष 2002-03 में शासनादेश संख्या-25/एम0-6/7/35-5-02/35-5-03, दिनांक 31 मार्च, 2003 को जनपद चित्रकूट में अर्छा बरेठी सम्पर्क मार्ग बपसुनी नदी पर अगरहुडा के पास कुचारम पुर मार्ग पर पुल निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी थी ? क्या उक्त धनराशि आवंटित कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त धनराशि कब तक आवंटित कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत दोनों परियोजनाओं हेतु रु0 712.50 लाख की प्रशासकीय तथा रु0 100.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

प्रश्नगत शासनादेश जनपद में विलम्ब से प्राप्त होने के कारण धनराशि का आहरण नहीं किया जा सका।

प्रकरण विचाराधीन है।

जनपद चित्रकूट के विकास के लिये बुन्देलखण्ड विकास निधि से कुल स्वीकृत धनराशि का विवरण

14-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद चित्रकूट के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या प्रस्तावित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर कार्यों को प्रारम्भ करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वर्ष 2003-04 में बुन्देलखण्ड विकास निधि जिलांश से रु0 185.64 लाख तथा राज्यांश से रु0 51.35 लाख की धनराशि स्वीकृत कर जनपद को दी गई।

जिलांश के 32 कार्यों के लिये रु0 138,055 लाख की स्वीकृति निर्गत हो गयी है, किन्तु कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं। राज्यांश की योजना के कार्य प्रगति पर हैं।

जिलांश के स्वीकृत कार्य स्थलीय सत्यापन के बाद प्रारम्भ किये जायेंगे।

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से बाल्मीकि नदी तथा पयस्विनी नदी पर सिंचाई हेतु लघु लिफ्ट पम्प का निर्माण

15-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से ग्राम देहरूछ के पास (बाल्मीकि नदी पर) एवं ग्राम नरायनपुर के पास पयस्विनी नदी पर सिंचाई हेतु लघु सिंचाई विभाग द्वारा लघु लिफ्ट पम्प का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि उक्त परियोजनाओं को दी गयी है ? क्या उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

रु0 14.97 लाख की स्वीकृति के लिये रु0 7.48 लाख अवमुक्त की गयी है। जी नहीं। विद्युत संयोजन का कार्य लम्बित है। विद्युत संयोजन मिलने उक्त कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करा लिये जायेंगे।

जनपद रायबरेली ग्राम सूदन खेड़ा के श्री अशोक आजाद पुत्र गजाधर प्रसाद के शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

16-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि अशोक आजाद पुत्र श्री गजाधर प्रसाद निवासी सूदन खेड़ा निकट पुलिस चौकी लालगंज, रायबरेली का प्रार्थना-पत्र सं0-12632 दिनांक 3-6-04 जो प्रार्थी के भाई को दिनांक 22-5-04 को गांव के कतिपय दबंगों द्वारा मार-पीटकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था जिसकी रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप पर 203/04 धारा-395 एस0 सी0 एस0 टी0 2 (5) दर्ज की गयी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित संदर्भित पत्र दिनांक 3-6-04 मा0 प्रश्नकर्ता सदस्य का है, जिसके साथ श्री अशोक आजाद का शिकायती पत्र दिनांक 29-5-2004 संलग्न होकर प्राप्त हुआ है।

श्री अशोक आजाद के भाई/परिवार के साथ दिनांक 22-5-04 को हुई घटना के बारे में पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र एवं पुलिस अधीक्षक, रायबरेली से आख्या प्राप्त की गयी। प्राप्त आख्यानुसार आवेदक एवं विपक्षीगण के मध्य भूमि संख्या-557/558 को लेकर विवाद है। इसके परिपेक्ष्य में दिनांक 22-5-2004 को दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी जिसके संबंध में आवेदक द्वारा मु0अ0सं0-203/04 व प्रतिपक्षीगण द्वारा मु0अ0सं0-203ए/04 थाना लालगंज पर एक दूसरे के विरुद्ध पंजीकृत कराये गये। शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दोनों पक्षों को पाबन्द कराया जा चुका है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

जनपद लखनऊ के मायानगर मोहल्ले में लगाये गये इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्पों की संख्या एवं उनकी मरम्मत

17-श्री इन्द्रदेव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-5-2004 तक जनपद-लखनऊ के मायानगर मोहल्ले में कितने इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगे हैं, उसमें से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने खराब हैं ? क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जनपद लखनऊ के मायानगर मोहल्ले में कुल पांच इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्प अधिष्ठापित है, जिनमें संचार चालू हालत में है तथा एक हैण्डपम्प खराब है।

जी हां।

खराब हैण्ड पम्प को ठीक कराने की कार्यवाही जल निगम द्वारा की जा रही है जिसे दो सप्ताह में ठीक कराकर चालू करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में खराब हैण्ड पम्पों की रीबोरिंग कराये जाने की मांग

18-डा0 रामबाबू हरित-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में 30 जून, 2004 तक कितने हैण्डपम्प स्थायी रूप से खराब पड़े हैं ? क्या सरकार इनकी रीबोरिंग कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो इनकी रीबोरिंग कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री राजपाल त्यागी)-

जनपद-आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में माह 30 जून, 2004 तक कुल 2384 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब थे।

जी हां।

जनपद-आगरा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की रीबोरिंग का कार्य कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के थाना कासिमपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

19-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के अन्तर्गत पुलिस थाना कासिमपुर में वर्तमान में नियुक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोपों विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र जून, 2004 के प्रथम सप्ताह में प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ जोन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर जांच कराकर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

थाना कासिमपुर में वर्तमान में नियुक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र जून, 2004 के प्रथम सप्ताह में प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही हेतु पुलिस महानिदेशक, लखनऊ को दिनांक 18-6-2004 को भेजा गया है। जांच हो रही है।

जनपद लखनऊ स्थित मोहल्ला फूलबाग वार्ड में सीवर एवं नालियों की सफाई कराये जाने की मांग

20-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहल्ला फूलबाग वार्ड नं0 4 के नजरबाग में पड़ने वाली सीवर एवं नालियों की सफाई न होने के कारण वहां के नागरिकों को गन्दगी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ला में नियमित सफाई की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नियमित सफाई करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्रीमती माया प्रसाद-

[4थे सोमवार के लिए स्थगित।]

जनपद अलीगढ़ के कतिपय मोहल्लों में सीवर एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

22-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के पलासहिबाबाद महेन्द्र नगर छावनी डोरीनगर, अम्बेडकर कालोनी रावण टीला से लगे 10-11 वार्डों में सीवर एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

नगर विकास विभाग में प्रश्नगत कार्यों हेतु अनुदान आधारित कोई योजना क्रियान्वित न होने एवं बजट प्राविधान न होने के कारण प्रश्नगत कार्यों पर विचार सम्भव नहीं है। नगर निगम अधिनियम, 1959 में विहित प्राविधानानुसार अवस्थापना सुविधाओं के विकास का दायित्व सम्बन्धित नगर निगम का है जिसे वे अपने स्वसंसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग/11वें वित्त आयोग द्वारा संक्रमित धनराशि से सम्पन्न कराते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत कार्यों के निर्माण कराये जाने पर विचार नगर निगम, अलीगढ़ द्वारा ही किया जा सकता है।

यह नगर निगम, अलीगढ़ की वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अलीगढ़ के नगरीय क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में वर्षा एवं गन्दे पानी के जल भराव की निकासी हेतु योजना पर विचार

चौधरी महेन्द्र सिंह-

23-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्लीगढ़ के नगरीय क्षेत्र के निचले क्षेत्रों में वर्षा एवं गन्दे पानी से जल भराव होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल निकासी हेतु कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां। धन उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर थाना जलालपुर में श्री शोभनाथ पुत्र श्री महेश राम द्वारा दर्ज मुकदमें पर कृत कार्यवाही

24-श्री जगदीश नारायण राय-

24-क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि श्री शोभनाथ पुत्र श्री महेश राम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-149/04 अन्तर्गत धारा 147, 452, 323, 504 भा0 द0 सं0 एवं 3(1) 10 एस0 सी0/एस0 टी0 ऐक्ट थाना जलालपुर में दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

थाना जलालपुर, जौनपुर पर मु0अ0सं0-149/04 अन्तर्गत धारा-147, 452, 393, 504 भा0द0वि0 एवं 3(1)10 एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट बनाम 1-लल्लू सिंह, 2-पुल्लू सिंह, 3-राना सिंह, 4-बेचू सिंह, 5-सुरेश सिंह, 6-विरेन्द्र सिंह, 7-राहुल सिंह पंजीकृत किया गया है। दौरान विवेचना राना सिंह एवं विरेन्द्र सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी। उक्त अभियोग में पांच अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15-6-2004 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री बृजभूषण सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज, जिला-जौनपुर के साथ अभद्र व्यवहार की थाना केराकत में दर्ज रिपोर्ट

25-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 22-5-04 को श्री दशरथ यादव, पूर्व ब्लाक प्रमुख एवं श्री बांकेलाल यादव, ग्राम प्रधान बगधरी द्वारा श्री बृज भूषण सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज, जिला जौनपुर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया एवं जान से मारने का प्रयास किया गया ? क्या यह सही है कि उक्त घटना की रिपोर्ट थाना केराकत के अन्तर्गत माह मई, 2004 में दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

दिनांक 24-5-2004 को थाना केराकत जौनपुर पर वादी श्री बृजभूषण सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, मुफ्तीगंज के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-198/04 धारा 352, 353, 186, 504, 506 भा0द0वि0 1-दशरथ यादव, 2-बांके लाल यादव, ग्राम्य प्रधान बगधरी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के मध्य प्रथम सूचना में अंकित गवाहान द्वारा उक्त प्रकार की कोई घटना न होने तथा मात्र कहासुनी होने की बात बतायी गयी तथा उक्त गवाहान द्वारा न्यायालय में भी इस आशय का शपथ-पत्र दिया गया जिसमें भी उक्त घटना से इन्कार करते हुए मात्र कहासुनी की बात बताई गयी। विवेचना से साक्ष्य के अभाव में विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 16-7-2004 को प्रेषित कर विवेचना समाप्त कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्धनगर के दादरी नगर में पेयजल हेतु अतिरिक्त टैंक/सीवर लाइन बनाने की मांग

26-श्री नवाब सिंह नागर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत दादरी नगर में पीने के पानी एवं सीवर निकासी की भारी समस्या है ? यदि हां, तो क्या सरकार पीने के पानी के लिये दो अतिरिक्त टैंक और सीवर लाइन बनाने की कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी नहीं। नगर विकास विभाग के आय-व्ययक में अनुदान आधारित कोई योजना क्रियान्वित नहीं है और न ही उक्त कार्यों हेतु धनराशि ही उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में शासन स्तर से उक्त कार्यों की स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप 01 अप्रैल, 1997 से किसी कार्य विशेष हेतु निकायों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था समाप्त हो गयी है। नगरपालिका अधिनियम, 1916 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत पेयजल व अन्य अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराना नगरीय निकायों का दायित्व है जिसे वे अपने संसाधनों अथवा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से सम्पन्न कराती है। ऐसी स्थिति में दादरी नगर में पीने के पानी एवं सीवर निकासी की समस्या के निदान हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार उपरोक्त कार्यों को प्राथमिकता निर्धारित करते हुए सम्पन्न कराने का दायित्व नगरपालिका परिषद्, दादरी का है।

जनपद-शाहजहांपुर में शीशम के पेड़ काटने संबंधी दर्ज रिपोर्ट

27-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विक्रम निवासी गोमिदपुर थाना कटरा, जनपद शाहजहांपुर के शीशम के पेड़ चोरों द्वारा काटे जाने की एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराने हेतु पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-94122/04, दिनांक 23-1-04 द्वारा वरिष्ट पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या एफ0 आई0 आर0 दर्ज कर दोषियों को दण्डित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत घटना के संबंध में मु0अ0सं0-141/04 धारा-379 भा0द0वि0 व 4/10 वन अधिनियम थाना-कटरा शाहजहांपुर पर पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान माल व मुल्जिमान का कोई पता न लगने पर अन्तिम रिपोर्ट सं0-13/04 दिनांक 17-7-04 को मा0 न्यायालय को प्रेपित की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में पुलिस सब इन्सपेक्टर/सिपाही की मानक के अनुसार तैनाती की मांग

28-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में पुलिस सब इन्सपेक्टर एवं सिपाही मानक के अनुसार कार्यरत हैं ? यदि नहीं तो मानक के अनुसार उनकी तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं। जनपद-शाहजहांपुर में मानक के अनुसार 167 के सापेक्ष 118 उप निरीक्षक ना0पु0 एवं 101 के सापेक्ष 971 आरक्षी ना0पु0 कार्यरत हैं।

उत्तरांचल से अवमुक्त होकर आने वाले उप निरीक्षकों के आधार पर तथा 39 आरक्षियों की नियुक्ति जो की जा चुकी है, के कार्यमुक्त होने पर रिक्तियां स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

कोआपरेटिव बैंक, गोरखपुर शाखा महराजगंज के खौंचा समिति में कतिपय धनराशि के गबन की जांच

29-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कोआपरेटिव बैंक गोरखपुर शाखा महराजगंज के खौंचा समिति में रु0 4.81 लाख का बैंक/समिति धन के गबन की जांच, बैंक मुख्यालय के वरिष्ट प्रबन्धक (लेखा) व वरिष्ट प्रबन्धक (विकास) द्वारा माह सितम्बर, 2002 तथा अपर जिला सहकारी अधिकारी, सदर महराजगंज द्वारा माह जुलाई, 2003 में करायी गयी थी ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा दोषी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जांच रिपोर्ट में श्री पी0एन0 वर्मा तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, शाखा परियरा एवं तत्कालीन प्रभारी सचिव साधन सहकारी समिति लि0, खौंचा श्री मकबूल अंसारी दोषी पाये गये हैं।

श्री अंसारी को प्रभारी सचिव पद से हटा दिया गया है। श्री पी0एन0 वर्मा, शाखा प्रबन्धक को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है तथा क्षतिपूर्ति के लिए 30 प्र0 सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा-68 के अन्तर्गत आदेश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद महानगर की जलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स की स्थापना

30-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर की जलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु क्या द्वितीय वाटर वर्क्स की स्थापना का विषय शासन के विचाराधीन लम्बित है ? क्या यह सही है कि इसके लिये पूर्व में कुछ धनराशि भी स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो द्वितीय वाटर वर्क्स का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

जी हां। प्रश्नगत योजना तीन चरणों में क्रियान्वित है, जिसके प्रथम चरण के अन्तर्गत रु0 95.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजना के कार्य जल निगम द्वारा करा लिये गये हैं।

द्वितीय वाटर वर्क्स एवं उससे संबंधित अन्य कार्यों हेतु अभी रु0 1744.00 लाख की आवश्यकता होगी। वर्तमान में उक्त कार्यों हेतु अनुदान आधारित कोई भी योजना नगर विकास विभाग में क्रियान्वित न होने के कारण उक्त की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संभव नहीं है। नगर निगम अधिनियम, 1959 में विहित प्राविधानानुसार प्रश्नगत कार्यों का दायित्व संबंधित निकाय का है जिसे वे अपने स्वसंसाधनों अथवा राज्य वित्त/11वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत संक्रमित धनराशि से सम्पन्न कराते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था का दायित्व नगर निगम, इलाहाबाद का है, जो उनकी वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सीतापुर में एस0जी0आर0वाई0 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में की गई अनियमितताओं संबंधी जांच

31-श्री रामहेत-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड मछरेहटा, जनपद सीतापुर में एस0 जी0 आर0 वाई0 के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में श्री राम किशोर बघेल, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, उ0 प्र0 का शिकायती-पत्र दिनांक 17-10-03/ 18-10-03 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा उक्त शिकायतों की जांच करायी गयी तथा जांच में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)-

श्री राम किशोर बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल उ0 प्र0 का शिकायती-पत्र दिनांक 17-10-2003 मुख्य विकास अधिकारी सीतापुर को तथा शिकायती-पत्र दिनांक 18-10-2003 शासन में प्राप्त हुआ है।

पत्र में उल्लिखित शिकायतों की प्रारम्भिक जांच मुख्य विकास अधिकारी, सीतापुर द्वारा गठित तीन सदस्यीय (अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड-सीतापुर, सहायक अभियन्ता, जिला-ग्राम्य विकास अभिकरण, सीतापुर एवं अभियन्ता जिला पंचायत, सीतापुर) जांच समिति द्वारा की गयी।

जांच में खण्ड विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं संबंधित कार्य प्रभारी दोषी पाये गये हैं। इनके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

पत्रकार, सहकारी आवास समिति, वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के संबंध में शिकायती-पत्र की जांच

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-3-04 को पत्रकार सहकारी आवास समिति पंजीकरण संख्या-1515, सेक्टर-5 वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सम्बन्ध में है, मा0 मुख्य मंत्री द्वारा आदेश संख्या-381/ सचिव-मु0मं0/2004, दिनांक 27-03-04 आयुक्त, आवास को दिये गये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मा0 विधायक के पत्र दिनांक 24-03-04 में उल्लिखित शिकायती बिन्दुओं की जांच उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा कराई गई। पत्रकार सहकारी आवास समिति, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के अभिलेखों के अनुसार शिकायत का कोई बिन्दु सही नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से कार्य कराये जाने के संबंध में पत्र

33-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-2-04 जो बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में था मुख्य मंत्री के पत्र संख्या-सी0 एम0/वि0 को0/एम-98122/2004 दिनांक 8-3-04 तथा सी0 एम0/वि0 को0/ एम-97211/ 2004, दिनांक 28-2-04 द्वारा प्रमुख सचिव, नियोजन को भेजा गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त पत्रों में प्रस्तावित कार्यों के आगणन/प्रस्ताव शासन के पत्र दिनांक 23-3-04 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी जालौन तथा मण्डलायुक्त, झांसी से मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में शस्त्र लाइसेन्स प्रदान किये जाने के संबंध में पत्र

34-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-95633/2004, दिनांक 16-2-04 जो पात्र व्यक्तियों को शस्त्र

लाइसेन्स प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में था, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उक्त पत्र जिलाधिकारी शाहजहांपुर के कार्यालय में दिनांक 23-2-2004 को प्राप्त हुआ जो कुल 44 व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेन्सों की स्वीकृति से संबंधित है जिनमें से दो नामों की पुनरावृत्ति है।

पत्र प्राप्ति के पश्चात लोक सभा निर्वाचन, 2004 के दौरान संबंधित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण नहीं किया गया। तदोपरान्त संबंधित शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों का परीक्षण किये जाने पर 39 मामलों में जांच आख्यायें पुरानी होने के कारण उन्हें पुनः जांच हेतु पुलिस अधीक्षक से संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेटों को भेज दिया गया है। इसके अलावा एक आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं हैं, एक आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम है तथा एक प्रार्थना-पत्र अप्राप्त है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी, पेन्शन आदि का भुगतान

35-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनकी सेवा- निवृत्ति के सामान्यतया कितने दिन बाद उनकी ग्रेच्युटी, पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर से दिनांक 31-5-96 को सेवानिवृत्त श्री जगदीश नन्दन, वरिष्ठ लिपिक की ग्रेच्युटी, पेंशन का क्या भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान परिवहन निगम स्तर पर बनायी गयी कार्य योजना के अनुरूप किया जा रहा है।

सेवा निवृत्त नान पेंशनेबुल कार्मिकों को उनके सेवा निवृत्त होने की तिथि पर 50 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान वर्तमान में किया जा रहा है। कार्य योजना के अन्तर्गत मई, 2002 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों को 100 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है। माह अगस्त, 2004 में जून, 2002 से अगस्त, 2002 तक माह सितम्बर, 2004 में सितम्बर, 2002 से नवम्बर, 2002 तक, माह अक्टूबर, 04 में दिसम्बर, 2002 से फरवरी, 03 तक सेवा निवृत्त कार्मिकों को 100 प्रतिशत ग्रेच्युटी का भुगतान किया जायेगा। इसी क्रम में आगे प्रत्येक माह लम्बित तीन-तीन माह का ग्रेच्युटी भुगतान किये जाने की कार्ययोजना है।

पेंशनेबुल पदों से सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के तुरन्त बाद पेंशन स्वीकृत हेतु प्रपत्र पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश अग्रसारित किये जाते हैं। पेंशन स्वीकृत कर पी0पी0ओ0 निर्गत करने की कार्यवाही पेंशन निदेशालय से की जा रही है। नान पेंशनेबुल पद के ऐसे कार्मिक जो ई0पी0एफ0 नियमों के तहत पेंशन हेतु विकल्प देते हैं उनके सेवानिवृत्ति के उपरान्त ई0पी0एफ0 के तहत पेंशन के प्रपत्र ई0पी0एफ0 कमिश्नर को प्रेषित किये जाते हैं जहां से सीधे कार्मिक को पेंशन का भुगतान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर से दिनांक 31 मई, 1996 को सेवानिवृत्त श्री जगदीश नन्दन, वरिष्ट लिपिक को ग्रेच्युटी मद में देय सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1,00000.00 (रुपया एक लाख मात्र) का भुगतान कर दिया गया है।

श्री जगदीश नन्दन वरिष्ठ लिपिक के अमेंशनयुक्त मन से सेवानिवृत्त हुए हैं अतः इन्हें नियमानुसार शासकीय कोष से पेंशन देय नहीं है और कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पेंशन के सदस्य न होने के कारण इस निधि के अन्तर्गत भी इन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मुन्सिफ न्यायालय, पट्टी की स्थापना की मांग

36-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सं0-70/01 द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मुन्सिफ न्यायालय, पट्टी की स्थापना करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना कर दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संविधान के अनुच्छेद-227 की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये किसी भी न्यायालय की स्थापना मा0 उच्च न्यायालय की सहमति तथा संस्तुति पर ही की जाती है। जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत मुन्सिफ न्यायालय, पट्टी की स्थापना हेतु मा0 उच्च न्यायालय ने सहमति नहीं दी है। अतः जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में उक्त न्यायालय की स्थापना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्र में विवाह मण्डप की स्थापना व निर्माण कार्य

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सं0-70/01 के तहत विवाह मण्डप का निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मण्डप का कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

विवाह मण्डप की स्थापना हेतु विवेकाधीन कोष से दि0 9-6-01 को रुपया 10.00 लाख देने की घोषणा की गयी थी जिसके सापेक्ष शासनादेश दि0 25-6-2001 के द्वारा रुपये 10.00 लाख उसके बाद शासनादेश दि0 18-8-01 द्वारा रुपया 5.00 लाख एवं शासनादेश दि0 19-9-01 द्वारा रु0 2.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल 17 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। इसके बाद मांगी गयी अतिरिक्त धनराशि रु0 7.00 लाख के दिये जाने के कोई आदेश नहीं हैं।

जी हां।

अवशेष कार्य सम्बन्धित नगर पंचायत द्वारा अपने संसाधनों से पूरा किया जाना है।

जनपद जालौन के थाना कोतवाली कालपी में मोनू की हत्या तथा आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता की मांग

38-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद जालौन के थाना कोतवाली कालपी में दिनांक 11-5-04 को मोनू नाम के 15 वर्षीय अनुसूचित जाति के बालक की हत्या राम सिंह यादव आदि अपराधियों द्वारा कर दी गयी थी, जिसका मुकदमा अपराध संख्या 144/04 धारा 302 भा0 द0 वि0/3(2) 5 एस0 सी0 एस0 टी0 ऐक्ट उक्त थाना में दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दिनांक 7-6-2004 को प्रेषित किया गया।

मृतक के आश्रितों को रुपया 75,000/- (पचहत्तर हजार) की आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

जनपद चित्रकूट में कतिपय ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध किये जाने की मांग

39-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद चित्रकूट में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम पिपरोदर, नोनार, बकता बुजुर्ग, जरिहा, बाबूपुर व प्रसिद्धपुर आदि गांवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु गुणवत्ता प्रभावित योजना के अन्तर्गत चयनित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त गांवों को स्वच्छ पेयजल कब तक उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जनपद-चित्रकूट में ग्राम-पिपरोदर, बक्ता बुजुर्ग, वरिहा, बाबूपुर व प्रसिद्धपुर आदि ग्रामों में योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य तथा ग्राम नोनार के हैण्डपम्पों के पानी की जांच का कार्य प्रगति पर है। गुणता प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धन उपलब्ध कराया जाता है। अतः प्रश्नगत ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

[दूसरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद प्रतापगढ़, नगर पंचायत पट्टी के विकास हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने की मांग

41-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी के विकास हेतु मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा सं0-70/2001 की गयी थी ? यदि हां, तो विकास हेतु क्या धनराशि उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद, बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर में अपूर्ण सीवर लाइन को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त कराये जाने की मांग

42-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाघम्बरी गद्दी, अल्लापुर (इलाहाबाद) में अपूर्ण सीवर लाइन को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7 जून, 2004 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रथम किश्त के त्रुटिपूर्ण उपभोग प्रमाण-पत्र के कारण स्थलीय जांच कराई गयी जिसमें स्पष्ट हुआ कि मूल रूप में स्वीकृत परियोजना को क्रियान्वयन के दौरान बदल दिया गया है अतः इस सम्बन्ध में कतिपय स्पष्टीकरण एवं संशोधित आगणन मण्डलायुक्त से मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, पवनपुरी आलमबाग, की कालोनी में गली नं0-6 में नाले की सफाई कराये जाने की मांग

43-श्री ओम प्रकाश गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पवनपुरी आलमबाग, लखनऊ कालोनी की गली नं0-6 में नाले की सफाई न होने के कारण जल भराव की समस्या बनी रहती है तथा बरसात होने पर घरों में पानी आ जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नाले की सफाई करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं। जलभराव की समस्या नही है।

उक्त नाले की सफाई करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, नगर पचायत पट्टी में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

44-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत पट्टी प्रतापगढ़ के लिये 50 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री का पत्र सी0एम0/वि0को0/एम/88266/03 दिनांक 20-10-03 प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

वर्तमान में नगर पंचायत, पट्टी के अन्तर्गत 220 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं एवं पाईप्ड पेयजल योजना द्वारा भी पेयजल उपलब्ध है। वर्तमान जनसंख्या 9000 हेतु मानक के अनुसार उपलब्ध पेयजल पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

45-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 13 मार्गों का निर्माण पूर्वान्चल विकास निधि राज्यांश से किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का आदेश सी0एम0/वि0को0/एम/85051/03, दिनांक 21-9-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को क्या प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी (प्रतापगढ़) की कतिपय सड़कों के निर्माण हेतु पत्र

46-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी (प्रतापगढ़) की कतिपय सड़कों का निर्माण कार्य पूर्वान्चल निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र सी0एम0/वि0को0/एम/86056/03, दिनांक 29-9-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उक्त पत्र में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल द्वारा वर्ष 1999-2000 से 2002-03 के मध्य शासन को प्रेषित 8 पत्रों का उल्लेख है। उक्त सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिये पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्गों के निर्माण हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

47-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के लिए पूर्वान्चल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत छः मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या- सी0एम0/वि0को0/एम/ 87700/03, दिनांक 13-10-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

संदर्भित 06 कार्यों हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि के उपभोग किये जाने से संबंधित उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण-पत्र त्रुटिपूर्ण होने एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न होने के कारण कार्यों की भौतिक प्रगति एवं सही उपभोग प्रमाण-पत्र मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में नाला निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु पत्र

48-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगरीय रोजगार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में नाला निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/88266/03, दिनांक 20-10-03 निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं, अपितु प्रश्नगत कार्य के संबंध में पत्र सं0-सी0एम0-वि0को0/एम0/88264/03 दिनांक 20-10-03 राज्य नागर विकास अभिकरण, उ0 प्र0 को प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-95 के रूप में उत्तर दिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय श्री नुजहत अली सेवानिवृत्त पी0 सी0 एस0 अधिकारी की पत्नी श्रीमती शफकत फातिमा को पारिवारिक पेंशन का भुगतान

49-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोषाधिकारी, सोनभद्र के पत्र संख्या-152/को0 सो0/2004-05, दिनांक 14 मई, 2004, जो वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई को सम्बोधित है, के द्वारा स्व0 श्री नुज़हत अली सेवानिवृत्त पी0सी0एस0 अधिकारी की पत्नी श्रीमती शफकत फातिमा की पारिवारिक पेंशन को संशोधन करके समस्त देयों का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया है ? यदि हां, तो वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्रीमती शफकत फातिमा की पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उनके समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरदोई की सूचना के अनुसार प्रश्नगत पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

स्व0 श्री नुजहत अली पी0 सी0 एस0, जो वर्ष 1974 में सेवानिवृत्त हुये हैं, की पत्नी श्रीमती शफकत फातिमा के पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में जिलाधिकारी सोनभद्र के पत्र दिनांक 9-6-2004 द्वारा स्व0 अली द्वारा अंतिम आहरित वेतन के समतुल्य दिनांक 01-01-1996 से देय वेतन का विवरण मांगा गया है। उक्त विवरण/परामर्श हेतु पत्रावली वित्त विभाग को सन्दर्भित की गयी है। वित्त विभाग से विवरण/परामर्श प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद फतेहपुर कोतवाली की चौकी समसाबाद में तैनात सब इन्सपेक्टर श्री लाल बहादुर सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट

50-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फतेहपुर कोतवाली की चौकी समसाबाद में तैनात सब इंसपेक्टर श्री लालबहादुर सिंह दिनांक 19-12-2001 से लापता हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर की आख्यानुसार श्री लाल बहादुर सिंह, उप निरीक्षक ने दिनांक 20-12-01 तक राजकीय कार्यों का सम्पादन किया। इसके पश्चात् थाने पर उपस्थित नहीं पाये गये। पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर के आदेश दि0 25-12-2001 द्वारा इनकी ड्यूटी माघ मेला 2001-2002 हेतु लगाई गई थी। यह ड्यूटी दिनांक 27-12-2001 से मेला की समाप्ति के लिये थी। दि0 27-12-01 को उनको अनुपस्थिति में माघ मेला, इलाहाबाद के लिये रवानगी की गयी। उक्त उ0 नि0 के माघ मेला न पहुंचने की जानकारी होने पर सभी सम्भावित स्थानों पर तलाश कराई गई। इसके अतिरिक्त पत्र सं0-डी0सी0आर0वी0/तलाश/गुमशुदा-18/2002 दि0 25-5-02 द्वारा गुमशुदा का विवरण, फोटो, हुलिया व निवास स्थानों का विवरण अंकित करते हुये सभी संबंधित को तलाश गश्ती की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई।

श्रीमती सुधा सिंह पत्नी श्री लाल बहादुर सिंह के प्रार्थना-पत्र के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर से जांच कराई गई। जांच के आधार पर दिनांक 18-5-02 को थाना कोतवाली फतेहपुर पर मु0 अ0 सं0-242/02 धारा-29 पुलिस अधि0 पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी जाफरगंज द्वारा की गई। दिनांक 09-12-02 के द्वारा अंतिम रिपोर्ट विवेचना समाप्त की गई।

प्रश्नगत मामले में श्रीमती सुधा सिंह पत्नी श्री लाल बहादुर सिंह द्वारा दायर रिट याचिका सं0-33852/02 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-04 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 29-3-04 द्वारा सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से प्रकरण की जांच/विवेचना कराने के आदेश दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर वि0स0 क्षेत्र राजगढ़ में हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की मांग

51-श्री अनिल कुमार मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर विधान सभा क्षेत्र राजगढ़ में वर्ष 2003-04 में आवंटित 100 हैण्डपम्पो का क्या अधिष्ठापन करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस एजेन्सी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र-राजगढ़ में वर्ष 2003-04 में अधिष्ठापित होने वाले हैण्डपम्पों की लागत का 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान की धनराशि प्राप्त न होने के कारण हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन नहीं कराया जा सका है।

52-श्री अनिल कुमार मौर्य-

[दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-11 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

शाहजहांपुर में नजूल की भूमि को फ्रीहोल्ड करने हेतु पत्र

53-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर में नजूल की भूमि को फ्री होल्ड करने हेतु कितने प्रार्थना-पत्र पिछले 3 वर्षों में प्राप्त हुए हैं तथा उसमें कितने निस्तारित हुए तथा वर्तमान में कितने प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं ? उससे कितना धन सरकार को प्राप्त हुआ ? उनको कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने हेतु पिछले 3 वर्षों में कुल 93 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिसमें से 27 आवेदन-पत्र निस्तारित हो चुके हैं तथा वर्तमान में 66 आवेदन-पत्र लम्बित हैं।

27 आवेदन-पत्रों के निस्तारण से रु0 30,91,961.00 की धनराशि प्राप्त हुई।

वर्तमान में लागू नजूल फ्रीहोल्ड सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2873/9-आ0-4-02-152 एन/2000 टी0सी0, दिनांक 10-12-2002 का क्रियान्वयन मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या 11363/2003 विचित्र वीर सिंह तथा अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-3-2003 द्वारा स्थगित कर दिया गया है जिसके कारण लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण नही किया जा रहा है। मा0 न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 12-3-2003 के अपास्त होने के पश्चात् ही लम्बित आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जल निगम में दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे कतिपय कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

54-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम में लगभग 15 वर्षों से लगभग 3000/- हजार कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

पदों की अनुपलब्धता के कारण इन कर्मचारियों को विनियमित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ वि0 स0 क्षेत्र पट्टी में कतिपय मार्गों को स्वीकृत करने तथा अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने संबंधी पत्र

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश सी0 एम0 / वि0 को0/ एम/98106/04 दिनांक 8-3-04 जो विधान सभा पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में 15 मार्गों को स्वीकृत करने एवं अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है, प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

ऐसे आगणन जो उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं होते वे व्यपगत हो जाते हैं। अवशेष धनराशि दिये जाने के प्रकरण विचाराधीन हैं।

जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृति के सम्बन्ध में पत्र

56-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या ख-2/997611 दिनांक 11-6-04 संलग्नकों सहित जो जनपद प्रतापगढ़ के 10 से अधिक लोगों के शस्त्र लाइसेंस वर्षों से स्वीकृत न होने के सम्बन्ध में था मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेश के साथ प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़, विधान सभा क्षेत्र पट्टी की तीन परियोजनाओं को स्वीकृत करने तथा आगणन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने संबंधी पत्र

57-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी की तीन परियोजनाओं को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत करने एवं आगणन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0 एम0 / वि0 को0/ एम/85048/03 दिनांक 21-9-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मा0 मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/85048/03 दिनांक 21-3-2003 नहीं, अपितु पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/45048/03 दिनांक 21-9-2003 नियोजन विभाग में प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में उल्लिखित तीन परियोजनाओं के आगणन मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ तथा आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल से मांगे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्तरांचल राज्य भेजने की कार्यवाही

58-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल और उ0 प्र0 सरकार के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत स्थानीय निकाय निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ में कार्यरत कुछ कर्मचारियों/अधिकारियों को उत्तरांचल राज्य भेजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को कब तक उत्तरांचल राज्य भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त कर्मचारियों को उत्तरांचल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजाजीपुरम् कालोनी, लखनऊ की मलिन बस्तियों में नाली, खडन्जा आदि बनाये जाने विषयक पत्र

59-डा0 पूर्णमासी देहार्ती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाजीपुरम् कालोनी लखनऊ की मलिन बस्तियों में नाली, खड़न्जा आदि बनाये जाने विषयक नगर विकास मंत्री का पत्र संख्या-52/वी0आई0पी0 दिनांक 6-1-04 नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

यह क्षेत्र अनाधिकृत रूप से बसी कालोनी है। इस क्षेत्र का भू-विन्यास विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं है। इसके विकास का दायित्व संबंधित कालोनाइजर का है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के अर्बन कोआपरेटिव बैंक की सेवा शर्तें एवं वेतनमान

60-श्री अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के वर्तमान में कितने प्राइमरी/अर्बन कोआपरेटिव बैंक, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में हैं ? क्या इन सभी प्राइमरी/अर्बन कोआपरेटिव बैंकों में उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली, 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवा शर्तें एवं वेतनमान लागू किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त बैंकों में सेवा शर्तें एवं वेतनमान कब तक लागू कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनपद कानपुर के 6 अर्बन कोआपरेटिव बैंक उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल के अधिकार क्षेत्र में है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवा शर्तें लागू हैं। वेतनमान का उल्लेख विनियमावली में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़, थाना आसपुर देवसरा के ग्राम रामगंज निवासी केशकर कौशल एवं संजय कौशल के विरुद्ध दर्ज अपराधिक मुकदमें एवं जांच किये जाने संबंधी पत्र

61-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ थाना आसपुर देवसरा के ग्राम रामगंज निवासी केशकर कौशल एवं संजय कौशल तथा अन्य जिनका आपराधिक इतिहास है के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम/97801/04 दिनांक 4-3-04 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। उक्त पत्र सर्वश्री केशकर कौशल एवं संजय कौशल, ग्राम रामगंज, थाना आसपुर देवसरा, जिला प्रतापगढ़ के विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज होने के बावजूद उनके द्वारा शस्त्र लाइसेन्स प्राप्त करने का प्रयास किये जाने से संबंधित है। पत्र में उक्त के अलावा अन्य कोई नाम अंकित नहीं है।

श्री केशकर कौशल का अपराधिक वृत्त संज्ञान में आया है इसलिये इन्हें वांछित शस्त्र नहीं दिया गया है। श्री संजय कौशल का अपराधिक इतिहास है परन्तु इनके द्वारा शस्त्र ा कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में ग्रामों का विद्युतीकरण

62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा में 15 से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0 एम0 / वि0 को0/ एम/98102/04 दिनांक 8-3-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़/मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से आगणन प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ एवं शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ में तैनात सहायक निदेशक/उप निदेशक का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण नीति

63-श्री द्वारिका प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग लखनऊ एवं शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ, में तैनात सहायक निदेशक/उप निदेशक कितने वर्षों से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं ? क्या स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत इनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ में कार्यरत सहायक निदेशक/उप निदेशक के तैनाती का विवरण निम्नवत् है :-

अधिकारी का नाम	तैनाती की तिथि
1-श्री ओम प्रकाश, उप निदेशक।	दि0 10-12-03 से
2-श्री बी0 के0 सिंह, उप निदेशक।	दि0 24-7-01 से
3-श्री अशोक कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक।	दि0 5-1-93 से
4-श्री सुनील कुमार पाण्डेय, सहायक निदेशक।	दि0 26-12-96 से
5-श्री राकेश अवस्थी, सहायक निदेशक।	दि0 6-7-04 से

राजकीय मुद्रणालय, शाखा हजरतगंज, लखनऊ में कार्यरत सहायक निदेशक/उपनिदेशक के तैनाती का विवरण निम्नवत् है :-

1-श्री सै0 जरगाम हैदर जैदी, उप निदेशक।	दि0 1-7-97 से
2-श्री राजेश चन्द्र श्रीवास्तव, सहायक निदेशक।	दि0 6-7-04 से

जी नहीं।

स्थानान्तरण नीति-2004 में निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण किया जा चुका है। स्थानान्तरण नीति में निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा के शिथिलीकरण का कोई औचित्य नहीं पाया गया।

सेवानिवृत्त उप कोषाधिकारी श्री धर्मजीत दुबे को सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान

64-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री धर्मजीत दुबे जो उप कोषाधिकारी के पद से वर्ष 1997 में सेवानिवृत्त हो गए थे, क्या उनके समस्त सेवानैवृत्तिक लाभों का भुगतान उन्हें कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री धर्मजीत दुबे, जो उप कोषाधिकारी के पद से दिनांक 31-7-97 को सेवानिवृत्त हुये थे, को अनन्तिम पेंशन, जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण आदि देयकों का भुगतान विभिन्न तिथियों में हो चुका है एवं बाद में पेंशन निदेशालय द्वारा पेंशन स्वीकृत होने पर प्रथम पेंशन का भुगतान भी अपर कोषाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 14-10-98 को किया जा चुका है।

श्री धर्मजीत दुबे को मात्र पुनरीक्षित राशिकरण रु0 1,50,875/- का भुगतान होना ही शेष है। श्री धर्मजीत दुबे तत्कालीन बिल पारण लिपिक कोषागार मिर्जापुर (सेवानिवृत्त उप कोषाधिकारी जनपद सोनभद्र) द्वारा दिनांक 17-4-78 को श्री के0 पी0 सिंह के पक्ष में पारित जी0 पी0 एफ0 बिल रु0 4,175/- का भुगतान अपराध शाखा ई0 ओ0 डब्लू0 की जांच में फर्जी एवं त्रुटिपूर्ण प्राधिकार पत्र के आधार पर किया जाना सिद्ध हुआ। अतः श्री दुबे के विरुद्ध उक्त प्रकरण में प्रचलित विभागीय कार्यवाही के कारण उक्त पुनरीक्षित राशिकरण की धनराशि रु0 1,50,875/- का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री भारत यादव, जिला विकास अधिकारी, झांसी से कनिष्ठ अधिकारी की प्रोन्नति मुख्य विकास अधिकारी के पद पर किये जाने की जांच

65-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री भारत यादव, जिला विकास अधिकारी, झांसी से कनिष्ट अधिकारी श्री अब्दुल रज्जाक मलिक एवं श्री मूल सजीवन त्रिपाठी को दिनांक 16-11-1999 को मुख्य विकास अधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

श्री अब्दुल रज्जाक मलिक एवं श्री मूल सजीवन त्रिपाठी की प्रोन्नति हेतु विभागीय चयन समिति की बैठक आहूत की गयी थी, उक्त बैठक में श्री भारत यादव के नाम पर भी विचार किया गया, किन्तु उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण चयन समिति द्वारा उनका लिफाफा बन्द किये जाने की संस्तुति की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये सड़कों तथा अन्य कार्य को स्वीकृत किये जाने का आगणन

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी के लिए 8 सड़कों तथा अन्य कार्य को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0 एम0/ वि0 को0/ एम/92731/03 एवं 92732 दिनांक 31-12-03 एवं 92741, 92743/04 दिनांक 1-1-04 एवं पत्र सं0-92956/04 दिनांक 4-1-04, 93633/04 दिनांक 15-1-04 तथा 93760/04 दिनांक 17-1-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत पत्रों में अपेक्षित परियोजनाओं के आगणन मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 6-7-04 द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये हैं। प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि से सम्पादित किये जा रहे कार्यों को अर्थ एवं संख्या कार्यालय द्वारा सम्पन्न कराये जाने हेतु पत्र

67-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को जिला अर्थ एवं संख्या कार्यालय द्वारा सम्पन्न कराये जाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/ एम/92447/03 दिनांक 26-12-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पूर्वांचल विकास निधि से सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को जनपद स्तर पर संख्याधिकारी द्वारा समन्वय बनाये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-91/35-5-99-यू0ओ0-87/35-2-98, दिनांक 13-1-99 की व्यवस्था लागू है।

भवनों के गृहकर में अस्थायी छूट की व्यवस्था संबंधी शासनादेश का निरस्तीकरण

68-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि भवनों के गृहकर में क्रमशः 25%, 20% तथा 15% की छूट दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 5-12-2003 शासन द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2004 को वापस ले लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उसे पुनः लागू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां, नगर निगम अधिनियम की व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण अस्थायी छूट की व्यवस्था को निरस्त किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री उमाशंकर कुशवाहा-

[दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना मऊरानीपुर, जिला झांसी में श्री कल्लू पाठक के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

70-श्री प्रागी लाल अहिरवार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-मऊरानीपुर जिला झांसी में मुकदमा अपराध सं0 910/03 धारा 452, 323, 376, 506, 312, 313, 120 बी0 भा0द0वि0 कल्लू

पाठक आदि के खिलाफ दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उसकी विवेचना पूरी करके मुकदमा न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

जी हां। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-294/03 दिनांक 31-10-03 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आगणन प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में पत्र

71-श्री बाबू लाल कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त चित्रकूट धाम मण्डल बांदा द्वारा विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग-5 उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित पत्रांक-225/सं0 वि0आ0/वु0वि0-वि0-राज्यांश बांदा 2003-04 दिनांक 20-8-2003 जो 11 परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु आगणन प्रस्ताव प्राप्त करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

प्रश्नगत 11 परियोजनाओं के प्राप्त आगणन यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 बांदा के हैं, जो शासनादेश सं0-150/35-5-04-8(74)2000-170, दिनांक 8 फरवरी, 2004 में दी गयी व्यवस्थानुसार बुन्देलखण्ड विकास निधि से आच्छादित कार्यों के लिये कार्यदायी संस्था नामित नहीं है। अतः इन प्रस्तावों पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के रिक्त विकास खण्ड का प्रभार निकटवर्ती विकास खण्डों के अधिकारियों को दिये जाने की मांग

72-श्री उमाशंकर कुशवाहा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद गाजीपुर में रिक्त विकास खण्ड का प्रभार निकटवर्ती विकास खण्डों के अधिकारियों अथवा प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां। जनपद गाजीपुर में 16 विकास खण्डों के सापेक्ष 07 खण्ड विकास अधिकारी तैनात हैं। 09 रिक्त विकास खण्डों में से 07 विकास खण्डों का अतिरिक्त प्रभार कार्यरत 07 खण्ड विकास अधिकारियों एवं 02 रिक्त विकास खण्डों का अतिरिक्त प्रभार प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गार्जीपुर को दे दिया गया है।

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की शान्तिपुरम् आवासीय योजना हेतु भूमि का अधिग्रहण तथा मुआवजा

73-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने शांतिपुरम् आवास योजना हेतु ग्राम फाफामऊ, तहसील व परगना सोरांव जनपद इलाहाबाद की 344 बीघा 10 बिस्वा 2 धुर भूमि का अधिग्रहण 1990-91 में किया गया था ? क्या यह सही है कि 12 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक अवार्ड घोषित नहीं किया गया है ? क्या भूमि अध्याप्ति अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पूर्ण मुआवजे की धनराशि ब्याज सहित सभी किसानों को दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार उक्त अधिग्रहीत भूमि का अवार्ड घोषित करके, किसानों को सम्पूर्ण मुआवजा ब्याज सहित कब तक भुगतान करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण की शान्तीपुरम् आवासीय योजना हेतु ग्राम-फाफामऊ, तहसील व परगना-सोराव, जनपद-इलाहाबाद की कुल 348-9-8 बीघे भूमि के अधिग्रहण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम 1894 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

प्रश्नगत अधिग्रहीत भूमि का अभिनिर्णय दिनांक 18-11-03 को घोषित कर दिया गया है।

जिलाधिकारी, इलाहाबाद को वांछित समस्त धनराशि का भुगतान इलाहाबाद विकास प्राकिरण द्वारा किया जा चुका है, जिसके विरुद्ध जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा अभिनिर्णीत धनराशि रु0 4,72,07,799.94 के विरुद्ध अब तक अग्रिम के रूप में रु0 1,92,00,000.00 तथा अभिनिर्णय के पश्चात् मुआवजा रु0 1,05,00,000.00 (कुल रु0 2,97,00,000.00) का भुगतान ब्याज सहित काश्तकारों को किया जा चुका है। शेष काश्तकारों का प्रतिकर भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

विकास खण्ड सिधौली, जैतीपुर तथा खुदागंज जिला शाहजहांपुर से पौधे के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्रेषित पत्र

74-श्री रियाज अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 शर्बाहुल हसन (सदस्य) बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति लखनऊ उ0प्र0 सरकार द्वारा विकास खण्ड-सिधौली/ जैतीपुर तथा खुदागंज जिला-शाहजहांपुर से पौधों के भुगतान के संबंध में जिलाधिकारी शाहजहांपुर को प्रेषित पत्रांक सं0-205/2001 दिनांक 17-8-2001 के पत्रों में अंकित भुगतान से सम्बन्धित प्रकरण की जांच तत्कालीन परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अभिकरण शाहजहांपुर उ0प्र0 से करायी गयी थी, जिन्होंने अपने पत्र सं0-1639 दिनांक 13-9-2001 द्वारा सूचित किया था कि शिकायती-पत्र के निस्तारण के लिए जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड अधिकारियों जैतीपुर/सिधौली एवं खुदागंज को कार्यालय पत्रांक सं0-1636 दिनांक 13-9-2001 को भुगतान करने के निर्देश निर्गत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उक्त फर्म का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ त्यागी-

जी हां, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण शाहजहांपुर से पत्र दिनांक 13-9-01 द्वारा संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों को उक्त फर्म का भुगतान यदि अवशेष हो तो नियमानुसार कराने के निर्देश दिये थे।

जी नहीं।

पौधों की आपूर्ति हेतु नर्फीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ का विकास खण्ड कार्यालयों अथवा अन्य किसी जिला स्तरीय कार्यालय से कोई आपूर्ति आदेश निर्गत नहीं किया गया है। बिना किसी आदेश के पौधों की आपूर्ति का भुगतान विकास खण्ड कार्यालयों से किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के मार्गों, पुलों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के 35 मार्गों, पुलों के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आगणन जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा पत्र संख्या 658/पू0वि0नि0 नि0-राज्यांश/04-05 दिनांक 8-6-04 संयुक्त विकास आयुक्त तथा विशेष सचिव नियोजन-5 को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के पत्रांक 65, दिनांक 8-6-04 के सन्दर्भ में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के पत्रांक 404, दिनांक 6-7-2004 द्वारा 33 कार्यों के आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये गये हैं तथा 02 कार्यों के आगणन में प्रस्तावित लागत रु0 10.00 लाख से कम होने के कारण आयुक्त, इलाहाबाद, मण्डल द्वारा जनपद को वापस कर दिये गये हैं।

प्रस्ताव विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

शादी विवाह के अवसर पर की जाने वाली हवाई फायरिंग पर रोक की मांग

76-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शादी-विवाह के अवसर पर की जाने वाली हवाई फायरिंग पर रोक लगाये जाने हेतु क्या सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां। इस बारे में आवश्यक प्राविधान शस्त्र लाइसेन्स प्रपत्र 111 की शर्त संख्या-5 में विद्यमान है जिसके उल्लंघन पर आयुध अधिनियम की धारा-17 (3) (डी) के अन्तर्गत लाइसेन्स निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है जिसके अनुपालन हेतु आवश्यक निर्देश भी प्रसारित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ स्थित झण्डेवाला पार्क को विकसित/सौन्दर्यीकरण किये जाने की मांग

77-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित झण्डेवाला पार्क जिसे मा0 उच्च न्यायालय ने व्यावसायिक केन्द्र बनाने से मुक्त कराया था, को पार्क के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

पार्क विकसित है। इसका और सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री विद्या सागर गुप्ता-

[तीसरे मंगलवार के अता0प्र0सं0-9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में लगे हैण्डपम्प

79-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में कुल कितने हैण्डपम्प लगे हैं उसमें कितने कार्यरत हैं तथा कितने खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी-

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र-बिन्दकी में कुल 3068 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। जिसमें 2867 हैण्डपम्प कार्यरत हैं, 115 स्थाई रूप से एवं 86 अस्थाई रूप से कुल 201 हैण्डपम्प खराब हैं।

अस्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत/रखरखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। 115 नग स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को 2 माह के अन्दर ठीक करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरी शंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मोहर्रिर,नगर निगम जोन-5 के पेंशन का भुगतान किये जाने संबंधी पत्र

80-श्री बैजनाथ दुबे-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री हरी शंकर श्रीवास्तव जो नगर निगम, कानपुर के जोन-5 में मोहर्रिर के पद से वर्ष 1993 में सेवानिवृत्त हुए थे, उनको पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? क्या इस संबंध में डा0 कौशल किशोर, सदस्य, विधान सभा का पत्र सं0 2215 दिनांक 23 जून, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जी हां।

श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मोहर्रिर, नगर निगम जोन-5 के नवम्बर, 03 से जून, 04 तक बकाये पेंशन का भुगतान रु0 21480.00 दिनांक 16-07-2004 को उनके खाते में कर दिया गया है।

हजरतगंज, लखनऊ में पार्किंग सुविधा हेतु हजरतगंज थाने को स्थानान्तरित करने की मांग

81-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हजरतगंज, लखनऊ में पार्किंग सुविधा हेतु हजरतगंज थाने को स्थानान्तरित कर वहां पार्किंग स्थल बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पार्किंग स्थल कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मार्ग तथा पेयजल योजना के प्रस्ताव पर कृत कार्यवाही

82-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के 2 मार्ग तथा 5 पेयजल योजना के प्रस्ताव आगणन प्रस्तुत करने हेतु नियोजन अनुभाग-5 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एम0 26/35-5-03, दिनांक 21-2-03 एवं एम0 94/35-5-03, दिनांक 10-2-03 जो मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित तथा आयुक्त, इलाहाबाद को पृष्ठांकित है फैक्स द्वारा 21-2-04 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

पत्र सं0-एम0 26/35-5-03 दि0 21-2-03 द्वारा 7 परियोजनाओं के आगणन मांगे गये थे। जिनमें से पेयजल संबंधी 05 परियोजनाओं के आगणन मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये हैं जो विचाराधीन है। अन्य परियोजनाओं के आगणन प्राप्त नहीं हुए हैं। किन्तु जनपद स्तर से प्राप्त आख्या के अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि से "अशोकपुर" असुडी मार्ग पर पुल उ0 प्र0 राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन है।

पत्र सं0-94/35-5-03, दि0 10-2-03 द्वारा 3 परियोजनाओं के आगणन मांगे गये थे जिनमें से 01 परियोजना की लागत रु0 10.00 लाख से कम होने के दृष्टिगत मण्डलायुक्त, इलाहाबाद द्वारा आगणन जनपद को वापस कर दिये गये। 02 परियोजनाओं के आगणन तैयार कराये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के मार्गों के निर्माण विषयक प्रकरण

83-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित मार्गों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-एम0 1271/35-5-03, दिनांक 5-8-03, संख्या-1646/35-5-03,

दिनांक 8-10-03, संख्या-1964 135-5-04, दि0 3-1-04 एवं 1967/35-5-03 दिनांक 9-1-04 द्वारा पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृति हेतु आगणन प्रेषित किये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री के आदेश मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त आदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

उक्त पत्रों द्वारा कुल 43 कार्यों के आगणन मांगे गये थे। जिलाधिकारी के पत्र संख्या-658 दिनांक 08-06-04 द्वारा 35 परियोजनाओं के आगणन स्वीकृति हेतु संयुक्त विकास आयुक्त, इलाहाबाद को भेजे गये। तत्क्रम में आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद के पत्र संख्या-404/पू0रा0प्रता0-सं0वि0आ0-86/2004-05, दिनांक 06-07-04 द्वारा 33 परियोजनाओं के आगणन स्वीकृति हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये हैं। 02 परियोजनायें रु0 10.00 लाख से कम की होने के कारण मण्डलायुक्त द्वारा जनपद को वापस कर दी गयी हैं। अवशेष 08 कार्यों के आगणन लो0नि0वि0 प्रान्तीय खण्ड, प्रतापगढ़ से जनपद को प्राप्त नहीं हो सके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में कतिपय क्षेत्रों में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु कार्य योजना की मांग

84-डा0 राम बाबू हरित-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा पश्चिमी विधान सभा क्षेत्र में छिपैटी, गोकुलपुरा राजामण्डी, मंसादेवी, अशोकनगर में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

संबंधित क्षेत्र "ताज ट्रेपेजियम कार्यक्रम" के अन्तर्गत विरचित आगरा पुनर्गठन योजना में सम्मिलित है, जिसमें पानी का दबाव बढ़ाने हेतु जोनल पम्पिंग स्टेशन का सुदृढ़ीकरण एवं वितरण प्रणाली बिछाने का प्राविधान किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक, नौहझील, जिला मथुरा के शाखा प्रबन्धक श्री राकेश बाबू के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

85-श्री प्रेम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पूर्व विधायक, मांट मथुरा कुशलपाल सिंह ने दिनांक 3-6-04 को उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक, नौहझील, जिला मथुरा के शाखा प्रबन्धक श्री राकेश बाबू के खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां।

शिकायती-पत्र की जांच क्षेत्रीय प्रबन्धक-अलीगढ़ से कराई गई। शिकायती-पत्र में किसी व्यक्ति विशेष अथवा घटना का उल्लेख न होने तथा सामान्य प्रकृति का होने के कारण शिकायत की पुष्टि नहीं हो सकी। शाखा प्रबन्धक का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

86-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम दियूरा, विकास खण्ड मदनापुर में लगे इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक पत्र

87-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम दियूरा विकास खण्ड मदनापुर में लगे इंडिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक आपका पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-/95149/2004, दिनांक 10-2-04 प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्ध निदेशक द्वारा हैण्डपम्पों को ठीक करवा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब ठीक करवाया गया है ?

श्री राजपाल त्यागी-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-शाहजहांपुर के ग्राम दियूरा, विकास खण्ड-मदनापुर में अधिष्ठापित हैण्डपम्प की चेन खराब थी जिसे माह मार्च, 2004 में ठीक कराया जा चुका है।

जनपद सिद्धार्थनगर में थाना कोतवाली बांसी में तैनात श्री शिवदास यादव प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध आरोपों की जांच

88-श्री जय प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर (उ0 प्र0) में थाना कोतवाली बांसी में वर्तमान में तैनात श्री शिवदास यादव, प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-12-2003 तथा 9-6-2004 उन्हें प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

श्री शिवदास यादव, प्रभारी निरीक्षक के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 15-12-2003 तथा 9-6-2004 प्राप्त होना नहीं पाया गया है बल्कि माननीय सदस्य का पत्र 05-12-2003 एवं 7-6-2004 पुलिस उप महानिरीक्षक, बस्ती को प्राप्त हुये थे जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच करायी गयी तथा जांच से इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनायें

89-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 2002 से 1 जुलाई, 2004 तक जनपद-प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से कौन-कौन

से मार्ग स्वीकृत किये गये हैं ? उनमें से कौन-कौन से मार्ग अभी अधूरे हैं ? क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

उक्त अवधि में विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत निम्नलिखित 04 परियोजनायें स्वीकृत की गयी हैं:-

1-अरैल भाटपट्टी महरूपुर मार्ग निर्माण व पीली नदी पर पुल निर्माण।

2-रूरे से लालगंज मार्ग का निर्माण।

3-सरसतपुर रमईपुरनेवादा मार्ग का निर्माण।

4-भीखमपुर तलियानी लखनूडीह सम्पर्क मार्ग का निर्माण।

उक्त सभी कार्य अभी अपूर्ण हैं।

उक्त कार्य हेतु पूर्व में अवमुक्त धनराशि का उपभोग कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि की मांग का प्रस्ताव जनपद से प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

90-श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

[दूसरे मंगलवार के अता0 प्र0 सं0-13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ रेन्ज में हत्या, अपहरण, डकैती व लूट की घटनायें

91-श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ रेंज में माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 2004 में हत्या, अपहरण, डकैती और लूट की कितनी घटनायें पंजीकृत की गयीं ? क्या यह सही है कि विगत वर्ष 2003 में उक्त अवधि के अपेक्षाकृत अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

लखनऊ रेंज में माह जनवरी, से जून, 2004 तक हुई हत्या, अपहरण, डकैती व लूट की घटनाओं की संख्या निम्नवत् है:-

माह	हत्या	अपहरण	डकैती	लूट
जनवरी	53	01	01	21
फरवरी	38	01	03	19
मार्च	77	00	03	18
अप्रैल	49	00	00	16
मई	64	01	00	19
जून	60	01	03	27

जी हां।

अपराध नियंत्रण हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र के स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की जाती है और शिथिल थाना प्रभारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाता है। हत्या के अपराध की रोकथाम हेतु भूमि विवाद व अन्य रंजिश के कारणों का पता लगा कर चिन्हित करके संबंधित पक्षों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही कराई जाती है। महत्वपूर्ण लूट/डकैती की घटनाओं का मौके पर निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता है तथा इन अपराधों की रोकथाम हेतु जनपदों में अलग से एस0ओ0जी0 टीम गठित की गयी है। इसी प्रकार फिरौती हेतु अपहरण एवं भय दोहन की घटनाओं के नियंत्रण हेतु जनपदों में एण्टी किडनैपिंग तथा एण्टी एक्सटार्सन सेल का गठन कराया गया है। अपराधों के नियंत्रण हेतु एक माह का विशेष अभियान चलाया गया जिसमें अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित विधायक निवास-4, रायल होटल में सीवर लाइन को बदलवाने पर विचार

92-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद-लखनऊ में स्थित विधायक निवास-4 रायल होटल की सीवर लाइन बन्द है, जिससे वहां के अध्यासियों को परेशानी पड़ रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सीवर लाइन को बदलवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधायक निवास-4, रायल होटल की सीवर लाइन जाम नहीं है, किन्तु ढाल सही न होने के कारण एवं कम क्षमता तथा बहुत पुरानी होने के कारण यह चोक हो जाती है। सीवर लाइन चोक होने पर तत्काल सफाई करा दी जाती है।

सीवर लाइन बदलने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान भवन परिसर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर छतरी लगाने की मांग

93-डा0 अजय कुमार-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान भवन परिसर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर छतरी न होने के कारण प्रतिमा खराब हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिमा पर छतरी लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी नहीं।

विधान भवन परिसर में स्थापित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर छतरी लगाने के प्रकरण पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर स्थित चर्च रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ की आबादी की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की मांग

94-श्री रमापति उर्फ रमाकान्त-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गार्जीपुर स्थित चर्च रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ के निवासियों का पत्र दिनांक 12-1-2004 जो ग्राम की आबादी की भूमि, तालाब की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित खसरा संख्याओं में से मात्र खसरा संख्या-19 ही नगर निगम में निहित है जिस पर कोई अवैध कब्जा न होने के कारण अवैध कब्जे हटाने का प्रश्न नहीं उठता। उक्त पत्र में उल्लिखित कन्टेनर रखाये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत बुद्धवाना नयागांव दिवरा मार्ग पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में पत्र

95-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिह "मुन्ना"-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत बुद्धवाना नयागांव दिवरा मार्ग पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0-/98448/2004, दिनांक 12-3-2004 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास/जल संसाधन मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी हां।

बुद्धवाना, नयागांव दिउरा मार्ग पर पुलिया के निर्माण हेतु स्थलीय निरीक्षण कराकर पुलिया के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर ली गयी है। कार्यस्थल पर जल भराव होने के कारण वर्तमान समय में कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। वर्षा ऋतु समाप्ति के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

नियम-301 के बाद निधन के निदेश होंगे हैं।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 अगस्त, 2004 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सुचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना श्री कौशल किशोर की, दूसरी सूचना श्री राम करन आर्य की, तीसरी सूचना डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, चौथी सूचना श्री परमेश्वर दयाल की, पांचवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की है, यह सभी माननीय सदस्यं उपस्थित हैं और इनकी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं। इसके बाद श्री रामहेत भारती एवं श्री छोटे लाल वर्मा उपस्थित नहीं हैं इसलिए प्रतीक्षा सूची से श्री मुन्शी लाल गौतम जी की सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है। प्रतीक्षा सूची के दूसरे माननीय सदस्य श्री दद्दू प्रसाद अनुपस्थित हैं।

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद सोनभद्र के पन्नूगंज थानान्तर्गत दरमा गांव के आदिवसियों का उत्पीड़न किये जाने तथा दोषीजनों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

-श्री कौशल किशोर-

[महोदय, अवगत कराना है कि 22 जुलाई, 2004 को सोनभद्र जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के दरमा गांव में आदिवासी ग्रामीणों पर वन कर्मियों व पी0ए0सी0 द्वारा छह राउण्ड हवाई फायरिंग की गयी जिससे भगदड़ मचने के कारण 6 लोग घायल हो गये। इस घटना का विरोध करने पर प्रशासन द्वारा 200 लोगों पर (60 व्यक्ति घर की औरतों व बच्चों सहित) धारा 147/336/353 आई0पी0सी0 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गयी तथा उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

उक्त ग्राम वासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने के लिए वन विभाग एवं जिला प्रशासन काफी समय से उत्पीड़नात्मक रवैया अपनाए हुए है। रेंज अधिकारी सौफीराम की उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों की शिकायत कई बार ग्राम वासियों द्वारा प्रशासन से की गयी किन्तु प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण वन कर्मियों का उत्पीड़नात्मक रवैया कायम रहा।

न्यायालय द्वारा जमीन पर यथास्थिति कायम रखने के आदेश के बावजूद वन विभाग व प्रशासन ग्राम वासियों को उनके आर्जाविका के अधिकार से वंचित रखे हुए है। 24 दिसम्बर, 2001 में जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा यह निर्देश दिया था कि पुस्तैनी आदिवासी, गिरिवासी व्यक्तियों को उनके मूल कब्जे से बेदखल न किया जाय किन्तु वन विभाग व प्रशासन द्वारा इस निर्देश का पॉलन सुनिश्चित न कर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां जारी रखी गईं।

30 जुलाई, 2004 को ग्राम वासियों के टिकाने उजाड़ दिए गये हैं तथा उनके घरों में घुस कर वन कर्मियों व पी0ए0सी0 के जवानों द्वारा तोड़फोड़ की गई है। हजारों भूखे-प्यासे ग्रामवासियों पर वन कर्मियों व प्रशासन द्वारा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की जा रही है। सैकड़ों ग्रामवासी जंगलों में शरण लिए हुए हैं। यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मामला लोकमहत्व का व अत्यन्त अविलम्बनीय है। अतः उक्त प्रकरण को नियम 301 से स्वीकार करके सदन में चर्चा कराने एवं निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न से बचाने तथा दोषी लोगों को दण्ड दिलाने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस्ती जनपद में वर्षों से बन्द पड़ी शुगर मिल मुण्डेरवा को फिर से चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम करन आर्य-

[महोदय, मेरे बस्ती जनपद में शुगर मिल मुण्डेरवा करीब आठ वर्ष से बन्द है। पूरे इलाके में वही एक मिल उद्योग के नाम पर है। जिसके सहारे लाखों लोग अपना जीवनयापन करते थे किसानों का मात्र यही एक साधन थी इस मिल के बन्द होने से पूरा इलाका वीरान हो गया है। बाजार उजड़ गया है। इस मिल पर करीब एक हजार गांव की आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ना किसान परेशान हैं और उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। विकास परिषद् बनने से किसानों में ढाढस बंधी थी जो सरकार किसी पूंजीपति के जरिये या स्वयं मिल चलायेगी। मगर अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। बस्ती जनपद के किसानों की तरक्की के लिए जनहित में शुगर मिल मुण्डेरवा चलने वाले सीजन में चलाया जाय।

अतः मिल चलने के लिए इस लोक महत्व के विषय पर सरकार के ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं।]

इलाहाबाद नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

[महोदय, इलाहाबाद नगर निगम के नियमित कर्मचारियों का 4 माह का वेतन बकाया है। कार्यरत अंशकालिक कर्मचारियों को 12 माह से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों के जी0 पी0 एफ0 में 2 वर्षों से पैसा जमा नहीं किया गया है। कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए अधिकारी धनाभाव की बात करते हैं, परन्तु ठेकेदारों को भुगतान करने में देरी नहीं करते।

समय से वेतन न मिलने के कारण कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारियों में रोष रहता है तथा धरना प्रदर्शन, हड़ताल होती रहती है जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है। नालों एवं नालियों की सफाई भी नहीं हो रही है जिसके कारण जनता में काफी रोष है। नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन भुगतान को सुव्यवस्थित करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

उक्त विषय लोकमहत्व का एवं अविलम्बनीय है अतः नियम-301 के अन्तर्गत सूचना देता हूं।]

जनपद सोनभद्र के चोपन क्षेत्रान्तर्गत कनहर नदी पर हर्दी कोटा एवं सोन नदी पर मीतापुर करगरा में पुल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री परमेश्वर दयाल-

[महोदय, जैसा कि मालूम है कि जनपद सोनभद्र एक पिछड़ा जनपद है जो जंगलों, पहाड़ों, नदी, नालों से आच्छादित है और नक्सल प्रभावित है जो भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रफल में काफी बड़ा है मेरे विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चोपन कई हिस्से में बंटा है पूर्वी क्षेत्र कनहर नदी जो पूरब में बिहार और झारखण्ड से लगा है जो कोन क्षेत्र कहलाता है बरसात के दिनों में चार महीनों तक

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कनहर नदी पर पुल न होने के कारण आवागमन बन्द रहता है जिससे क्षेत्र की जनता जिला मुख्यालय, अस्पताल, ब्लाक, से कटा रहता है यदि आना है तो 150 किमी0 की लम्बी दूरी तक यात्रा करके मुख्यालय पर आना पड़ता है।

इसी तरह विकास खण्ड चोपन के ही पश्चिमी क्षेत्र जिसे जुगैल के नाम से जाना जाता है तीन नदियों से घिरा है यहां की आबादी 50 हजार है यहां की जनता को भी आने-जाने का कोई साधन नहीं है। यदि सोन नदी पर ग्राम सभा मीतापुर-करगरा में पुल का निर्माण हो जाये तो लोग जिला मुख्यालय, अस्पताल और ब्लाक से सीधे जुड़ जायेंगे।

ऐसी स्थिति में जनपद सोनभद्र के विकास खण्ड चोपन के कनहर नदी पर हर्दी कोटा में एवं सोन नदी पर मीतापुर-करगरा में पुल का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। यह अतिमहत्व का विषय है और सीधे जनता से जुड़ा है। पुल निर्माण होने से कई बार स्थानीय जनता आन्दोलित हो चुकी है और लोगों में रोष व्याप्त है।]

रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बाबा का पुरवा, मजरे माधव में स्वीकृत प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र डलमऊ जनपद रायबरेली के ग्राम बाबा का पुरवा, मजरे गोविन्दपुर, माधव विकास खण्ड, डलमऊ में वर्ष 2003-2004 में मेरे प्रस्ताव पर एक प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत हुआ था, किन्तु स्वीकृति के एक वर्ष बीत जाने पर भी आज तक निर्माण कार्य नहीं कराया गया। जिससे क्षेत्रवासियों में बहुत बड़ा जनाक्रोश व्याप्त है। अतः उक्त स्वीकृत विद्यालय के निर्माण कराये जाने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।]

दि को-आपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स लि0 सहकारी नगर, बुलन्दशहर जो बन्द पड़ी है, को चालू कराये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुन्शी लाल गौतम-

[महोदय, निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद-बुलन्दशहर में दी को-आपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स लिमिटेड सहकारी नगर, बुलन्दशहर का शासन से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (बी0आर0एस0) का भुगतान हो चुका है। 60 करोड़ रुपये की लागत से बनी फैक्ट्री बन्द पड़ी हुई है। उसकी सारी मशीनें जर्जर हालत में होती जा रही हैं। शासन का बहुत बड़ा राजस्व नुकसान हो रहा है। 2000 श्रमिकों को रोजगार इस मिल्स द्वारा प्राप्त होता, लेकिन बन्द होने के कारण आस-पास की सभी दुकानें तथा क्षेत्र की रौनक खत्म हो गई और वहां पर आपराधिक तत्व बसेरा कर रहे हैं। अतः बेरोजगारी दूर करने तथा सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए दि को-आपरेटिव टैक्सटाइल मिल्स लि0 सहकारी नगर, बुलन्दशहर को चलवाने की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं उनके नाम इस प्रकार हैं :- श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री नवाब सिंह नागर, डा0 अरुण

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कुमार मेहरोत्रा, श्री लल्लू सिंह, श्री शिव तपस्या पासवान, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री धर्मराज निषाद, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री छोटे लाल यादव, श्री राजपाल सिंह वालियान, श्री राजेश कुमार, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, डा0 विनोद तिवारी, श्री प्रागी लाल अहिरवार तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02-08-2004 की नियम-300 के अन्तर्गत कुल 4 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से पहली सूचना डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी की है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदन द्वारा .....

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना 05 अगस्त, 2004 को नियम-300 के लिए स्वीकृत है, आप चाहें तो आज बोल लें या फिर 05 अगस्त को अपनी बात कह लीजिएगा।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत इलाहाबाद मण्डल के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, बिल्कुल दूसरा विषय है। मान्यवर, बजट यहां से पारित होता है और बजट के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों को राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय विभिन्न योजनाओं के मदों में सरकार धन अवमुक्त करती है। प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र की अलग समस्या है। विभिन्न जिलों के विकास के लिए राज्य तथा जिला स्तर से धन स्वीकार किया जाता है। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि से राज्य सरकार जिले के लिए पैसा स्वीकार करती है, और माननीय विधायकों से कार्यों के लिए संस्तुति मांगी जाती है जिससे वह कार्य कराये जाते हैं। पूर्वांचल विकास निधि, जिला योजना हेतु सरकार द्वारा पहले प्रथम किश्त अवमुक्त की गयी थी उसके बाद द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी लेकिन लोक सभा चुनाव आ गया उस कारण से उस पैसे का उपयोग नहीं किया जा सका और उसे पी0 एल0 ए0 में जमा कर दिया गया। जब चुनाव समाप्त हो गया तो प्रदेश के अधिकांश मण्डलों को द्वितीय किश्त का पैसा अवमुक्त कर दिया गया और माननीय विधायकों द्वारा संस्तुति किये गये कार्य करा दिये गये लेकिन इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत 1 करोड़ 36 लाख रुपया, द्वितीय किश्त का पूर्वांचल विकास निधि का था उसको अवमुक्त न करके वहां के मण्डलायुक्त ने शासन को संदर्भित कर दिया और अभी तक शासन ने कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया है। मैंने आयुक्त महोदय से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने वाला हूं इस झंझटों में नहीं पड़ूंगा। यह गम्भीर प्रकरण है। इलाहाबाद के जितने विधायक हैं जिन्होंने अपनी संस्तुति विभिन्न कार्यों के लिए दी है, कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी मैं इस औचित्य के माध्यम से जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद का पैसा कब तक अवमुक्त कर दिया जाएगा जिससे कार्य प्रारम्भ हो सके।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है और माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचना को स्वीकार करने का अनुरोध

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, मेरी नियम-301 के अन्तर्गत एक सूचना थी, मैं उपस्थित हो गया हूं इसलिए उसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, स्वीकार कर लेता हूं।

पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत इलाहाबाद मण्डल के लिये स्वीकृत धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी की व्यवस्था चाही जाती है। यदि सरकार उत्तर नहीं देना चाहती है तो माननीय विधायक को संरक्षण देते हुए आप कोई व्यवस्था दें।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय गौर साहब स्वयं वरिष्ठ सदस्य हैं और नियमों के ज्ञाता हैं। नियम-300 के अन्तर्गत वहीं मामले लिये जाते हैं जिसमें संविधान और नियमावली के अधीन सदन के संचालन से संबंधित कोई तात्कालिक घटना का ऐसा विषय उपस्थित हो जाए जिससे उन नियमों का उल्लंघन होता हो, वही नियम-300 के अन्तर्गत लिये जाते हैं। लेकिन आपने ऐसा विषय उठाया है जिस विषय की व्यापकता इतनी है कि पूर्वांचल के सभी माननीय सदस्य उसकी गम्भीरता से जुड़े हुये हैं। इसलिए मैं उनको सिर्फ इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस व्यतिक्रम की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और नियम-300 के औचित्य के प्रश्न के माध्यम से प्रश्न उपस्थित किया है। उस पर यह सरकार गम्भीर है। एक निश्चित तिथि दिया जाना उचित नहीं है लेकिन सरकार आपकी इस नोटिस को गम्भीरता से लेकर आवश्यक कार्रवाई करायेगी। मान्यवर, यह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

प्रदेश के अधिकांश जनपदों में धन अवमुक्त किया जा चुका है। इलाहाबाद के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

जवाब आ गया है।

जनपद बहराइच के कैसरगंज में गायों की सुरक्षा विषयक औचित्य के प्रश्न की सूचना को उठाने का प्रयास

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के तहसील कैसरगंज में पैरू बाबा की 500-600 गौवंशों से उत्पन्न अव्यवस्था के संबंध में है। यह नियम-300 में नहीं आती इसलिए अस्वीकार किया जाता है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मुझे 2 मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सूचना को दूसरे नियमों के अन्तर्गत लायें तब सुना जा सकता है।

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

मान्यवर, मैं नया सदस्य हूं नये विधायक को आप सुनना भी पसन्द नहीं करते।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमों को पढ़ लीजिए, आप इस सूचना को नियम-56, नियम-51, नियम-301 के अन्तर्गत लायें या नियम-52 में चर्चा मांगें। आपकी सूचना नियमों में नहीं होगी तो कैसे स्वीकार होगी ?

श्री मुकुट बिहारी वर्मा-

जब तक आप सुनेंगे नहीं कैसे पता लगेगा कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। सुन लीजिए, औचित्य का प्रश्न नहीं बनेगा तो निरस्त कर दीजिएगा। मान्यवर, 500 गायें जो बहुत ही सुन्दर गायें हैं जिनको देखकर आप ही नहीं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी आकर्षित हो जायेंगे। 500-600 गायें सड़क पर तहसील के सामने बैठती हैं उनके हाथ-पैर टूटते हैं इनकी रक्षा की जाय नहीं तो अराजकता फैल जायेगी, दंगा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना औचित्य के प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है।

लोक नायक जय प्रकाश नारायण की शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनपद बलिया के लिये घोषित विशेष पैकेज का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

तीसरी सूचना माननीय राम इकबाल सिंह की है लोक नायक जय प्रकाश नारायण की शताब्दी वर्ष के अवसर पर जनपद बलिया के लिए घोषित विशेष पैकेज का कार्यान्वयन न किये जाने के सम्बन्ध में है। आप बतायें कि यह कैसे नियम-300 का प्रश्न बनता है ?

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न बनता है। इस सम्बन्ध में घोषणा की गयी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है उनमें से लोकनायक जय प्रकाश नारायण का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है मुझे खुशी है कि समाजवादियों की सरकार है जब वह सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता है कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण और गांधी जी से कोई मतलब नहीं था तब तो

इस सरकार में पैकेज की घोषणा की गयी थी लेकिन अब इस सरकार में उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बलिया जनपद में नगर विकास मंत्री लालजी टण्डन जी ने सुभाष जयन्ती के अवसर पर 23 जनवरी, 2003 को 40 लाख रुपये का पैकेज दिया था। गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत पूरा प्रोजेक्ट स्वीकार करके बनना था लेकिन एक ईंट भी नहीं रखी गयी। 40 लाख रुपया अधिकारियों का भोजन हो गया। इसी तरह से लोकनायक जय प्रकाश नारायण की पत्नी के नाम पर सोनबरसा में स्कूल बनना था उसका पता नहीं है इसी तरह से नगरा व बेरिया में मण्डी समिति का शिलान्यास माननीय टण्डन जी ने किया था उसका पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए मैं इसको निरस्त करता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

यह नियम-300 में नहीं आता है लेकिन माननीय सदस्य ने सरकार का जो ध्यान आकृष्ट किया है हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इसका परीक्षण करवा लेंगे कि शिलान्यास कहीं फर्जी तो नहीं था क्योंकि 23-1-03 को 40 लाख रुपये मंद पर दिए गए और सात महीनों तक वह सरकार रही लेकिन एक ईंटा तक नहीं लगा इससे ऐसा लगता है कि कहीं बिना बजट प्राविजन के फर्जी शिलान्यास तो नहीं कर दिया गया। इसको गम्भीरता से लेंगे और इसको दिखवा लेंगे।

वाराणसी में नलकूप को चालू कराने में शासन स्तर पर उत्पन्न बाधा को दूर करने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वक्तव्य न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वांचल राज्यांश की निधि से वर्ष 2000 में एक नलकूप की बोरिंग कम्पलीट हो गई लेकिन जल निगम और नियोजन विभाग के बीच यह मामला फंस गया नलकूप जिस मोहल्ले में आवंटित था वहां पर लगकर दूसरे मोहल्ले में लग गया। वहां जमीन की उपलब्धता और पानी की आवश्यकता को देखते हुए वह नलकूप की बोरिंग 2000 में कम्पलीट हो गई उसको ऊर्जीकरण होकर चालू हो जाना चाहिए था लेकिन मामला जल निगम और नियोजन विभाग के बीच फंस गया है इसमें जनता का कोई दोष नहीं है। जिलाधिकारी, वाराणसी, आयुक्त, वाराणसी और मैंने भी कई पत्र नियोजन विभाग को लिखे हैं कि इस विसंगति को दूर करें और उस नलकूप को चालू कर दिया जाए लेकिन वह चालू नहीं हुआ इस पर मैंने नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी थी जिस पर मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया लेकिन वक्तव्य में मैंने जो सूचना दी उसके किसी कंटेन्ट्स का उल्लेख नहीं है। आप जानते हैं कि पूर्वांचल राज्यांश के द्वारा जो धन आवंटित होता है उसका पैसा फिर वहीं से आता है मुझे यह उत्तर दिया गया कि जल संस्थान वाराणसी के द्वारा 50 हार्स पावर क्षमता के नलकूप की विद्युत संयोजन की मांग की गई उस मांग के क्रम में जल संस्थान वाराणसी से 2 लाख 15 हजार 914 रुपये जमा करने हेतु आदेश निर्गत किया गया है। जल संस्थान द्वारा इस धनराशि के भुगतान करने पर इस नलकूप को ऊर्जीकृत कर दिया जाएगा। मेरा कहना यह है कि इसमें अनुमति नियोजन विभाग से नहीं दी जा रही है। जिसके कारण वह नलकूप

ऊर्जीकृत नहीं हो पा रहा है उसका वक्तव्य में कहीं उल्लेख नहीं है। जल संस्थान से मांग कर दी गई। जल संस्थान पैसा जमा करेगा नहीं इसीलिए दो वर्ष बीत गए हैं और कितने वर्ष बीत जायेंगे जल का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जिसकी आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य का कहना है कि वक्तव्य में जो कंटेन्ट्स दिए गए वह सूचना से मेल नहीं खाते।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-51 की सूचना पर जो वक्तव्य आया है उसमें मिथ्या अंश कुछ भी नहीं है। यह सच है कि श्री श्यामदेव राय चौधरी साहब ने समस्या के निराकरण के लिए नियम-51 की सूचना दी थी और उस जवाब से समस्या का निराकरण नहीं हुआ। औचित्य का प्रश्न तभी बनता जब वक्तव्य में मिथ्या अंश होता। यह सच है कि उससे समस्या का निराकरण नहीं हुआ। समस्या का निराकरण होना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने जो ध्यान आकृष्ट किया है सरकार इस ओर ध्यान देगी कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो ? यह नियम-300 में नहीं आता इसलिए इसे अस्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-300 में नहीं आता है। इसलिये यह निरस्त की जाती है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मैं अपने कोई व्यक्तिगत काम के लिये समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। जनता को पानी नहीं मिल रहा है, विगत दो वर्षों से नलकूप तैयार पड़ा है लेकिन जनता को पानी नहीं मिल रहा है। लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से इसका निदान चाहता हूं कि कोई रास्ता निकालें कि नलकूप ऊर्जीकृत हो सके। जल संस्थान से पैसा मांगा गया है। वे पैसा जमा करेंगे नहीं और उर्जीकरण होगा नहीं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय चौधरी जी से कहना चाहता हूं कि मैंने इस बात का संज्ञान लेते हुए निवेदन किया है। यह नियम-300 में औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं आता है। आपने नियम-51 में जो सूचना दी थी उसमें वक्तव्य आया था। उस वक्तव्य में कोई अंश मिथ्या नहीं है। समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार इस ओर सचेष्ट प्रयास कर रही है। आपका मूल उद्देश्य समस्या का निराकरण है। मूल उद्देश्य यह नहीं है कि यह नियम में आती है कि नहीं। यह माननीय अध्यक्ष जी देख लेंगे। उस समस्या का समाधान होना जरूरी है। ऊर्जीकरण न होने के कारण समस्या है। यथासम्भव विद्युत संयंत्र दिया जाना जिस तरह से संभव होगा, हम प्रयास करेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्यामदेव राय चौधरी व माननीय मंत्री जी को मैंने सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है। इसलिये अग्राह्य की जाती है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कुमार पालीवाल तथा श्री सत्यपाल सिंह यादव के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दो भूतपूर्व माननीय सदस्यों का निधन हो गया है। पहले हैं श्री कृष्ण कुमार पालीवाल और दूसरे हैं श्री सत्यपाल सिंह यादव। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री कृष्ण कुमार पालीवाल का 11 मई, 2004 को निधन हो गया। वह लगभग 76 वर्ष के थे। श्री कृष्ण कुमार पालीवाल का जन्म 18 अक्टूबर, 1928 को हुआ था। उन्होंने बी0 ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण कुमार पालीवाल वर्ष 1977 में निर्वाचन क्षेत्र माधोगढ़, जिला जालौन से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री कृष्ण कुमार पालीवाल आपातकाल में 19 माह राजनैतिक कैदी के रूप में फतेहगढ़ जेल में तथा रामजन्म भूमि आन्दोलन के दौरान एक माह ललितपुर जेल में बन्दी रहे थे। वे वर्ष 1972 से 1977 तक विकास खण्ड, कुटरेल्द के ब्लाक प्रमुख वर्ष 1965 से 2001 तक श्री लहरी बाबा इण्टर कालेज, बावली के संस्थापक अध्यक्ष तथा वर्ष 1991 से 1993 तक भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे थे। श्री कृष्ण कुमार पालीवाल के निधन से जिला जालौन ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सत्यपाल सिंह यादव का 23 जुलाई, 2004 को निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। श्री सत्यपाल सिंह यादव का जन्म 1 जुलाई, 1942 को ग्राम सिउरा, जिला शाहजहांपुर में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एम0 ए0 तथा एल0 एल0 एम0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सत्यपाल सिंह यादव सर्वप्रथम वर्ष 1974 में निर्वाचन क्षेत्र तिलहर, जिला शाहजहांपुर से जनसंघ के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1977 में कांग्रेस पार्टी, वर्ष 1980 में जनता (एस) चरण सिंह पार्टी तथा वर्ष 1985 में लोकदल से विधान सभा सदस्य भी रह चुके थे। श्री सत्यपाल सिंह यादव ने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया था जिसके फलस्वरूप वे कई बार जेल गये थे। वे कृषक जनता विद्यालय, गुरूकुल विद्यालय कटरा, शाहजहांपुर तथा चेतराम विद्यालय, सिउरा के प्रबन्धक, कृषक जनता विद्यालय फतेहगंज, (बरेली) तथा किसान हायर सेकेन्ड्री स्कूल, फरीदपुर (बरेली) के अध्यक्ष रह चुके थे। वे वर्ष 1987-89 तक उत्तर प्रदेश विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर रहे थे। वे केन्द्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके थे। कृषि, अध्ययन एवं जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सत्यपाल सिंह यादव के निधन से जिला शाहजहांपुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिये खड़े होकर दो मिनट का मौन रखेंगे।

(खड़े होकर दो मिनट का मौन रखा गया)

विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 30 जुलाई, 2004 को हुई अपनी बैठक में सदन के दिनांक 31 जुलाई से 06 अगस्त, 2004 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :-

जुलाई, 2004	
31 शनिवार	
अगस्त, 2004	बैठक नहीं होगी।
01 रविवार	
02 सोमवार	1-निधन के निर्देश। 2-उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण-एक घण्टा। 3-श्री जगदीश नारायण राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :- प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र प्रारम्भ हो जाने के बावजूद बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने एवं पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशकों द्वारा रद्दी किस्म के कागज पर मुद्रित किये जाने के संबंध में। 4-श्री सुखदेव राजभर, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घण्टे की चर्चा :- प्रदेश के पूर्वांचल में व्याप्त बीमारियों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी रोकथाम एवं रोगियों के समुचित उपचार की व्यवस्था न होने के कारण निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम्स द्वारा मनमाने ढंग से जनता से धन लेकर उपचार किये जाने के संबंध में।
03 मंगलवार	1-उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण विधेयक, 2004 पर विचार एवं उसका पारण। <u>2-1.00 बजे अपराह्न</u> (1) वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण। (2) वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों का प्रस्तुतिकरण। 3-प्रदेश में भयंकर सूखे से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री उमा शंकर कुशवाहा, श्री राजेश कुमार, श्री कालीचरन राजभर, श्री लालजी वर्मा, श्री ओ0 पी0 सिंह, श्री इन्द्रजीत सरोज तथा श्री दद्दू प्रसाद आदि सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा।

04 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2004-2005 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-वित्तीय वर्ष 1983-84 से 1989-90 के अतिरिक्त व्यय के सम्बन्ध में अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयकों का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उन पर विचार एवं उनका पारण।

3-प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री उदयभान करवरिया, श्री नवाब सिंह नागर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री सतीश महाना तथा श्री सलिल बिश्नोई, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा।

4-प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री जगदीश नारायण राय, श्री घूराराम, श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, श्रीमती अमिता सिंह, श्री उदयभान करवरिया, श्री राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री राम इकबाल सिंह, प्रो0 रविद्र पुण्डीर तथा श्री मुंशी लाल गौतम, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत दो घण्टे की चर्चा।

05 गुरुवार

1-विधायी कार्य।

2-प्रो0 शिवाकान्त ओझा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि पूर्वांचल विकास निधि के त्वरित उपयोग हेतु उसकी धनराशि तुरन्त अवमुक्त की जाय।"

3-डा0 विनोद तिवारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में छात्रों के प्रवेश की समस्या के निराकरण तथा शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायं।"

4-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर एक घंण्टे की चर्चा :-

"विधायक निधि के कार्यान्वयन में विभिन्न स्तरों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।"

5-श्री छोटे लाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचना पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"आगरा स्थित ताज महल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में अपूर्ण विद्युत कार्यों को क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।"

06 शुक्रवार 1-असरकारी दिवस (आधा दिन)

2-विधायी कार्य (आधा दिन)

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश पर कुछ कहा नहीं जाता, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन बिजली संकट और सूखे के संकट पर आपने आश्वासन दिया है कि कांग्रेस के सदस्यों को सम्बद्ध कर लिया जाएगा। इसमें कांग्रेस के सदस्यों का नाम नहीं छपा है।

श्री अध्यक्ष-

सम्बद्ध कर लिया जाएगा।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 अगस्त, 2004 को नियम-311 में प्राप्त दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत 22 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा, शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन और श्री हुकुम सिंह की, प्रदेश में सूखे एवं विद्युत आपूर्ति के न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इस पर चर्चा लगी हुई है लेकिन कुछ कहना चाहते हैं तो कहें।

* श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, सूखा पड़ रहा है, इससे कोई इन्कार नहीं है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इससे भी कोई इन्कार नहीं है, एक साधन निजी नलकूप बचे थे, अगर बिजली के कनेक्शन नहीं मिलेंगे तो निजी नलकूप से भी क्या होगा ? मुझे सुनिश्चित जानकारी है कि 5 हजार प्रार्थना-पत्र केवल पश्चिमांचल निगम, मेरठ में लम्बित हैं और एक भी कनेक्शन स्वीकार नहीं हो रहा है। 11 महीने सरकार को आए हो गये हैं, इस सरकार के कार्यकाल में वहां अगर एक दर्जन भी कनेक्शन मंजूर हुए हों। छोटे-छोटे 7 हार्स पावर, 5 हार्स पावर के कनेक्शन भी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस समय सूखे के कारण तमाम फसलें बर्बाद होती जा रही हैं, सिंचाई का कोई साधन नहीं है, धान की फसल प्रभावित हो रही है और वहां की जो एकमात्र फसल गन्ना है, वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुरी तरह प्रभावित है। आखिर किसान जाए कहां ? जहां पर यमुना नहर से सिंचाई होती थी, पिछले 10 महीने से एक बूंद भी पानी यमुना नहर में नहीं आया है और न रजबहे में आया है।

निजी नलकूप के लिए आप कनेक्शन देंगे नहीं, अगर जरा भी संवेदनशीलता बची हो तो जितने प्रार्थना-पत्र लम्बित है, आप समय-सीमा बांध दें, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कि इस समय-सीमा में उन्हें कनेक्शन दे दिया जाएगा। दूसरी बात आज जितने भी बिजली घर लगे हुए हैं, सब ओवर लोडेड हो चुके हैं, उनकी कैपीसिटी समाप्त हो गई है। नये ट्रान्सफार्मर खरीदने के लिए पैसा पावर कारपोरेशन के पास नहीं है। परसों ही एम0डी0, मेरठ से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि कोई भी पैसा उनके पास ट्रान्सफार्मर खरीदने के लिये नहीं है जरा भी लिहाज-शर्म बची हुई हो तो उस क्षेत्र में जाकर देखें, पीने के पानी का संकट पैदा हो गया है। सूखा पहले भी पड़ता था। हमारे कार्यकाल में यह आदेश थे कि जहां भी ट्रान्सफार्मर खराब हों, उसे 18 घण्टे में रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन आज 18 घण्टे तो छोड़ दीजिए 18 महीनें में भी सम्भव नहीं है। मेरी पहली मांग है कि निजी क्षेत्र के नलकूपों के कनेक्शन दिये जायें, दूसरी, जले हुए ट्रान्सफार्मर्स को बदला जाये, तीसरी कि जो बड़े-बड़े ट्रान्सफार्मर्स लगे हुए है वह जो खराब हालत में है उनको बदले जाने की व्यवस्था की जाये और एक बात यह कि अगर इस सरकार में संवेदनशीलता है तो जिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है तो किसान पानी के लिए कहां जाएंगे। शहरों के लिए मांग के अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं होती है। कहा जाता है कि 6 घण्टे बिजली कटौती हो रही है 18 घण्टे बिजली दे रहे हैं लेकिन सच यह है कि 3-3 दिन तक बिजली नहीं रहती है। मेरा कहना है कि इस सम्बन्ध में जब तक सरकार आश्वासन न दे दें और उस पर अमल न हो जाए तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

* श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अलीगढ़ में बारिश नहीं हुयी है। मेरा कहना है कि जिन जनपदों में बारिश नहीं हुयी है तो उन जनपदों को सूखाग्रस्त घोषित करने में क्या कठिनाई है। अभी माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं तो मेरा कहना है कि जनपद सिद्धार्थ नगर, बस्ती में जो ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं उसमें 14 घण्टे बिजली दिये जाने की बात है। हम आपसे मांग करते है कि जो जनपद सूखे की श्रेणी में आते है उन्हें सूखाग्रस्त घोषित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

अभी केवल बिजली पर चर्चा हो रही है।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, अभी आप कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश पढ़ रहे थे तो उसमें बिजली और सूखे के विषय पर चर्चा स्वीकार कर ली है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन में माननीय सदस्य अपनी बातें जिस ढंग से रखते हैं लेकिन माननीय हुकुम सिंह जी का अपनी बातों को रखने का अद्भुत कौशल है। वह बात चाहे नियमों में आती हो या न आती हो वह बड़ी चतुराई से उसको रखते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी भी कुशल है लेकिन मान्यवर, राजस्व मंत्री जी और माननीय हुकुम सिंह जी की काउंसिलिंग हो जाये तो इसका सही पता चले।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इस सवाल का विस्तृत उत्तर तो आएगा ही लेकिन आपने जो दो बातों का उल्लेख किया है कि ट्रान्सफार्मरों की कैपिसिटी ओवरलोड हो रही है और नहरों में पानी नहीं है और निजी नलकूपों के कनेक्शन। मैंने इस बारे में बता दिया है कि इसका विस्तृत उत्तर बाद में आएगा और मान्यवर, एक बात यह कि निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिए प्राविधान के तहत प्रतिवर्ष एक संख्या निश्चित होती है कि इतने नलकूपों का कनेक्शन किया जाएगा। शत-प्रतिशत का ऊर्जीकरण कभी भी किसी सरकार में कभी भी नहीं हुआ है। क्योंकि यह अभी कार्य-स्थगन में आया है इसलिए पूरी सूचना तो मेरा पास नहीं है लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि 31 मार्च के पहले जितने भी प्रस्ताव आये हैं उसमें जितने पर भी प्राथमिकता बनेगी उन्हें प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा यह मैं आश्वस्त कराना चाहता हूं। अभी इस साल तो अवर्षण की स्थिति नहीं आयी है हां पानी जरूर कम बरसा है। जहां तक ट्रान्सफारमरस की कैपेसिटी की बात है तो हम चर्चा में इसका पूरा उत्तर देंगे। आपने कहा कि पैसे की कमी नहीं है तो मैं दोबारा दोहराना चाहता हूं कि अभी भी सूखे से जो स्थिति उत्पन्न होगी और उसमें राहत दिये जाने का मामला होगा तो पैसे की कमी नहीं होगी। मैं इसी के माध्यम से माननीय राजभर जी ने प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि टी0आर0-27 में कितना पैसा है, तो मैं यह उन्हें बता दूं कि उसमें पैसा नहीं होता है उसमें पैसा निकालने का अधिकार होता है। उस अधिकार के लिए शासनादेश निर्गत, मैं उसकी कापी भी आपको दे दूंगा, कर दिया है। हमने जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है कि वह धन निकाले। हमने उसमें अपने विवेक के अनुसार मद तय करने का अधिकार भी दे दिया है। हमने यह कहा कि हम इसकी स्वीकृति बाद में देंगे। पैसे की कोई कमी सरकार के पास नहीं है। जहां तक अपने सिस्टम को स्ट्रेन्थेन करने का सवाल है,

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, यह उत्तर देकर यह किसे भ्रमित कर रहे है। माननीय राजस्व मंत्री जी आपने यह कहा कि हर बजट में एक निश्चित मात्रा में ट्यूबवैल लगाये जा सकते हैं, उर्जीकृत हो सकते हैं। मान्यवर, यह आपदा राहत निधि कहां के लिए है ? जब सूखा दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो, जब नहरों में पानी न हो, किसान की फसल बरबाद हो रही हो उस समय उस निधि से ट्रांसफारमर नहीं लगाये जा सकते, कनेक्शन नहीं दे सकते, उस मद में खर्च नहीं कर सकते तो किस लिए है ? इस तरह के उत्तर से, मैं क्षमा याचना के साथ कहना चाहता हूं कि इन्होंने मजाक बनाकर रखा है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुछ तो उत्तर दिया है लेकिन अगर संसदीय कार्य मंत्री जी होते तो वह टाल जाते। अगर प्रदेश का किसान मरे, किसानों को कोई राहत न मिले तो हम यह झूटे आश्वासन सुनने के लिए नहीं आये है। हम इस सदन का बहिष्कार करते है।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं। अब मैं अगली सूचना जो कि माननीय प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम नरेश यादव आदि जी की है, को ले रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं नितान्त गम्भीरता के साथ और दुख के साथ....

(भाजपा के सदस्यगण वापस आ गये)

सरकार का ध्यान नियम-56 के अन्तर्गत आकर्षित कर रहा हूं। मान्यवर, पूरे प्रदेश में अभी शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, एक सुनियोजित तरीके से एक साजिश के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न प्रदेश में किया गया। मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में विशिष्ट सूचना भी और उनमें नाम भी दिया है और घटना के बारे में बताया है, स्थान के बारे में बताया है। मान्यवर, लोकतंत्र में हर किसी राजनीति दल को यह अधिकार है कि वह अपनी बात कहे और लोकतांत्रिक ढंग से कहे परन्तु अगर आन्दोलनों को सरकार कुचलेगी तो बहुत की विश्वशर्नीयता के साथ कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही दुःखद घटना होगी और लोकतंत्र में यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मान्यवर चाहे अमेठी हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे रायबरेली हो, बस्ती हो, इलाहाबाद हो, मुरादाबाद हो, मथुरा हो, सहारनपुर हो मान्यवर चाहे जहां हो, मान्यवर वहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिन्होंने लोक सभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए खुल कर काम किया है और उनका दोष सिर्फ इतना है कि उनके घरों पर कांग्रेस का तिरंगा झण्डा लगा हुआ है और उन्होने कांग्रेस के लिए काम किया है, सरकार की मदद से असामाजिक तत्व उन सब पर उत्पीड़न की कार्यवाही करते हैं उनका यह कार्य शर्मनाक और दुःखद है इसकी निन्दा की जानी चाहिए मैं कांग्रेस की तरफ से यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस का तिरंगा लहरायेगा चाहे कुछ हो. बरतानिया हुकूमत में भी इसे दबाने का प्रयास किया गया लेकिन हम दबे नहीं और देश को आजाद कराया।

मान्यवर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जितनी भी ज्यादितियां हुई हैं उनका संज्ञान लें और एक-एक घटना की जांच करायें। मान्यवर, कांग्रेस कार्यकर्ता को पकड़ कर तीन-चार दिनों तक थाने में बन्द कर के रखा गया और थाने में उसे सिर्फ पुलिस वाले की नहीं मारे सत्ता से जुड़े लोगों ने भी उसे मारा। मान्यवर, मैंने विशेष घटना का उल्लेख किया है जहां जेल के अन्दर इन कार्यकर्ताओं को मारा गया है, तीन-तीन दिन तक पानी नहीं दिया गया है मान्यवर इससे ज्यादा शर्मनाक और दुःखद क्या होगा मैं दृढ़तापूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि इस पर रोक नहीं लगी तो यह बहुत ही दुःखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मान्यवर, एक प्रश्न यह आया कि सरकार को समर्थन हम दे रहे हैं, समर्थन तो इस सरकार को साम्प्रदायिकता से लड़ने के लिए दे रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न अगर किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है।

श्री लालजी टण्डन-

अगर ऐसा है तो आप नाम समेत बतायें कि किसने किया है ?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, दागी मंत्रियों को हटाने के नाम पर तो यह दिल्ली में सदन नहीं चलने देंगे और आपके यहां पर पता नहीं इन्हें क्या सुंघा दिया जाता है कि आप यहां पर इस विषय पर चुप-चाप बैठे हैं। आप यहां पर विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह से अक्षम हैं, आपको तो यह कहना चाहिए कोई मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं सरकार को समर्थन दे रहा हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह कुछ कर नहीं पा रहे हैं, यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, वहां बीच में कभी इधर की कभी उधर की बात कह रहे हैं, आप इधर आकर के कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं सरकार का सहयोगी दल हूं, लेकिन विपक्ष को सरकार का समर्थन करते हुए हमने केवल आपके ही कार्यकाल में देखा है। मान्यवर, हमने कार्यकर्ताओं का नाम पता और उनके उत्पीड़न की कार्यवाही बता दी, मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसका अन्त हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का झण्डा लेकर चलना अगर गुनाह है तो इस गुनाह को हम करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक कांग्रेस को हम यहां पर स्थापित नहीं कर देंगे। सरकार को हम निर्दिष्ट और विशिष्ट सूचनाएं दे रहे हैं बता रहे हैं कि इन कार्यकर्ताओं के खिलाफ थानों में फर्जी मुकदमें चलाये जा रहे हैं, यह बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है हम आपसे भी चाहेंगे कि अगर लोकतंत्र में आस्था है तो सरकार कृपापूर्वक जांच कराने का आश्वासन दे और इन घटनाओं के पीछे दोषी लोग हैं जो सत्ता में जिस स्थान पर बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करायें। इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि इसकी गम्भीरता को समझें। लगातार अनवरत रूप से उत्पीड़न हो रहा है इसलिए यह अविलम्बनीय हो गया एक राजनीतिक दल के साथ द्वैष भावना से किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना में लाने के लिए कह रहा हूं इससे मुझे आपके भी संरक्षण की आवश्यकता है और सरकार के संरक्षण की भी आवश्यकता है। इस पर रोक लगायें और किसी को भी शासन और प्रशासन को इसके दुरुपयोग की इजाजत न दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं इस सम्मानित सदन का सदस्य हूं। कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं पर आज आपराधिक मुकदमें लगाये जा रहे हैं उनके खिलाफ सरकार के मुखतलिफ जनपदों में और मुखतलिफ थानों में उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, बेगुनाह कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा रहा है, यह अविलम्बनीय है। मान्यवर, इस प्रजातंत्र में विचारों में मतभेद हो सकता है मुद्दों पर मतभेद हो सकता है लेकिन यदि किसी मतभेद के कारण कोई संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्पीड़न की कार्यवाही होगी बदले की भावना से कार्रवाई होगी उन कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमले होंगे तो निश्चित रूप से प्रजातंत्र पर यह कुठाराघात है। सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं के लिए चाहे वह इस पक्ष में बैठे हों या उस पक्ष में बैठे हों यह कठिन है कि सार्वजनिक जीवन में कार्यकर्ताओं के रूप में हमें जीवन निर्वाह करने में कठिनाई होगी। आपको यदि होगा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर उत्पीड़न की कार्यवाही बढ़ी है यहां तक कि आप स्वयं भिज्ञ हैं कि पिछले दिनों में रायबरेली में तत्कालीन जिला पंचायत अध्यक्ष श्री आर0 पी0 सिंह के भाई के ऊपर प्राणघातक हमला किया गया जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष के भाई तो बहुत ही साधारण नागरिक की हैसियत से हैं, वह जीवन मौत से संघर्ष करते रहे उनका अपराध केवल इतना था कि उन्होंने चुनाव के पहले जब स्वयं सोनिया गांधी जी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो सत्तारूढ़ दल छोड़कर स्वयं सोनिया गांधी जी की कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गये। इस तरह से कितने कांग्रेस के वह कार्यकर्ता जो पिछले दिनों वहां के स्थानीय विधायक थे जो सत्तारूढ़ दल से जुड़े हुए थे, उनके

साथ थे, लेकिन उनका एक भावनात्मक रिश्ता रहा है रायबरेली के उस परिवार का सोनिया जी ने एक फैसला किया ऐसे तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर चुनाव में शामिल हुए उन लोगों को आतंकित किया गया कि अगर कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे तो इसके भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। केवल धमकाया नहीं गया चुनाव के बाद उन घटनाओं की परिणति इस तरह से हुई कि एक या दो घटनाएं नहीं बल्कि इन लोगों के ऊपर प्राणघातक हमले हुए फायरिंग हुई और हाथ-पैर लोगों के तोडे गये और घटनाओं की जब निरन्तर स्थिति बढ़ती गयी तो यहां तक केन्द्रीय राज्य मंत्री को रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जाना पड़ा और कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में राज्य सरकार को कहना पड़ा। मान्यवर, एक दो घटनाएं हो सकती हैं लेकिन आज लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों में घटनाएं बढ़ रही हैं।

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुये)

पिछले दिनों श्रावस्ती कांग्रेस के अध्यक्ष जिन्होंने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया, जो राजनैतिक पार्टियां विपक्ष में जाती हैं वह प्रजातांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करती हैं। केवल बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उस युवक कांग्रेस के अध्यक्ष को फर्जी मुकदमें में जेल भेज दिया गया। इसी तरह से बिजनौर जिला कांग्रेस कमेटी के सुधीर पाराशर जो डी0 एफ0 ओ0/वन विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ शान्तिपूर्ण धरना दे रहे थे, उनको रात्रि के दो बजे धरनास्थल से उठाकर जेल भेज दिया गया। यह कदाचित किसी को समझ नहीं आ सकता, वह कोई बायलेंस कर रहे हों, कानून व्यवस्था के लिये चुनौती बन रहे हो, तब तो ठीक है, लेकिन इस तरह से शान्तिपूर्ण तरीके से धरना देने वाले को जेल भेज दिया गया। यहां गोण्डा के माननीय मंत्री जी बैठे हैं वहां विष्णु दत्त सिंह से कहा गया कि समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाओ, वह शामिल नहीं हुये तो उनको मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया गया।

(श्री विनोद कुमार सिंह के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

इसी तरह से इन्होंने एम0एल0सी0 के चुनाव में किया। माननीय मंत्री जी पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप कहियेगा।

श्री विनोद कुमार सिंह-

आपने गोण्डा की बात कही है, इसलिये सुन लीजिए। विष्णु दत्त सिंह जबरदस्ती तावेदारी वसूल करने गये थे, ऐसे नहीं उनको बन्द किया गया है। [x x x] इसलिये पाल जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपको सही बात रखनी चाहिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की यह भाषा है [x x x] अगर इस तरह से सदन में कार्यवाही होगी तो यह ठीक नहीं है, यह अपने शब्द वापस लें और मान्यवर, आप इसको कार्यवाही का हिस्सा न बनावें। यह खुद कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। कब ज्वायन किया है, आपने समाजवादी पार्टी ? आप कांग्रेस को गाली दें, यह मंत्री जी आपको शोभा नहीं देता।

नोट :- [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अच्छा होगा, आप इसका उत्तर दे दें। आपस में इस तरह सदन नहीं चलेगा।

श्री लालजी टण्डन-

एक ही सरकार के दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, यह सदन का मजाक हो रहा है, अगर विपक्ष और सरकार के बीच में कोई बात हो, तो समझ में आता है, लेकिन यह तो आपस में ही लड़ रहे हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मेरठ में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी के सभासद ने थाने में मारा और थाने में ही उसकी नाक में पानी डाला, उसकी हत्या भी हो गयी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है। टण्डन जी को तो वी0 आई0 पी0 ट्रीटमेंट मिल रहा है। यह तो हमारी पीड़ा है, मेरठ के थाने में उसकी हत्या हो गयी, मैं स्वयं वहां गया, पूरे परिवार में कोई देखभाल करने वाला नहीं, हम लोगों ने स्वयं अपने पास से उनकी 50 हजार की सहायता की। मान्यवर, मैं तो केवल उन घटनाओं का उल्लेख कर रहा हूं जो कि घटित हुई है ताकि संसदीय कार्य मंत्री जी उनका संज्ञान ले सकें। हमारे कोंच के नगरपालिका अध्यक्ष श्री शुक्ला की हत्या हो गई। हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह की सरेआम सड़क पर टक्कर मारकर हत्या कर दी गई और एफ0आई0आर0 तक नहीं लिखी जा रही है, उनकी डेथबाडी थाने में रखी है और उसके बाद भी यदि एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाएगी तो निश्चित तौर से प्रजातंत्र की रक्षा नहीं हो सकेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया गया, इस प्रकार से मान्यवर, पूरे प्रदेश में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होगा तो हमारी बाध्यता होगी कि हम सरकार से लड़ें। हम जनता की ज्वलन्त समस्याओं को ले करके आन्दोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने कहा कि विपक्ष के अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही है और जो अध्यक्ष है [x x x] वह अब भी मदद कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और मेरा अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न है इसलिए मान्यवर मेरे इस कार्यस्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ और विद्वान सदस्य पाल साहब ने अपने कार्यस्थगन पर बोलते हुए यह कहा कि विभिन्न जनसमस्याओं को ले करके आन्दोलन करना हर राजनीतिक दल का और उसके कार्यकर्ताओं का अधिकार है, धर्म है और लोकतंत्र में यह जायज है। मैं शतप्रतिशत, हजार प्रतिशत इससे सहमत हूं और अगर इन समस्याओं को लेकर आन्दोलन करने के खिलाफ अगर

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

किसी भी शासन में प्रशासन के द्वारा उनका उत्पीड़न होता है तो निश्चित रूप से यह निन्दनीय है और यह वाराणसी में भी हो रहा है। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि ....

*संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

मान्यवर, अगर आपने चर्चा के लिए इसकी इजाजत दे दी है तब फिर इधर के लोगों को भी चर्चा में हिस्सेदार बनायें क्योंकि यह चर्चा का माहौल है। अभी कांग्रेस पार्टी बता रही थी कि उसका उत्पीड़न हो रहा है और अब चौधरी साहब बनारस में भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रौशनी डाल रहे हैं। अगर यह चर्चा है तो दूसरे पक्ष को भी चर्चा में हिस्सा लेने दिया जाए नहीं तो मेरे ख्याल से चर्चा न कराई जाए।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी का एक स्टेटमेंट है कि आज जो प्रदेश में अभूतपूर्व बिजली संकट है उसके समाधान के लिए केन्द्रीय सेक्टर से और केन्द्र सरकार से अधिक बिजली की मांग कर रहे हैं, जो उन्हें दिया नहीं जा रहा है, तो यह दोहरा चरित्र क्या है ? प्रदेश भर में आन्दोलन चल रहे हैं और बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है।

* श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल जी बोल रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कहीं और माननीय मंत्री जी ने पूरे दल के ऊपर जो आक्षेप लगाया, वह बहुत ही अशोभनीय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसे प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाये। मान्यवर, कांग्रेस दल के ऊपर आरोप लगाया गया है इसलिए उस आरोप को प्रोसीडिंग का पार्ट बनाना ठीक नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं इसको दिखवा लूंगा।

श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, अभी जिस अविलम्बनीय और लोक महत्व के प्रश्न को माननीय प्रमोद कुमार जी और जगदम्बिका पाल जी ने रखा है। इस नोटिस की महत्वपूर्ण सूचना पर समस्त जनपद व्यक्ति और सारे लोगों के नाम है जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता है और जो निष्ठा व लगन के साथ काम करते हैं उनका जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, वह बहुत ही दुःखद और चिन्तनीय है। यह बात भी है कि हमारा समर्थन सरकार को है और समर्थन जारी है उसके बावजूद भी इस तरह की घटनायें हो रही हैं और उत्पीड़न जारी है। सरकार को इसकी तरफ गम्भीरता के साथ सोचना चाहिए और जिन कार्यकर्ताओं का उत्पीडन हो रहा है उसके निराकरण के लिए कदम भी उठाये जाने चाहिए। कुछ जगहों पर जो सरकार के साथ है वह भी घटनायें करवा रहे हैं। इससे बहुत ज्यादा असन्तोष और उत्तेजना का वातावरण फैल रहा है। संसदीय लोकतंत्र में हमने सरकार को समर्थन दिया है और आज भी जारी है लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का उत्पीड़न हो रहा है। तो इसे सदन के अन्दर उठाने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं है। हमारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धरना-प्रदर्शन चल रहा है और चलेगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायें। जिन समस्याओं, जिन व्यक्तियों और जिन जिलों का नाम आया है, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है उसके निराकरण के लिए सरकार कदम उठाये ताकि भविष्य में जो असन्तोष व्याप्त हो रहा है वह कानून-व्यवस्था का कारण बनेगा। सड़कों पर कार्यकर्ता और पार्टी के लोग आयेंगे। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है वह बर्दास्त के बाहर है। इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित करके चर्चा करायें।

(श्री मोहम्मद आजम खां के खड़े होने पर)

श्री शिव प्रताप यादव-

माननीय उपाध्यक्ष जी, जनपद-बलरामपुर .....

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी खड़े हुये है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, कहीं भी किसी भी जिले में अगर कहीं किसी दल के साथ भी उत्पीड़न की कार्रवाई हो या उनको अहसास हो कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है तो यह सरकार के लिए दुःखद बात है, बुरी बात है। ऐसा दल जो हमारा सहयोगी दल हो, जो हमारा मद्दगार हो, अगर उसके किसी कार्यकर्ता या नेता का उत्पीड़न हो रहा है तो यह हमारे लिए और भी कष्ट और दुःख की बात है। यहां जिन मामलों की तरफ इंगित किया गया है, हमारे पास भी रिपोर्ट है और प्रमोद कुमार जी के पास भी पूरी जानकारी है। जगदम्बिका पाल जी ने उसका दायरा वसी कर दिया है। सुल्तानपुर, रायबरेली, बिजनौर कहीं एक भी हादसे का जिक्र किया है, वहां ऐसा नहीं हुआ होगा कि मुकदमा कायम न हुआ हो। फौरी तौर पर गिरफ्तारी न हुई हो। अगर चार मुल्जिम है तो तीन की गिरफ्तारी हो गयी है और चौथा ने दबाव में आकर आत्मसमर्पण कर दिया है। जांच में कहीं कोई कमी नहीं है और दूसरे पक्ष पर भी कोई नाजायज दबाव नहीं है। अगर कहीं कोई ऐसी सूचना है सदन और सदन के बाहर भी तो हम देखेंगे। सरकार चलाने के अलावा भी प्रमोद कुमार जी का वैचारिक सहयोग रहा है। किसी वाक्ये की तरफ अगर किसी के साथ कोई विक्टीमाइजेशन हुआ है तो वह जानकारी में आना चाहिए और वह रुकना चाहिए। मैं सरकार की तरफ से, माननीय नेता जी बैठे हैं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ आज जैसा कि प्रमोद कुमार जी ने श्री जगदम्बिका पाल जी ने और पूर्व मुख्य मंत्री जी ने कहा, कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता का कोई उत्पीड़न हो न सरकार की ऐसी मंशा है और न ऐसा सम्भव है।

श्री उपाध्यक्ष-

दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के अन्दर पिछले 1-2 वर्षों में प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में काफी पद रिक्त हैं। इसी कारण से बी0एड0 के छात्रों की संख्या बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के अन्दर विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में अनेक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये हैं। इससे एक समस्या खड़ी हुयी है कि हर विश्वविद्यालय बी0एड0 प्रवेश के लिये परीक्षा करता है। चूंकि प्रवेश

की गारण्टी नहीं होती है। इसलिये छात्र हर जगह फार्म भरते हैं और प्रवेश शुल्क परीक्षा के लिये देते हैं जिससे उनका समय और पैसा दोनों बरबाद होते हैं। मान्यवर, महाविद्यालयों में कुछ सीटें परीक्षा के माध्यम से भरी जाती हैं और कुछ कोटा मैनेजमेन्ट का होता है। मेरी निश्चित जानकारी है कि मैनेजमेन्ट कोटे में भीषण भ्रष्टाचार होता है। 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपया छात्रों से लिया जाता है तब प्रवेश मिलता है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा में मेधावी लोगों को अवसर मिलना चाहिए और हर एक के प्रवेश को रोकना चाहिए। अगर किसी ने गलत ढंग से प्रवेश ले लिया और उसको डिग्री मिल गयी और अगर वह शिक्षक हो गया तो 30 वर्ष तक वह शिक्षा देगा और हजारों छात्रों को पढ़ायेगा। वह व्यक्ति जिसने गलत तरीके से बी0एड0 में प्रवेश लिया और और डिग्री ली वह कैसी शिक्षा देगा और वह छात्रों का भविष्य कैसा बनायेगा इसको आप स्वयं समझ सकते हैं। जिस तरह से इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में प्रवेश होता है और प्रदेश में उसका कम्बाइन्ड इक्जामिनेशन होता है और प्रवेश परीक्षा में मेरिट पर आने के बाद काउन्सिलिंग के बाद प्रवेश मिलता है वही व्यवस्था बी0एड0 की परीक्षा में होनी चाहिए। हर जगह जो यह बी0एड0 की प्रवेश परीक्षा हो रही है यह एक गम्भीर विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि बी0एड0 के लिये कम्बाइन्ड इंट्रेंस इक्जामिनेशन हो ताकि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सके और जो यह प्राइवेट महाविद्यालय गलत ढंग से प्रवेश दे रहे हैं उन पर रोक लग सके। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे इस लोक महत्व के प्रश्न पर यह एक अविलम्बनीय विषय है और इससे हजारों छात्रों का भविष्य जुड़ा है इसलिये आज सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

डा0 गौर की यह जो सूचना है, इसको केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

यह तो नियम-56 की सूचना है।

श्री उपाध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-56 के इस कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से देवरिया जनपद के भटनी में घटी एक महत्वपूर्ण घटना की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। भटनी में थाना बनाने के लिए वहां की टाउन एरिया के द्वारा एक एकड़ से अधिक जमीन चिन्हित करके पुलिस विभाग को यह सूचना दी गई कि थाना के लिए हमने यह जमीन चिन्हित कर ली है और थाना यहां बनाया जाय उस जमीन पर जहां टाउन एरिया द्वारा जमीन चिन्हित की गई थी वहां सत्तारूढ़ दल के जिलाध्यक्ष के रिश्तेदार का कब्जा था तो राजनीतिक दबाव के कारण उस जमीन को मुक्त कराकर जहां के लिए गृह विभाग से धन भी अवमुक्त हो गया था लेकिन वहां थाना बनाने का कार्य पुलिस विभाग प्रारम्भ नहीं करा सका और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने और उस जनपद के पुलिस अधिकारियों ने वहां से दो कि0मी0 दूर भटनी गांव में ग्राम सभा की एक भूमि पर जबरदस्ती थाना बनाने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

उस जमीन पर जहां गांव के लोग वर्ष भर अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक आयोजनों को करते हैं और ग्राम सभा ने वहां पर पेड़ भी लगा रखे हैं। जिससे पर्यावरण को भी लाभ हो रहा है। उन पेड़ों को काटकर थाना निर्माण का कार्य शुरू भी कर दिया गया है और ग्राम सभा का प्रस्ताव भी इस संबंध में पास नहीं हुआ है जो कि प्रारम्भिक नियम है। सत्तारूढ़ दल के दबाव के कारण कमिश्नर ने वहां थाना बनाने का आदेश किया जब इस बात का वहां की जनता को पता चला कि वहां थाने का निर्माण हो रहा है तो जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया 22 तारीख से वहां थाना निर्माण न हो इसके लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आमरण अनशन चल रहा है। उन आमरण अनशन की अनदेखी करके निर्माण कार्य जारी रहा इसके विरोध में इस सदन के पूर्व सदस्य और पूर्व सरकारों में मंत्री रहे श्री सूर्य प्रताप शाही जी के नेतृत्व में 110 लोग गए तो बजाय उनके प्रभाव का जनहित में इस्तेमाल करते और अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते उन्होंने सभी 110 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और फिर 31 जुलाई को अगले दिन उस क्षेत्र से पूर्व में सांसद रहे और पूर्व में सेना के अधिकारी रहे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया फिर जनता के और लोग गए उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। मैं इस कार्य स्थगन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि जब टाउन एरिया द्वारा एक जमीन का आवंटन थाने के लिए कर दिया गया और उस जगह थाना निर्माण के लिए शासन के गृह विभाग ने धन भी अवमुक्त कर दिया तब किसी भी व्यक्ति का कब्जा हो चाहे वह कितना प्रभावशाली क्यों न हो वह जनता की भूमि है जनता के काम के लिए थाना बनाने के लिए पैसा अवमुक्त हो चुका उसके बाद फिर वहां से दो कि0मी0 दूर जिगाना गांव में थाना निर्माण कराने का क्या औचित्य। जबकि वहां की ग्राम सभा से प्रस्ताव भी नहीं लिया गया और दूसरे वह जमीन जनता के उपयोग की है वहां वह अपने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है वहां जबरदस्ती कब्जा करके थाना निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। लोक कल्याणकारी सरकार में जनता का सम्मान किया जाना चाहिए यहां वह सम्मान भी नहीं किया जा रहा है। जो लोग जाते हैं उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। सरकार इतना आश्वस्त करे कि थाना बनने के लिए जो जमीन चिन्हित की गई है टाउन एरिया द्वारा वहां पर ही बनाया जाय और दूसरी जमीन पर ग्राम जिगाना में है वहां पर न बनाया जाय। उस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाय।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह समर्थन और विरोध राजनैतिक प्रतिक्रिया है। प्रशासन को कोई सीमा तक नहीं जाना चाहिए। जनरल त्रिपाठी जो थे वे एक्स एम0पी0 के अलावा सेना के बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं। उनका अपना एक प्रोटोकाल होता है, जेल में भी वह लागू होना चाहिए। जेल में उनको विशेष क्लास मिलना चाहिए। जेल में उनको सामान्य अपराधियों के साथ भेज दिया गया। जब हम न सेना का सम्मान कर रहे है न राजनैतिक दलों का सम्मान कर रहे हैं। जन भावनाओं के साथ प्रशासन अपनी मर्जी से जो चाहे व्यवहार करे और जब माननीय मुख्य मंत्री या और पक्ष से निर्देश हों तब वह धाराएं बदल दी जायं। ऐसे-ऐसे केसेज हो रहे हैं जहां पर एक प्रदर्शन के लिये 15-15 दफाएं लगा दी गई हैं। ऐसा मालूम होता है कि प्रदेश में जितने अपराध हैं वह इन्होंने कर दिये।

इसलिये कि यह सरकार के विरोध में बोल रहे हैं। इस प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए अन्यथा जब ज्यादा घुटन महसूस होती है तो विस्फोट होता है। जब यही स्थिति पैदा हो गई थी तब ही इमरजेन्सी लगी थी और श्रीमती इन्दिरा गांधी को अपने पद से हटना पड़ा था।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सलाह देता हूं कि वे लोकतंत्र की परम्पराओं का आदर करें। जब वे भी सत्ता के बाहर थे तो रोजाना धरना और प्रदर्शन करते थे। जो भी धरना प्रदर्शन करता है यह मानकर करता है कि पिटाई होगी, जेल में डाल दिये जायेंगे। लेकिन यह अपेक्षा करेंगे कि ऐसी जगह डाल दिये जायेंगे। ऐसा असम्मानजनक व्यवहार करेंगे जहां सामान्य अपराधी हों उन्हीं के साथ रखा जायेगा। थाने से बहुत पहले गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि थाने की दीवार गिरा रहे थे। राजनैतिक दलों के साथ इस तरह का सम्मान किया जायेगा, उनको जेल में उन अपराधियों के साथ रखा जायेगा जिनका पूरे प्रदेश में एक मान है, सम्मान है, एक पहचान है। शाही जी और जनरल साहब को जिस तरह से जेल में अन्य अपराधियों के साथ डाल दिया गया, यह लोकतंत्र की परम्पराओं के विरुद्ध है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सलाह देना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें वे इस तरह से निरंकुश न हो जाएं। कुर्सी हमेशा किसी की नहीं रहती है। ऐसा न हो कि आज जो कर रहे हैं कल फिर उसी दमन के चक्र से उनको गुजरना पड़े।

*मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय नेता विरोधी पक्ष ने हमने विशेष आग्रह किया है इसलिये मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो थाने के निर्माण की बात बताई गई है उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा किया गया और जब मुझे खबर मिली मैं दिल्ली में था। बी0जे0पी0 के अध्यक्ष माननीय केशरी नाथ जी से मेरी बात हुई। हमने जांच पड़ताल के बगैर आदेश दिया कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, रिहा किया जाय और शायद तत्काल उसी वक्त रिहा कर दिया गया। जहां तक आपने क्लास देने की बात कही है वह देना चाहिए था। हम श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे जनरल भी रहे हैं और लोक सभा के सदस्य भी रहे हैं। बहुत सम्मानित नेता हैं उनको सम्मान देना चाहिए था। यह हम जरूर देख लेंगे कि कहां पर यह भूल हुई है, लापरवाही हुई है या जानबूझकर क्लास नहीं दी गई है। एक रात उनको ठहरना पड़ा जब मुझे खबर मिली तो तत्काल हमने रिहा करा दिया। जहां तक जमीन का सवाल है इसको जरूर दिखवा लेंगे। अनियमितता क्या थी जबर्दस्ती पुलिस या पी0ए0सी0 बनवा रही है या कार्यकर्ता बनवा रहे हैं इसको दिखवा लेंगे। इमरजेन्सी की बात कही कैसा पहले रहा है। इमरजेन्सी जैसा माहौल 29 अगस्त से पहले था। आपके मंत्री जब आपकी सरकार थी अधिकारियों के पास जाते थे। (व्यवधान)

हमारे मंत्री यदि अधिकारियों के पास जायेंगे तो उन्हें मंत्रि-मण्डल से बाहर कर देंगे। आपके मंत्री जब आपकी सरकार थी तो आई0ए0एस0 के पैर छूते थे। (व्यवधान)

यह जो पीछे बैठे है इनसे पूछिये मीटिंग के अन्दर पैर छूते थे।

बी0एस0पी0 वाले अकेले जिम्मेदार थोड़े हैं उसमें आप भी जिम्मेदार हैं उस सरकार में आप भी शामिल थे। माननीय हुकुम सिंह जी ब0स0पा0 को छोड़ना नहीं चाहते हैं इसने तो सबको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

धोखा दिया है यह अलग चीज है आप जिम्मेदार नहीं हैं आप बढ़ावा नहीं देते हैं हम भी नहीं देते हैं चाहे मैं सरकार में आऊं या न आऊं एक बार तैयार हो गये थे हम लोग आप तो दो बार रहे। (व्यवधान)

जो अनैतिक बातें आपके दल ने कहीं है इतनी किसी ने नहीं कहीं है उत्तर प्रदेश की जर्जर स्थिति उत्तर प्रदेश की नौकरशाही की जो शिकायतें हैं उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। बी0जे0पी0 से कहना चाहूंगा एक कहावत गांव में है ..... "चोर नहीं चोर की नानी को पकड़ो" तो चोर की नानी तो आप हैं तो कहां इमरजेन्सी से तुलना करने लगे। बी0एस0पी0 के कार्यकर्ता नहीं कह सकते हैं कि हमारी शिकायत है ..... (व्यवधान)

बड़े-बड़े गम्भीर मामले हैं जो मेरे प्रकाश में है लेकिन कानून अपने आप पहल करे हम पहल नहीं करेंगे, हम पहल नहीं कर रहे हैं यह बी0एस0पी0 के लोग हैं यहां बीच में आते हैं इसीलिए मैंने कहा था धरना देना कम कर दीजिए मैंने बी0एस0पी0 के नेता से कहा अपने बेटे पर कन्ट्रोल करें ..... व्यवधान

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[x x x] (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

लिखा नहीं जा रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इनको संभालिये इतना ब्लड प्रेशर न हो जाए कि यहीं डाक्टर को बुलाने की जरूरत पड़ जाए।

(हंसी)

हम इस तरह से बात नहीं करना चाहते हैं सच्चाई बोलते हैं अगर पीछे पड़ जाते तो पता चलता देते।

(व्यवधान)

इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने बेटे को नियंत्रण में रखें। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार आप भी हैं और सारी व्यवस्था को आपने तहस-नहस किया है। उसको सुधारने में हम लगे हैं। चाहे कोई भी समस्या हो, मैं इतना कह सकता हूं कि सरकार निष्पक्ष है। हम दिल से कहते हैं, किसी भी राजनीतिज्ञ से कुछ गलती भी हो जाती है, हम लोग बड़े आन्दोलनकारी रहे हैं और कुछ न कुछ गलतियां करते हैं और भी कोई शिकायत रही होगी, नेता विरोधी दल को तो मैं उसे दिखवा लूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक आश्वासन और चाहता हूं। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि थाने के निर्माण के बारे में दिखवा लेंगे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं सदन को आश्वस्त कर

नोट :-[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दें कि टाउन एरिया द्वारा एक एकड़ से ज्यादा भूमि जो निर्धारित की गयी थी, थाने का निर्माण उसी भूमि पर हो जाएगा, यह आश्वस्त कर दें।

दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कामेश्वर उपाध्याय)-

उपाध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

यह कोई चर्चा नहीं हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य मंत्री भी है और वही उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है और यह इनका विशेषाधिकार भी है कि यह अपनी स्थिति स्पष्ट करें और यह वहां के बारे में बतायें।

श्री उपाध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह इनका विशेषाधिकार है, फिर भी जैसे आपके निर्देश हों।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप बैठें, फिर सुन लेंगे।

(श्री कामेश्वर उपाध्याय के कुछ बोलते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। यह परम्परा के अनुकूल नहीं है। आप मंत्री हैं, कृपया बैठें। मुख्य मंत्री जी के बाद नहीं बोलना चाहिए, इतना तो आदर-सम्मान रहना चाहिए। मैंने मना कर दिया है कि यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी के उत्तर देने के बाद भी जब तक आप अपनी व्यवस्था न दे दें, तब तक प्रकरण समाप्त नहीं होता है। मुझे अधिकार है, संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आप इजाजत दें, मैं कहना चाह रहा था कि अगर प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है और अभी प्रकरण जारी है और उधर से सवाल भी हो रहे हैं, मुख्य मंत्री जी चले गए हैं जवाब देने के बाद तो मेरा अधिकार बनेगा कि मैं उत्तर दूं क्योंकि प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है, वह चल रहा है और वहीं के मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

डा0 बाजपेयी, नेता विरोधी दल और मुख्य मंत्री जी को मैंने सुना। यह नियम-56 में नहीं आता और मैं इसे नियम-56 में अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री सतीश महाना की, कानपुर नगर को विशेष पैकेज देने के सम्बन्ध में है।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से नियम-56 के इस लोक महत्व के प्रश्न द्वारा कानपुर महानगर की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम, कानपुर नगर निगम है। उसकी आबादी 40 लाख है। वहां पर आवश्यकतानुसार नगर निगम द्वारा कार्य कराया जाता है और सरकार के द्वारा भी भिन्न-भिन्न योजनाओं में सहायता दी जाती है। विगत वर्षों में ऐसा प्रचलन रहा है। लेकिन जिस समय सरकार बदली तो सरकार बदलने के बाद स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानपुर में घोषणा की थी कि कानपुर नगर के विकास के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाएगा। एक वर्ष हो गया है। उस घोषणा से ऐसा लगा था कि इस विशेष पैकेज से कानपुर नगर का विकास होगा, एक नया आयाम स्थापित होगा। लेकिन आज तो कानपुर नगर निगम के हालात बद से बदतर हो गये हैं। उन्हें रिवाल्विंग फण्ड से पैसा दिया जाता था। मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रिवाल्विंग फण्ड के माध्यम से जो पैसा दिया जा रहा था क्या वह इस वर्ष भी दिया गया, अगर दिया गया तो उसके लिए क्या-क्या मद तय किये गये कि कानपुर महानगर की जर्जर सड़कों का विकास कार्य प्रारम्भ होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह जब उत्तर देंगे तो सकारात्मक उत्तर देंगे। एक बात और कि जो सारा का सारा रिवाल्विंग फण्ड दिया है उसकी कृपया मानिटरिंग कर लें। कानपुर नगर निगम के द्वारा विभिन्न योजनाओं पर काम हो रहा है। इसमें इण्डोडच एक महत्वाकांक्षी योजना है, कानपुर नगर में गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत काम एक वर्ष से बन्द है। कानपुर बैराज में काम एक वर्ष से बन्द पड़ा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह प्रश्न दो दिन पहले भी ला चुके हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने दो दिन पहले कानपुर एक्शन प्लान का जिक्र नहीं किया था, मैंने पहले किसी भी प्रकार से रिवाल्विंग फण्ड का जिक्र नहीं किया था, शहरी क्षेत्र के लिए अलग से हैण्ड पम्प का जिक्र नहीं किया था।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने यह सुन लिया।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बोलें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा कहना है कि यह सारे काम त्वरित गति से प्रारम्भ किये जायें। कानपुर में बस्ती के अन्दर भी काम करने की मंशा होनी चाहिए। उसमें भी आदमी रहते हैं। उनकी भी आवश्यकताएं होती हैं। वोट किसी का नहीं होता है। जो कोई अपने क्षेत्र के अन्तर्गत विकास का कार्य कराता है जनता उसी की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है। ....

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष-

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बिजली नहीं है, हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। हमारे रिवर साइड पावर स्टेशन जल गया है। वह 6 महीने के अन्तर्गत तीन बार जल गया है। मान्यवर, कानपुर महानगर में एक सबसे बड़ा टैंक जो कि पच्चीस हजार किलोमीटर का है और वह 94 में बना था, उसकी छत ढह गयी है। इसकी चिन्ता किसी को नहीं है और वह सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र है और वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है। एक महीने से पानी नहीं आ रहा है। तो इस समस्या की ओर ध्यान दिया जाय और उसका निराकरण कराया जाय। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कानपुर महानगर की एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी जब वह वहां पर आये थे। माननीय नगर विकास मंत्री जी ने भी यही बात कही थी। मैं इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

वैसे तो और लोगों ने भी इसकी घोषणा की थी। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने घोषणा की थी मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि नगर निगम पर इनका कब्जा है और केन्द्र सरकार पर भी इनका कब्जा है। केन्द्र सरकार एक बहुत बड़े मंत्री जो कि चौथे नम्बर पर है उन्होंने भी कहा था वह वहां गये भी थे। मुझे यह पूरा विश्वास है कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया है कि विशेष पैकेज के लिए कानपुर महानगर के लिए वह देंगे और चालू विकास के कामों को नहीं रोकेंगे और उसे आगे बढ़ायेंगे। मान्यवर, यह अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है इसलिए मैंने इसे नियम-56 में उठाया है और मैं इसमें चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं महाना जी का बड़ा आदर करता हूं। मान्यवर, महाना जी ने खुद बताया है कि सारा कब्जा तो दूसरों का है। नगर पर कांग्रेस का कब्जा है, भारत सरकार पर भी कांग्रेस का कब्जा है आप कुछ कर नहीं रहे हैं। मांग इतनी लम्बी चौड़ी है। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। एक बात कही 'बद से बदतर' तो आपने बदतर न किया होता। वैसे हम इसमें सुधार जरूर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना और इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अगली मद ले रहा हूं

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने भी नियम-56 पर सूचना दी थी।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठें। मैं विशेष उल्लेख की सूचना ले रहा हूं। पहली सूचना श्री नवाब सिंह नागर जी की है।

*श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जो भयंकर स्थिति पैदा हो गई है उसके बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंग नहर से और यमुना नहर से सिंचाई की व्यवस्था होती है, और गंग नहर के कारण पश्चिम में खुशहाली का माहौल भी है, लेकिन इस वर्ष यहां सिंचाई व्यवस्था में अभूतपूर्व संकट आ गया है। गंग नहर के जो शुरुआती जिले हैं वह संबंधित मंत्री के ही जिले हैं और उन जिलों में मुजफ्फरनगर मुख्य रूप से बागपत में पानी का भारी दुरुपयोग हो रहा है वहा पर रोस्टर प्रणाली का किसी भी तरह से पालन नहीं हो रहा है उसके कारण से जो नीचे के जिले है उनमें किसानों को सिंचाई के लिये बिल्कुल भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ आदि में किसानों को सिंचाई का भारी संकट पैदा हो गया है। मान्यवर, लगभग दो महीने पहले वहां के सुपरिंटेण्डेण्ट इंजीनियर को इसके लिये सस्पेण्ड भी किया गया था, लेकिन मान्यवर, वहां पर आज भी पानी का बदस्तूर दुरुपयोग जारी है, मान्यवर, यह विभाग लोकदल के पास है और उस पर सरकार का ज्यादा नियंत्रण नहीं है, इससे किसानों को सिंचाई की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार लोकदल पर अंकुश लगाते हुये गंग नहर के नीचे के जो जिले है उनमें सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे और जो रोस्टर प्रणाली है उसे लागू करे। मान्यवर, यह विषय जो हमने उठाया है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर नियम-56 के अन्तर्गत चर्चा करायें।

श्री उपाध्यक्ष-

दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की आदिवासियों के हित के लिये लघु वन उपज को निःशुल्क घोषित किये जाने के संबंध में है।

(माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

तीसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की बी0 टी0 सी0 पत्राचार प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षाफल घोषित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, नियम-56 के अन्तर्गत आपने बी0टी0 सी0 पत्राचार प्रशिक्षणार्थियों के मुद्दे पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और माननीय सरकार को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अशासकीय क्षेत्रों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक-अध्यापिकाओं को शासनादेश 06 दिसम्बर, 1994 के अनुसार 30-06-96 तक प्रशिक्षण पूर्ण कराना चाहिये था। रिट याचिका संख्या-10-1-161/1996 आदेश पारित दिनांक 29-10-96 के अनुपालन में सम्पूर्ण प्रदेश में बी0टी0सी0 पत्राचार परीक्षा माह उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार कराई गई लेकिन उसका परीक्षाफल आज तक नहीं घोषित किया गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, शब्द-शब्द नहीं पढ़ा जाता है, यह गलत बात है यह तो नई परिपाटी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, 22-07-2004 को सभी प्रशिक्षु अभ्यर्थियों ने विधान सभा के सामने मुख्य मार्ग पर भिक्षा मांगी थी, उनका धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, माननीय मंत्री जी ने जब उन्हें आश्वासन दिया तब उनके आग्रह के अनुसार उन्होंने भिक्षा मांगने का कार्यक्रम समाप्त किया, इसी तरह से माननीय अध्यक्ष जी 28-07-2004 को माननीय शाकिर अली जी जो माननीय मंत्री हैं लघु सिंचाई विभाग के, बी0टी0सी0 प्रशिक्षु सैकड़ों की संख्या में उनसे मिलने के लिये उनके आवास पर गये, लेकिन माननीय मंत्री जी का उनसे मिलना तो दूर रहा उल्टे उन्होंने पी0ए0सी0 बुलाकर अभ्यर्थियों को वहां से भगाने का निर्देश दिया। उनके ऊपर डन्डे बरसाये गये जिससे उनके सर में चोट आई पैर में चोट आई और अनेक प्रकार की चोटें आईं। वह यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं विधान सभा के सामने बैठे हुये हैं, अनशन पर बैठे हुये हैं भूख से परेशान हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था और उस आदेश के बावजूद भी उन पत्राचार बी0टी0सी0 को नहीं लिया जायेगा ? मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा की मांग करता हूं और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने द्वारा दिये गये आदेशों को सरकार पालन कराकर पत्राचार बी0टी0सी0 का लाभ दिलाये। एक तरफ बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है अध्यापकों की कमी है इससे शिक्षक नियुक्त हो जायेंगे और अध्यापकों की कमी दूर होगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी सहानुभूतिपूर्वक उन अध्यापकों के बारे में विचार करें। उनके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, मेरी बहुत महत्वपूर्ण सूचना है एक मिनट सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष-

आप बैठे।

नियम 56 में जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई अस्वीकृत हुई उनके नाम हैं- श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री उदय भान करवरिया, श्रीमती विद्या चौधरी, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री प्रागी लाल अहिरवार, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राजेश कुमार, डा0 सुशील चौधरी, प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुरेश कुमार खन्ना, और श्री मुंशी लाल गौतम।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

आप लोग बैठे।

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार संशोधन विधेयक, 2004

कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004

उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 का संशोधन करने के लिए :-

विधेयक

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन), संक्षिप्त नाम अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1999 की धारा 49 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 की धारा 49 में,-

(क) उपधारा (1) में शब्द "बारह मास" के स्थान पर "साठ मास" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

कृषि (कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात को छोड़कर) एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र आरम्भ हो जाने के बावजूद बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने एवं पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशकों द्वारा रद्दी किस्म के कागज पर मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश नारायण द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा

श्री जगदीश नारायण राय-

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 52 के माध्यम से यह चर्चा सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह बहुत ही अहम मसला है। शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। आजादी के आज 56 साल बीतने जा रहे हैं आशा है कि शिक्षा को जितना हम आगे बढ़ायेंगे शिक्षित होंगे अच्छी व्यवस्था होगी अच्छी चीजें आयेगी लेकिन आज जो रूप देखने को मिल रहा है, शिक्षा सत्र प्रारम्भ हो चुका है पूरे प्रदेश में कहीं भी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। किसी भी दुकान पर चले जाइये, दुकानदार नई पाठ्य पुस्तकों की जगह पुरानी पुस्तकें दे रहे हैं, वह नई पुस्तकें देने को तैयार नहीं है। इस कारण मान्यवर, गरीब मजदूर, किसान के बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको यह समझ नहीं आ रहा कि कब पुस्तकें छपकर आयेंगी, कब वह उनको पढ़ेंगे, और कब इम्तहान दे

पायेंगे, यह आज सबसे अहम् सवाल है और पूरे सदन द्वारा इस पर चर्चा होनी चाहिये। यह समस्या किसी पार्टी की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश की शान और गौरव की बात है। यदि कहीं भ्रष्टाचार होता हो तो उस पर अंकुश लगाना हर सरकार का दायित्व है, हर जन-प्रतिनिधि का दायित्व है। आज जो देखने को मिल रहा है, उससे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की शिकार यह व्यवस्था होती जा रही है। जो प्रकाशक है, वह अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उनके लिये कोई कानून नहीं, कोई ला नहीं, जबकि पूरा अमला बैठा हुआ है। कब उन्हें प्रस्तावित करना चाहिये, कब किताबों का प्रकाशन होना चाहिये, कितना उसका दाम होना चाहिये, कुछ तय नहीं है। जो वह चाहते हैं, वह दाम ले रहे हैं, इसलिये आज मैं इस विषय पर चर्चा के लिये सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं इस पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद कोई सही बात सामने आये, जिससे प्रदेश को दिशा मिले, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

आज जिस विषय पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार हुयी है, वह छात्र-छात्राओं और अभिभावकों से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है। मान्यवर, आज इस प्रदेश में 40 प्रकाशक हैं, जिनकी पुस्तकों का मूल्य नहीं छपा, सबसे अहम् मसला यह है कि अभी तक मूल्य नहीं छपा और मेरी निश्चित जानकारी है कि मूल्य निर्धारण की पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां लम्बित पड़ी है। इस बीच इन प्रकाशकों ने क्या किया, उन्होंने उन पुस्तकों का मूल्य तय हुये बिना ही अपने मनमर्जी के स्टीकर लगाकर किताबों को मार्केट में दे दिया और जो किताब 20-25-40 रुपये की है, वह औने-पौने दामों पर बेची जा रही है। साथ ही एक घपला और किया गया है कि इन प्रकाशकों को जिन किताबों को छापने के लिये आवंटित किया गया है, उन प्रकाशकों ने आवंटन के विपरीत किताबों को छापने का काम शुरू कर दिया। जबकि इन प्रकाशकों ने इस बात का शपथ-पत्र दिया था कि वह इन किताबों को छापकर जून तक उपलब्ध करा देंगे। मैं तो यह बता ही रहा हूं और कोई भी माननीय सदस्य को जानकारी हो तो वह बता दें। आज कक्षा 6, 7 व 8 की किताबें मार्केट में मिल नहीं रही हैं और फर्जी किताबें छापकर विद्यार्थियों और अभिभावकों के साथ नंगा नाच यह प्रकाशक कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम चाहते थे कि इन प्रकाशकों की सूची उपलब्ध करा दी जाय और सभी के लिये यह सूची जारी कर दी जाय कि फलां-फलां प्रकाशक को यह-यह किताबें आवंटित की गयी हैं। मान्यवर, इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार काफी फैला हुआ है, मैं अभी पिछले हफ्ते की एक घटना बता रहा हूं। आगरा जनपद में एक बिल्टी पकड़ी गयी जो मेरठ के नगीना प्रकाशन के नाम की थी। काफी बड़ी संख्या में किताबों की यह बिल्टी वहां पकड़ी गयी। वह प्रकाशक पकड़ा गया लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरठ का प्रकाशक है और आगरा में किताबें पकड़ी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, यह अहम् मसला है। जो हाईस्कूल की किताबें छप रही हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को बता रहा हूं कि आप पता लगवा लें जो 15 रुपये की किताबें हैं वह 100-150 रुपये में स्टीकर लगाकर बांटी जा रही हैं, पूरी मार्केट में जैसे लूट मची हुई है। प्रकाशक जो नकली पुस्तकें छाप रहे हैं उन नक्कालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किताबों का रेट तय होना अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यहां विचाराधीन है फिर भी किताबों पर स्टीकर लगाकर उनको बेचा जा रहा है, नियमों की अवहेलना की जा रही है। कागज का जो मानक निर्धारित है कि कागज का यह मानक होगा, उसकी अनदेखी करके किताबों में कागज लगाया

जा रहा है। अगर किताब के किसी पन्ने को तीन दिन पढ़ लिया जाय तो चौथे दिन वह पन्ना गायब हो जायेगा। यहां पर तीन-चार प्रकाशक हैं जैसे लखनऊ में सिंघल एजेन्सी, आगरा में अर्चना प्रकाशन मंदिर पूरे प्रदेश में 40 प्रकाशक हैं। आज कक्षा-6, 7 और कक्षा-8 की किताबें उपलब्ध नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष-

अब आप आगे बढ़े।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, आगे बढ़ रहा हूं। मैं तीन चीजों पर जोर दे रहा हूं। आगरा में मेरठ के प्रकाशक के नाम से जो किताबें पकड़ी गई, सरकार उसका संज्ञान ले। जो रेट का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां विचाराधीन है और स्टीकर लगाकर किताबें बेंची जा रही हैं, उस पर कारंवाई होनी चाहिये। प्रदेश में 40 प्रकाशक हैं, उनकी एक सूची जारी की जाय और जनता को यह बताया जायं कि वह प्रकाशक कहां पर है। कक्षा-6, 7 और कक्षा-8 की किताबें उपलब्ध नहीं हैं, उनको उपलब्ध कराया जाय। प्रकाशकों की जो मनमानी चल रही है, फर्जी रेट लगाना, फर्जी कागज का लगाना, इससे बहुत लम्बा असन्तोष व्याप्त है। मैं विद्यार्थियों और अभिभावकों के हित में यह बातें कह रहा हूं। आगरा में जो बिल्टी पकड़ी गई है उसके लिये सदन में घोषणा होनी चाहिये कि ऐसे प्रकाशकों की जांच करायेंगे। मूल्यों का निर्धारण कराकर छात्रों और अभिभावकों के शोषण को रोका जाय, मानक के अनुसार कागज का प्रयोग किया जाय। आज प्रदेश में जहां शिक्षण सत्र प्रारम्भ हो गया है, बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, प्रदेश में अभिभावकों और छात्रों का शोषण हो रहा है। मैं सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज विद्यार्थियों की जिन्दगी और अभिभावकों के धन, दोनों का शोषण हो रहा है। इसलिए मान्यवर, इस चर्चा को सरकार गम्भीरता से लेकर के घोषणा करे कि फर्जी प्रकाशकों के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करायेंगे, छापा डलवायेंगे और उनके गोदामों को सीज करवायेंगे जिससे प्रकाशकों में दहशत पैदा हो। तीन-चार बिन्दुओं की ओर मैंने इंगित किया है उसकी तरफ सरकार ध्यान दे और छापा मारा जाये और एफ0आई0आर0 दर्ज करायें तथा प्रकाशकों को जेल भेजने की भी कार्यवाही होनी चाहिए। यह छात्रों और अभिभावकों से जुड़ा हुआ मसला है। मैं सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि इसको गम्भीरता से लेते हुए कार्यवाही करें। मैंने कक्षा-6, 7 व 8 की किताबों का भी उल्लेख किया है। प्रकाशकों द्वारा बदमाशी हो रही है। सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया इसलिए आभार प्रकट करता हूं। जिन बिन्दुओं की तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है, सरकार उसको गम्भीरता से लेते हुए सख्त कार्यवाही करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। श्री जगदीश नारायण राय जी और श्री सुखदेव राजभर जी ने प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण सत्र प्रारम्भ हो जाने के बावजूद बाजार में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न होने एवं पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशकों द्वारा रद्दी किस्म के कागज पर मुद्रित किये जाने के सम्बन्ध में जो बातें कही हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मेरा यह मानना है कि सरकार शिक्षा के बारे में कतई गम्भीर नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा

कारण है कि शिक्षा के जितने भी विभाग है वह माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं जबकि बहुत योग्य विधायक बैठे हैं। चाहे उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो जब एक ही व्यक्ति के पास सारे बिभाग रहेंगे तो वह उनको सही प्रकार से कैसे देख सकेगा। पहले हर विभाग का मंत्री और सचिव अलग हुआ करता था लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्रमुख सचिव, शिक्षा हैं वह सारे विभागों को देख रही है। निश्चित रूप से इससे कार्य प्रभावित होता है। (इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये) जब कार्य का बंटवारा होता है तो इफीसियेन्सी बढ़ती है। मान्यवर, जब नया सत्र होता है कि समय से पाठ्य पुस्तकें मिलें और सही मूल्यों पर मिले, पाठ्य पुस्तकें अच्छे कागज पर छपी हुई मिले। प्रदेश में आज जो स्थिति है चाहे माध्यमिक स्तर की पुस्तकें हों या बेसिक स्तर की, कागज बहुत ही खराब है। माध्यमिक विद्यालयों मे पढ़ाई सम्भव नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि शिक्षा की चिन्ता करते हुए सही समय पर पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करायें। अभी बात आयी प्रकाशकों की, कुछ प्रकाशक जो पुस्तकें प्रकाशित करते हैं तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जो पाठ्य-पुस्तक निर्धारण की समिति होती है, जो पाठ्य-पुस्तकें स्वीकार करती है तो उस समिति का प्रकाशकों से मिलीभगत होती है। कमीशन लेकर उनकी किताबें स्वीकार की जाती हैं। कभी-कभी अच्छे-अच्छे प्रकाशकों के पाठ्य-पुस्तकें स्वीकार नहीं की जाती। मेरा अनुरोध है कि दो-तीन साल के जितने प्रकाशक हैं, जिनकी पुस्तकें स्वीकार की गयी हैं, उनकी हाई लेबिल की जांच हो जाए तो निश्चित रूप से पता चल जायेगा कि किन प्रकाशकों की सरकार या समिति से सांठ-गांठ रही है जिससे बाई रोटेशन उन्हीं की पुस्तकें क्रय की जाती रही है। निश्चित रूप से आज हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा के बारे में और सोचने की आवश्यकता है। विशेष रूप से चाहे बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो। जब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा का स्तर ठीक होगा तो हाई एजुकेशन में भी सुधार होगा।....

जब हमारी नींव ठीक होगी तो हमारा महल भी अच्छा बनेगा। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि शीघ्र ही पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जायं और अच्छी क्वालिटी की पुस्तकें उपलब्ध करायी जायं और उनका मूल्य ठीक हो। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार शिक्षा से जुड़े हुए 10-11 माननीय विधायकों की एक समिति बना दे जो एक महीने के अन्दर विचार-विमर्श करके इस पर एक रिपोर्ट दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

*श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

मान्यवर, इस विषय पर मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं पुस्तकों के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं। जूनियर हाई स्कूल की किताबें लगभग उपलब्ध हैं केवल एक-दो किताबें जो चेन्ज हुई हैं वह उपलब्ध नहीं हैं। "हमारे महान व्यक्ति" जिसका पाठ्यक्रम चेन्ज हुआ है वह उपलब्ध नहीं है। जूनियर हाई स्कूल की इंगलिश की किताब जो कक्षा 6-7-8 की हैं वह उपलब्ध नहीं है। हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की कई किताबें रत्न प्रकाशन मंदिर के पास हैं। गणित की जो किताब डा0 मनोहर रे की है वह मार्केट से गायब है। मास्टर माइण्ड पब्लिकेशन मेरठ के पास 9-10 प्रकाशन हैं वह किताबें भी उपलब्ध नहीं हैं। साक्षी पब्लिकेशन, दिल्ली इनकी एक भी किताब उपलब्ध नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस तरफ देखें। क्या पब्लिशर लोग किताबें ब्लेक करना चाहते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, किस आधार पर किताबें उपलब्ध नहीं हैं ? जब प्रकाशकों से हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि जो किताबे शासन मुफ्त बांटता है उनको हम छाप रहे हैं। अब अगस्त चल रहा है अब किताबें मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए। जिन प्रकाशकों को किताबें एलाट की गयीं हैं उनकी मानेटरिंग होनी चाहिए और वह किताबें जनता के बीच होनी चाहिए।

*बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

मान्यवर, चर्चा तो माध्यमिक विद्यालय की पाठ्य पुस्तकों के बारे में है लेकिन माननीय सुखदेव राजभर ने हाई स्कूल की पुस्तकें के बारे में कहा है। हमारे विभाग से 90 प्रतिशत पाठ्य पुस्तकें बंट चुकी हैं। जहां तक कागज की बात कही है पहली बार सरकार ने कोशिश किया है और इसकी व्यवस्था की है। आपके जमाने में बेसिक शिक्षा की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है ? जब से यह सरकार आयी है इस विभाग में एक पैसे की भी बेइमानी सिद्ध कर दें तो हम अपने पद से त्याग-पत्र दे देंगे। (मेजों की थपथपाहट) हमारी सरकार के कामों में पूरी तरह से पारदर्शिता है। शिक्षकों की भर्ती हुई है मीडिया परसन, इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोग, विरोध पक्ष, किसी ने भी इस बारे में कोई बात नहीं कही है। पारदर्शिता के साथ, मेरिट पर भर्ती हुई है, और वह प्रक्रिया अब तक जारी है। सरकार कोशिश कर रही है कि जिसका मेरिट के हिसाब से हक बनता हो उसकी भर्ती की जाय।

किताबें बंट गई है। कागज नीति बनाई गई है। आपके जमाने में कितने करोड़ का मामला उजागर हुआ था। आप प्रकाशकों को जानते हैं मैं शपथपूर्वक कह सकता हूं मैं एक भी प्रकाशक को नहीं जानता और न ही एक भी प्रकाशक से मिला हूं। मुझे पता नहीं है कौन प्रकाशक कहां रहता है। एक भी प्रकाशक से मेरी भेंट नहीं हुई है। न ही मुझे जानकारी है लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रहा हूं। जो प्रकाशक गुणवत्तापूर्ण किताबें नहीं छापेगा हमने उनके ऊपर पहले से अधिक पेनाल्टी लगाई हुई है। किताब छपने के दौरान हमने कागज की चेकिंग कराई है कागज की गुणवत्ता और मानक दिखवाया है जिसका कागज इन्फीरियर पाया जाएगा उसके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। 90 प्रतिशत से अधिक किताबें बाजार में आ चुकी हैं। हमारी नीति पारदर्शी है किताबें बंट रही हैं। आपने प्रकाशकों के नाम लिए आप प्रकाशकों से मिलते होंगे मैं नहीं मिलता मैं किसी प्रकाशक को नहीं जानता और आपने प्रकाशकों के सम्बन्ध में बताया उसको आप लिखकर दे दीजिए हम दिखवा लेंगे। समय पर पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं पेनाल्टी पहले से अधिक कर दी गई। किताबों के छपने के दौरान ही चेकिंग कराई गई। सर्वशिक्षा का अभियान जोर शोर से चल रहा है यह हमारा नैतिक दायित्व है कि जो जनता का फण्डामेंटल राइट है उसको पूरा करें।

(श्री जगदीश नारायण राय का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अभी किताबों के बारे में बताया।

श्री वसीम अहमद-

प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्य खुद ही भाग गए।

श्री सुखदेव राजभर-

जो पाठ्य पुस्तकों का स्लेबस है जो प्रकाशकों को उपलब्ध कराया गया है उस स्लेबस के आधार पर प्रकाशक किताब छापते हैं। अभी आगरा में एक दूसरे प्रकाशक के नाम से एक बिल्टी

पकड़ी गई तो उस प्रकाशक के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? अभी शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम किसी प्रकाशक को नहीं जानते लेकिन आपने प्रकाशकों को किताबें आवंटित की कि फलाँ-फलाँ किताब आप छापें लेकिन वह प्रकाशक समय से किताबें उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

केवल स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद मांगे। भाषण न दें। श्री जगदीश नारायण राय उपस्थित नहीं हैं।

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)-

सभी माननीय सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा के इस शिक्षण सत्र में पठन-पाठन का कार्य किताबों की अनुपलब्धता के कारण सही तरह से न होने के बारे में ध्यान आकृष्ट किया। माध्यमिक शिक्षा नीति की चर्चा के दौरान कुछ प्रकाशकों के नाम लिए गए। प्रकाशन की एक प्रक्रिया है जिसके तहत अखबार में विज्ञप्ति जारी करके सारे प्रकाशकों को किसी नाम से नहीं। सम्पूर्ण प्रदेश में एक प्रकाशन होता है और उसमें लिखा जाता है। हमारी शर्तें होती है सारे प्रकाशनों के लिये। यह 10 मार्च के अमर उजाला में छपा हुआ है। 22 प्रकाशकों ने इसमें आवेदन किया था और 22 में से एक ब्लैक लिस्टर था। मात्र 21 प्रकाशक इसमें आये थे। इसमें कुछ विलम्ब के लिये तो मैंने स्वीकार किया है लेकिन अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि अभी मूल्यों का निर्धारण नहीं हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पत्रावली है। मैं बताना चाहता हूं कि पत्रावली में निर्णय हो गया है और इसकी सूचना सारे प्रकाशकों को दे दी गई है। कोई भी प्रकाशक, जो अनुबन्ध दाखिल करता है, एग्रीमेन्ट साइन करता है यदि उसकी कन्डीशन को ब्रेक करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही निश्चित रूप से की जायेगी। माननीय सुखदेव जी ने आगरा में किसी एक प्रकाशक का जिक्र किया है। यह शासन के संज्ञान में नहीं है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हम इसकी जांच करायेंगे अगर उन्होंने कहीं कोई गड़बड़ी की होगी तो विधि सम्मत उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि जिन प्रकाशकों को माध्यमिक कक्षा की किताबें प्रकाशित करने या छापने के लिये चयन हुआ है, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कोई धृष्टता नहीं कर रहा हूं। वह किताबें अभी भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आपने कहा कि 21 प्रकाशक हैं जिनको किताबें छापने के लिये आवंटन हुआ है। आपने जिनको किताबें छापने के लिये आवंटित किया है उनको आपने इण्टरमीडिएट का स्लेबस दे दिया होगा और वे उस स्लेबस के हिसाब से किताब छापते हैं। इस साल स्लेबस में परिवर्तन हुआ है। आपने उनको परिवर्तित स्लेबस उपलब्ध करा दिया, प्रकाशकों को उसके अनुसार किताब छापनी है। अभी मेरी जानकारी में है और छात्रों ने भी मुझे बताया है कि माध्यमिक की किताबें अभी तक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

श्री मानपाल सिंह-

जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं हम उसको पता करा लेंगे और जल्दी से जल्दी व्यवस्था करा देंगे यदि कहीं विलम्ब हो रहा है तो।

प्रदेश के पूर्वांचल में व्याप्त बीमारियों और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी रोकथाम एवं रोगियों के उपचार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण निजी प्रेक्टिस करने वाले चिकित्सकों एवं नर्सिंग होम द्वारा मनमाने ढंग से जनता से धन लेकर उपचार किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घंटे की चर्चा

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं एक ऐसे प्रकरण को आपके सामने रख रहा हूं जो जन हित और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। यह समस्या पश्चिमांचल और पूर्वांचल दोनों की है लेकिन मैंने पूर्वांचल का उल्लेख किया है। हमारे पूर्वांचल के तमाम सदस्य यहां हैं। पिछले एक डेढ़ महीने से वहां पर डायरिया, उल्टी, दस्त और कै की इतनी शिकायत हो गयी है। मैं व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूं कि 10 गांवों में 50-60 लोग डायरिया, उल्टी-दस्त और कै से प्रभावित हो रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से प्रभावित हो रहे हैं इसीलिये मैंने चर्चा के लिये इस विषय को लगाया है ताकि ईमानदारी से बताया जाय कि इस प्रकोप को रोकने के लिये जिले के चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या और जो इस तरह के स्वास्थ्य केन्द्र हैं वहां पर स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं जा रही है। आप कहीं भी सर्वे करा लें गांव के लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों को जो इसकी चपेट में हैं, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में ले जा रही है। जहां ग्लूकोस की बोतल जो कि 150 रु0 में लगती हैं वहां 8-10 बोतलें 300 रु0 प्रति बोतल के हिसाब से चढ़ाई जा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र नौरसिया में 40 लोग प्रभावित थे जिसमें से कि 5 लोग मर गये हैं। 3 बच्चे मर गये हैं। करवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है मरीज लूटे गए कर्जा लेकर 30-30 रुपये में ग्लूकोस की बोतलों में पानी चल रहा है। जौनपुर में डायरिया से 15 गांव प्रभावित हैं जिससे मासूम बच्चों की जाने चली गई मैं कहना चाहता हूं कि दस पांच मरने वालों के बारे में रोज सारे अखबारों में निकल रहा है निश्चित जानकारी अखबारों के माध्यम से मिल रही है लेकिन सरकार बता दे जहां इसका प्रकोप है वहां एक स्वास्थ्य टीम नहीं जा रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं जहां शोर ज्यादा हुआ वहां एक कम्पाउन्डर भेज दिया वह कहते हैं दवा नहीं है गर्म पानी खौला-खौलाकर पीजिए। छोटे हैण्डपम्प का पानी न पीजिए बड़े हैण्डपम्प का पानी पीजिए। एक चीज गांव में घूम-घूम कर कह रहे हैं कि बड़े हैण्डपम्प का पानी पीजिए। दो दवायें उपलब्ध हैं जो बच्चों को दे रहे हैं मान्यवर पूर्वांचल के देवरिया से बस्ती गोरखपुर महाराजगंज से लेकर हमारे गांव के बगल में 15 गांव प्रभावित हैं इसी तकलीफ के तहत इसको सदन में लाए हैं। पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 चिकित्साधिकारी नहीं हैं दवायें नहीं हैं और जिन दवाओं की आवश्यकता है वह दवायें बगल के मेडिकल स्टोर पर मिल रही है। आपने कहा प्रवेश शुल्क एक रुपया कर दिया है प्रवेश तो मान्यवर एक रुपये में हो रहा है लेकिन अस्पताल के अन्दर पांच रु0 की दवा 50 रुपये की मिल रही है...(व्यवधान) जिस तरह से मंहगी दवायें मिल रही हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी (व्यवधान) मैंने जिस नगरीय समस्या के बारे में कहा है पूर्वांचल में इससे सब प्रभावित हैं मासूम बच्चे मर रहे हैं। बच्चों, नौजवानों सभी पर इस संक्रामक रोग का प्रभाव है। नदियों, तालाबों के किनारे बस्तियां हैं वहां पर ज्यादा प्रकोप है सूचना के बाद सदर अस्पताल में पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 में एक डाक्टर की टीम नहीं गई है सरकार से कहते हैं सरकार सचेष्ट हो जाए दस पांच-गांव में कैम्प लगाकर सस्ती दवायें उपलब्ध करायें। ताकि मासूम बच्चों की जान बच सके

डाक्टर की एक टीम भी गांव में नहीं जा रही है ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध नहीं है। दवायें उपलब्ध नहीं हैं ग्लूकोस की बोतलें नहीं है 100-200 में यह ली जा रही है यह मासूम बच्चों से जुड़ी चर्चा है प्रदेश की आम जिन्दगी से जुड़ी चर्चा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो दुर्व्यवस्था हो रही है उससे जुड़ी यह चर्चा है। जहां संक्रामक रोग का प्रकोप है वहां कैम्प लगाया जाए उच्च अधिकारियों को वहां जाना चाहिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। जहां प्रकोप है वहां उपचार की व्यवस्था की जाए प्राइवेट नर्सिंग होम के द्वारा गरीबों का शोषण हो रहा है सरकार उसको रोकने के लिए व्यवस्था कराये यह जिन्दगी से जुड़ी चर्चा का विषय है। इसमें सरकार निश्चित निर्देश देने की कृपा करें.....

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, जिन्दगी से जुड़ा हुआ सवाल है। राजभर जी ने जिन्दगी से जुड़ा सवाल रखा है और जिन्दा लोगों से ही आपने उम्मीद की है। पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपने एक रुपये के पर्चे पर टिप्पणी की है। 8 रुपये का पर्चा था, खून की जांच, एक्सरे आदि का 35 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये अलग से। मान्यवर, मैंने कहा था कि यदि किसी परिवार में चार लोग हैं और चार को बीमारी हो गयी, वाइरल फीवर हो गया तो 32 रुपये ऐसे व्यक्ति के लिए देना सम्भव नहीं है जिसकी रोज की आमदनी 40 रुपये से ज्यादा न हो या जो खेत पर काम करने वाला व्यक्ति हो। इसका मतलब यह था.....

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में बता दें, पूरी चर्चा होगी तो आपको कहना है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, एक रुपये के पर्चे वाली बात कह दूं। वह 32 रुपये नहीं दे सकता था लेकिन 4 रुपये वह दे सकता है, चार मर्राजों के। अब अगर यह भी राजभर जी को अच्छा नहीं लगे तो सिवाय इसके ऊपर दुख व्यक्त करें, इसके अलावा कुछ नहीं है। पांच गुना भीड़ अस्पतालों में बढ़ गयी है, इससे यही साबित हुआ कि समाज बीमार था और आप उस समाज को बीमार रखकर उसे मार देना चाहते थे और मैंने उसे मरने से बचाया है। हमने उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराया हैं और अच्छी व्यवस्था की है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य जैसे गम्भीर विषय पर जो माननीय सुखदेव राजभर जी ने चर्चा उठायी है, उस पर मुझे आपने अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, पूरे पूर्वांचल में आज आम जनता संक्रामक रोगों की चपेट में है लेकिन मान्यवर, मेरा जनपद कौशाम्बी हैं जो इलाहाबाद से अलग होकर बना है। आज जो प्रमुख अखबार हैं, उन्होंने भी इस विषय पर छापा है कि इलाहाबाद और कौशाम्बी में कई मौते हुई हैं ? मान्यवर, मेरे जनपद कौशाम्बी में भी चाहे वह नारा गांव हो, चकथामा गांव हो कुवाँडीह गांव हो, इनमें भी कई लोगों की मौते हुई हैं। एक चेतन लड़का है जो 12 साल का था, जो इन्द्र नारायण शुक्ल का लड़का है, चकथामा में धीरथ सोनकर नामक व्यक्ति और रामू 10 वर्ष और श्यामू 6 वर्ष, बनवारी पासी के इन दो बेटों की मौत हो गई है। मान्यवर, कौशाम्बी में 6 लोगों की मौतें हुई हैं। मान्यवर,

जनपद इलाहाबाद में माडा विकास खण्ड के टिकरीगांव मे चार मासूम लोगों की मौतें हुई है। आज पूरा पूर्वांचल चाहे उल्टी-दस्त हो या सीजनल बुखार हो, गम्भीर चपेट में है। मान्यवर, मेरा भी विधान सभा क्षेत्र मंझनपुर, यमुना के किनारे पर है और यमुना के किनारे जो भी गांव हैं, वहां बड़े पैमाने पर लोग उल्टी-दस्त से परेशान हैं। माननीय राजभर जी ने जैसा बताया है, मैंने 301 में इसकी सूचना भी लगायी थी कि जनपद कौशाम्बी के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर समय से नहीं बैठते।

मान्यवर, और न ही वहां पर आम जनता को दवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। आपने मेरे नोटिस को भी स्वीकार किया था लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिससे आम जनता को राहत मिल सके। आज झोला छाप डाक्टर ऐसे लोगों को जो बीमार हैं उनका इलाज इस तरह कर रहे हैं कि झोपड़ी पर अस्पताल खुले हैं वहां पर लोग अपनी चारपाई लाते हैं और वहीं पर खुले मैदान में ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाई जा रही है और इस तरह से आम जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। यह सरकार इसके लिए गम्भीर नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री घोषणा करते हैं कि सस्ते स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्चा एक रुपये कर दिया लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर समय से उपलब्ध नहीं है। अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर केवल एक डाक्टर दे दें तो भी कुछ ठीक हो, वह केवल दवाएं लिख दे। आज झोलाछाप डाक्टर गरीबों से मनमाने पैसे लूटने का काम कर रहा है। मैंने उल्लेख किया है कि तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है और बहुत से लोग गांवों में जीवन-मृत्यु से जूझ रहे हैं। पीलिया जैसी संक्रामक बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। स्वाथ्य विभाग के कर्मचारी जमुना किनारे के गांवों में जाकर कह रहे हैं कि आप जमुना का पानी न पीजिए गहरे हैण्डपम्प का पानी पीजिए। मान्यवर, जमुना के किनारे बोरिंग सफल न होने के कारण वह लोग जमुना का पानी पीते हैं मान्यवर, यह सरकार स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर नहीं है। गरीब लोग आज जानवर जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि संसदीय कार्यमंत्री जी जब उत्तर देने के लिए खड़े हों तो जिम्मेदारी के साथ बयान दें कि कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक डाक्टर तो बैठे, लोगों को सही जानकारी तो मिल सके और झोला-छाप डाक्टरों के चंगुल से बचा जा सके। आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आज आजादी के 57 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं लेकिन आजादी के 57 वर्ष बाद भी आज आम जनता को न तो डाक्टरों से भेंट है और न दवाओं से भेंट है।

(सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप मेरी तरफ देखकर बोलें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आज आम आदमी के जीवन की बात है। आज झोलाछाप डाक्टर गांव-गांव को घेरे हुए हैं। हमारे संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि आपकी सरकार ने आठ रुपये का पर्चा एक रुपये में कर दिया। आज अगर हम जिस डाक्टर के यहां जाते हैं तो वह चेयर पर बैठता है और 50 रुपये ले लेता है, यह चाहे बलिया हो या लखनऊ हो। कम से कम 50 रुपये डाक्टर देखने के लिए लेता है।

और अपने घर पर बैठकर, अस्पतालों के बेड पर जो भर्ती है, उनसे सौ दो सौ रुपया ले लेते हैं। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो आम इंसान है और रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है जब उसकी या उसके बच्चे की जान फंस जाती है तो वह अपने खेत और गहने गिरवी रख देता है। बनारस के नर्सिंग होम में लाश को रोक लेते हैं। आई0सी0यू0 में रखे हैं कहते हैं कि आपरेशन करेंगे, हमने कहा कि हम दूसरी जगह ले जायेंगे तो वह पता चला कि वह मरीज मर चुका है जिसका वह आपरेशन करने वाले हैं। तो इस अमानवीय क्षेत्र की तरफ मैं आपका और सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। अनेकों डाक्टर के बड़े-बड़े रिश्तेदार हैं और वह कई वर्षों से एक ही जगह पर पड़े हैं । अब हाईकोर्ट में फैसला दिया है तो काफी संख्या में डाक्टरों को हटाया है। बहुत सारे डाक्टर्स ने रिजाइन कर दिया है क्योंकि वह वहां पर एक करोड़, दो करोड़ के नर्सिंग होम बनाये हैं। गरीब का बच्चा अगर पैदा होना है तो वह पांच हजार का रेट मांगते हैं तो इससे ज्यादा अमानवीय कार्य और क्या हो सकता हैं।

(झूठ-झूठ की आवाजें)

मैं झूठ नहीं सच कह रहा हूं। यह समस्या आज से नहीं बरसों से है। नर्सिंग होम एक कलंक है। जहां हम एक विद्यार्थी पर लाखों रुपया खर्च करते हैं, शादी व्याह में उनको लाखों रुपयों का दहेज मिलता है, वह कुर्सी पर बैठकर गरीब को सताया करता है। एक गरीब मां अपने बच्चे को डाक्टर के पास ले जाती है उससे रोती है कि मेरे बच्चे की सांस ठीक से चल नहीं रही है लेकिन डाक्टर यह कहता है कि एक हजार रुपये जब तक आप नहीं लायेंगे हम भर्ती नहीं करेंगे। ऐसी अराजकता पर कड़ाई से कार्यवाही की जानी चाहिये वरना इंसान नहीं बचेंगे। आज तहसीलों में डाक्टर नहीं हैं। मैं अपने जनपद की बात करता हूं हमारे बलिया जनपद में रसड़ा और बिल्थरा दो तहसीलें हैं जहां पर लेडी डाक्टर नहीं है। हमारे यहां वाराणसी मऊ भेज देते हैं। मैं ऐसे कई डाक्टरों को जानता हूं जो पास होने की पोजीशन में नहीं थे लेकिन उनके पास करोड़ों रुपये के नर्सिंग होम है। हमारे यहां पर सिटी स्कैन की मशीन नहीं है। बनारस में एक पुरानी मशीन है। बनारस से लेकर सिताब्दयार तक 200 किलोमीटर पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाय तो यह पोजिशन है कि वह रास्ते में ही दम तोड़ देगा। अगर सर में दर्द है तो उसे मेडिकल कालेज नहीं भेजेंगे जहां पर 825/- रुपये में सिटी स्केन हो जाता है वह प्राइवेट को लिखता है। यह सरकारी डाक्टर अस्पताल की चेयर पर बैठकर काम करता है। प्राइवेट वाला 1900/- रुपया ले लेता है। पेट में दर्द है तो चेस्ट का सिटी स्केन लिख देते हैं। वह कहते हैं कि बनारस जाओ वहां पर 4200/- में हो जायेगा। कल की ही मेरे क्षेत्र की घटना है एक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी कमर टूट गयी थी। उसने हमारे यहां सम्पर्क किया तो हमने कहा कि हजार दो हजार भिजवा दें। उसने कहा कि नहीं गांव में चन्दा हो गया है। हम इसे बलिया अस्पताल ले जा रहे हैं। आज आम आदमी

दवा कराने की पोजिशन में नहीं है। मेरा कहना है कि जिला अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ केन्द्रों की सुविधायें बढ़ायें। आप हमसे दो रुपया अधिक ले लें वह अच्छा रहेगा। हमारी पाकेट से 50 रुपये, सौ रुपये फीस ले लें, लेकिन वहां स्वास्थ्य सुविधा जरूर उपलब्ध करायें, भले ही आप फीस एक रुपये से शून्य कर दें, यह बहुत बेहतर है लेकिन हर्कीकत यह है कि स्थिति बहुत खराब है, वह नर्से जिन्हें कोई जानकारी भी नहीं है, प्रैक्टिस कर रही हैं वह बच्चे पैदा कराती है, अबारशन कराती है। कुत्ता काटने का इन्जेक्शन सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन वहां के फार्मेशिस्ट उसे नहीं देते हैं, जिले के बड़े डाक्टर उसको हिन्ट करते हैं, तो वह जरूरतमन्द को वही इन्जेक्शन प्राईवेट से दिलवा देते हैं दो सौ रुपये ढाई सौ रुपये में। आज यह जरुरत है कि यह सरकार मानवीय आधार पर चिकित्सा सुविधा को ठीक कराने का फैसला ले तो मुझे लगता है कि चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधा से बढ़कर मानवीय आधार पर कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। मान्यवर, जिन क्षेत्रों में महिला डाक्टर उपलब्ध नहीं है वहां पर महिला डाक्टर की नियुक्ति की जाये। मान्यवर, मैं इस गम्भीर विषय पर सरकार से आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मानवीय आधार पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में फीस घटाकर पीठ टोंकने के बजाय, स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराके जीवन बचाने की आवश्यकता है और सरकार इस पर ज्यादा जोर भी दे।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय राजभर जी ने जो चर्चा के लिये यहां पर विषय रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात को उससे सम्बद्ध करता हूं, इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक महामारी के रूप में डायरिया, उल्टी, कै, दस्त की बीमारी फैली हुई है। पूरे पूर्वांचल में हजारों लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं विशेष रूप से कम आयु के बच्चे इसका ज्यादा शिकार हो रहे हैं। आप वाराणसी से निकलने वाले समाचार-पत्रों को पढ़े तो प्रथम पेज पर हर जिले में बच्चों के मरने की खबर छपी मिलेगी, अभी जौनपुर जिले में पिछले 20 दिनों में 50 बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग ने भी स्वीकार किया है, मौतें तो इससे ज्यादा हुई हैं, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के जो डाक्टर हैं, वहां के जो अस्पताल है और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। वहां के डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फुरसत नहीं है वह उन गांवों में, जहां यह महामारी फैली हुई है, जाकर के बीमारों के इलाज की त्वरित व्यवस्था करें और बीमारों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और सतर्कता की बातें बतायें। पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग अकर्मण्य है और हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। जब हम लोगों के पास सूचना आती है तब हम लोग टेलीफोन करते हैं सी0एम0ओ0 को बताते हैं तब जाकर के तीन दिन बाद संबंधित गांवों में कोई स्वास्थ्य कर्मी जाता है और सामान्य औपचारिकता पूरी करके लौट आता है, न तो उनका कोई प्रभावी इलाज हो रहा है और न ही महामारी को रोकने का कोई प्रिविन्टिव ऐक्शन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिया जा रहा है। यह जीवन और मरण के सवाल है पर जो नौनिहाल मर रहे हैं, वह देश के भविष्य थे और बड़े होकर देश और समाज के लिये कितने उपयोगी होते, लेकिन आज वह अकाल मौत के गाल में चले जा रहे हैं। झोला छाप डाक्टरों की बात हो रही है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की बात हो रही है और कहा जाता है कि उन्हें स्वास्थ्य चिकित्सा की ज्यादा जानकारी नहीं होती है और जो दवायें वह अच्छा खासा पैसा लेकर मरीजों को देते हैं वह बाजार में

उससे कही कम दाम पर मिलती है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा रहा है, उस स्थिति में तो मैं समझता हूं कि अगर झोला छाप डाक्टर न हों तो बहुत से लोगों को चिकित्सा सुविधा ही न प्राप्त हो सके। जैसा माननीय एक सदस्य ने कहा लोग अपने घर से मरीज को चारपाई पर लिटाकर लाते हैं और उसी की चारपाई पर उनका इलाज होता है। मैंने छोटे छोटे बाजारों में देखा है जमीन पर लिटाकर ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवायें दी जा रही है, गम्भीर रोगी का इलाज ऐसे हाथों से हो रहा है जिनके पास उसकी विशेषज्ञता नहीं है। मैं पूर्वान्चल और विशेष रूप से जौनपुर में जिस तरह से मौत हो रही है उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, रोज 3-4-5 बच्चों के मौत की खबर अखबारों से छप रही है। मेरी मांग है सरकार से कि ऐसी जानलेवा बीमारी, महामारी से जो पूरे पूर्वांचल और विशेष रूप से जौनपुर में फैल रही है, वहां पर एक विशेष स्वास्थ्य विभाग का अभियान चलाकर, जो प्रभावित गांव है वहां कैम्प लगाकर डाक्टरों की टीम भेजी जाये युद्धस्तर पर इस बीमारी से निपटने के लिये। मेरी मांग है कि इसको रोकने का प्रयास किया जाय। इसके साथ ही साथ हम लोगों के क्षेत्र में पेयजल की समस्या है और मैं समझता हूं कि यह बीमारियां अशुद्ध पेयजल के कारण ही फैल रही है। इसलिये सरकार से हमारा आग्रह है कि विशेष रूप से नदियों के किनारे जो गांव हैं वहां के गरीब लोगों को दूषित प्रदूषित नदियों का पानी पीना पड़ता है क्योंकि पेयजल की और कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरा आग्रह है कि विशेष रूप से नदियों के किनारे पर बड़े पैमाने पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जो कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है जनस्वास्थ्य की रक्षा करना। निश्चित तौर पर जो विगत में सरकारें रही हैं, मैं किसी को दोषारोपित नहीं करना चाहता उन सरकारों ने अपनी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं रखा जिसकी वजह से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा उत्तरोत्तर नीचे गिरती चली गयी वरना यही स्वास्थ्य विभाग है जिसने स्माल पाक्स जैसी महामारी, मलेरिया जैसी बीमारी से, प्लेग जैसी बीमारी से लोगों को मुक्ति दिलायी और उसी वजह से मृत्युदर घटी लेकिन जन्मदर हम नहीं घटा पाये और जनसंख्या विस्फोट का सामना हमें करना पड़ रहा है। एक तरफ से कहा जाय तो स्वास्थ्य विभाग की वजह से ही ऐसा हुआ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। अस्पताल में कभी बिना पैसे के रजिस्ट्रेशन हुआ करता था, कभी 10 पैसे लिये जाते थे फिर बीस पैसे लिये गये इसलिये कि यह माना जाता था कि यह जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां गरीब लोग ही आया करते हैं एक तरह से वह खैरातो अस्पताल हुआ करता था। वहां जो राय मशविरा मिलना चाहिये दवायें मिल पायें या न मिल पाये लेकिन काबिल डाक्टर मिलेंगे जो सही राय बतायेंगे, नुस्खा सही लिखेंगे लेकिन आज स्थिति यह हो गयी है कि और धीरे इन सरकारी अस्पतालों का नर्सिंग होम में तब्दील करने का विगत सरकारों ने प्रयास किया है। मैं कह रहा हू कि इसी तब्दीली में फीस बढ़ायी जाने लगी, आपरेशन का पैसा लिया जाने लगा, जांच का पैसा बिस्तर का पैसा लिया जाने लगा, बोतल चढ़ाये जाने का पैसा लिया जाने लगा, हर तरह की इन्वस्टीगेशन का पैसा लिया जाने लगा, उसको बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है और बड़ी जिसकी सराहना की जानी चाहिये। विरोध केवल विरोध के लिये नहीं होना चाहिये। विरोध निश्चित तौर पर होना

चाहिये लेकिन विरोध हमेशा सकारात्मक होना चाहिये। सरकारी अस्पतालों में 8 रुपये की जगह 1 रुपये का पर्चा कर दिया गया, उसकी सराहना की जानी चाहिये, लेकिन हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य एक रुपये पर्चा करने की वजह से बड़े परेशान हो गये कि अस्पतालों में भीड़ क्यों बढ़ गयी। मान्यवर, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद चिकित्सकों का तबादला हो रहा है, इसके लिये क्या वर्तमान सरकार जिम्मेदार है ? हम तो सत्ता में आये 10 साल के बाद और हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो चिकित्सक 10 साल से ज्यादा एक ही स्थान पर पड़े हुये हैं, उनका तबादला किया जाना चाहिये। हाईकोर्ट के आदेश के बाद तबादले निश्चित तौर पर किये गये हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि लखनऊ में रहने वाले एक से एक मजबूत डाक्टरों का भी तबादला हुआ है। मैं जानता हूं क्योंकि मैं भी 25 साल इसी में सेवा करके आया हूं, मैं यहां आने से पहले बलरामपुर अस्पताल में सीनियर ई0एन0टी0 सर्जन के पद पर था। मान्यवर, इतने सालों से पड़े हुये डाक्टरों को हटाने की हिम्मत किसी सरकार को नहीं पड़ी, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इसके लिये नीति बनाई और आदेशों का अनुपालन किया और इसे सख्ती के साथ, हर एक के साथ लागू किया गया।

अब मान्यवर, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में डाक्टरों के तबादले हुये हैं और यह भी सही है कि इससे स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित हुई होंगी। लेकिन जिस तरह से यहां चर्चा की जा रही है, वह ठीक नहीं है। मान्यवर, स्वास्थ्य में दो क्षेत्र होते हैं, एक बचाव का और दूसरा इलाज का। एक प्रीवेन्शन का और दूसरा ट्रीटमेंट क्योर का। जो माननीय सदस्य आज गैस्ट्रो की बात कर रहे हैं, यह बीमारी दूषित जल पीने की वजह से हुआ करती है। यह कहना कि इससे महामारी फैल गयी, सही नहीं है। इसे एपेडमिक की जगह इनडेमिक कहा जा सकता है, क्योंकि बरसात का टाइम है और जल जमा हुआ करता है। इसलिये जो नीचे की गहराई तक हैण्डपम्प नहीं लगे हैं, उनका दूषित जल लोगों को मिल रहा हो और इस तरह की बीमारियां हो रही हों। स्वास्थ्य सेवाओं में निश्चित तौर से गिरावट आई है और दो हजार-ढाई हजार डाक्टरों के पद खाली पड़े हैं। अभी एक सम्मानित सदस्य राम कृपाल सिंह लेडी डाक्टरों की समस्या बता रहे थे। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आज से 10 साल पहले 15 साल पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर, जबकि स्वास्थ्य सुविधायें कम हुआ करती थीं, लेकिन उस समय भी लेडी डाक्टर उपलब्ध हो जाया करती थीं। परन्तु अब तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और यहां तक कि जिला अस्पताल में भी जो पद हैं, उन पदों के अनुरूप उतनी संख्या में महिला चिकित्सक उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। विगत दिनों में हालत ऐसी हो गयी कि पब्लिक सर्विस कमीशन से जो सेलेक्शन हो रहे हैं, उन सेलेक्शन में भी 25 से 30 प्रतिशत लोग ही इन सेवाओं को ज्वाइन कर रहे हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं, वह इमानदारी से खिदमत नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, आज गिरावट हर तरफ आई है, चिकित्सा विभाग में भी आई है, इसके लिये केवल वर्तमान सरकार ही दोषी नहीं है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि इसके पहले वाला इसके लिये दोषी है। बल्कि इसके लिये दोनों ही तरफ के लोग दोषी हैं। इसके सुधार के लिये दोनों तरफ के लोगों को, जो जनता की सेवा का संकल्प लेकर आये हैं, सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। इसमें सुधार तभी किया जा सकता है. बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी।

श्री सोबरन सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वास्थ्य जैसे विषय पर हो रही चर्चा में आपने भाग लेने का समय दिया, आपका हृदय से आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य एक चीज का ध्यान रखें, इस चर्चा के लिये एक घन्टे का समय निर्धारित था और अब 25 मिनट समय बचा है।

श्री सोबरन सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र से मैं चुन करके आया हूं, उस क्षेत्र को माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपनी कर्म भूमि बताते हैं। मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के करहन विधान सभा जिससे बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्र लगता है, वहां पर एक स्वास्थ्य केन्द्र है। इस 20 शैय्या के स्वास्थ्य केन्द्र में, बड़े ही भारी मन से मैं अवगत कराना चाहूंगा कि वहां पर 15 वर्षो से एक बी0ए0एम0एस0 डाक्टर इतने बड़े क्षेत्र का जिम्मा लिये हुये हैं, अब वह क्या उपचार करता होगा, इसका शायद आप अंदाज लगा लेंगे। वहां पर मानक के अनुरूप हार्ट-स्पेशिलिस्ट, महिला डाक्टर होना चाहिये, जिनकी नियुक्ति बहुत ही आवश्यक है। मैंने पिछली बार भी अपने क्षेत्र की इस ज्वलन्त समस्या की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया था। साधन सम्पन्न लोग तो अपने परिजनों का उपचार इटावा, मैनपुरी या आगरा में करा लेते हैं। लेकिन वह गरीब किसान जिसके आप हम और सब लोग यहां बैठ करके बहुत हिमायती बनते हैं, उनकी तरफ वास्तव में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 15 दिन पूर्व की बात है, एक गरीब किसान के इकलौते बेटे सर्वेश कुमार नवरीका ने इसलिये दम तोड़ दिया क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाने के बाद उसको कहीं कोई डाक्टर नहीं देख सका, उसे उपचार नहीं मिल सका। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस स्वास्थ्य केन्द्र की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी डाक्टरों की नियुक्ति की जाए ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हो सकें।

श्री राम करन आर्य-

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राजभर जी के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। राजभर जी को उस पक्ष में जाते हुये अभी देर नहीं हुई है। यह सही है कि स्वास्थ्य केन्द्र का मामला केवल विपक्ष के लिये ही नहीं है, सत्तापक्ष के लिये भी है, सम्पूर्ण जनता के लिये है और जनमानस के लिये है। डाक्टर साहब ने अभी जो बात कही कि हमारी सरकार के कार्यों की तारीफ होनी चाहिये। हमको याद है कि हम जब विपक्ष में बैठते थे तब हम इन सवालों को उठाया करते थे और राजभर जी मेरे ऊपर हंसते थे, मुस्कराते थे, ऐसा लगता था कि जैसे उनको इन चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। हमारे हिन्दुस्तान ने दो मामलों में तरक्की की है, पहली तरक्की जनसंख्या के क्षेत्र में की है और दूसरी तरक्की अन्न के क्षेत्र में की है। यदि अन्न की तरक्की न हुई होती तो शायद इतने विशाल जनसमूह को न जाने किस तरह से कैसी आपदाओं का सामना करना पड़ता लेकिन अन्न की क्रान्ति ने हिन्दुस्तान के विशाल जनसमूह को बैलेन्स किया हुआ है। उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुसार आज तक किसी भी मामले में इतनी तरक्की नहीं हुई, जितनी कि दक्षिणी प्रदेशों में हुई है। चीन जब आजाद हुआ तो वहां पर विदेशी डाक्टरों से काम नहीं लिया गया बल्कि जो नाऊ बिरादरी के लोग थे वही डाक्टर बन गये। हमारे यहां एम0बी0बी0एस0, अंग्रेजी के चक्कर में हिन्दुस्तान तबाह हो गया। यही कारण है कि इतना ज्यादा बीमारियों का हमें मुकाबला करना पड़ रहा है। आज हमें शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। अगर

किसी इन्सान को पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता है और पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता है तो तमाम तरह की बीमारियां लग जाती हैं। डा0. लोहिया कहते थे कि कोई अपने मर्ज से नहीं मरता है बल्कि जब उसका पेट नहीं भरता है तो उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा और निश्चित रूप से बीमारी पकड़ेगी। माननीय राजभर जी, आपसे बहुत दुःखी हृदय से कह रहा हूं कि जब आपकी सरकार थी तो माननीय विधायक लोग केवल 50 हैण्डपम्प की बात कर रहे थे, विपक्ष के नेता भी बैठे थे और 50 हैण्ड पम्प मांग रहे थे तो आप लोगों ने नहीं दिया लेकिन मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आम आदमी को सुविधा देने के लिए और इन्सानी जिन्दगी को अच्छा बनाने के लिए, उसकी सेहत के लिए अच्छा समझते हुये 100-100 हैण्डपम्प देने का काम किया। इसलिए वह बधाई के पात्र हैं। राजभर जी आपने झोलाछाप डाक्टरों के बारे में आवाज उठायी। मैं ऐसे डाक्टरों को प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं लेकिन मेरा यह कहना है कि ये झोलाछाप डाक्टर छोटी-छोटी बीमारियों से गांव के लोगों की जिन्दगी बचाने का काम करते हैं, यह मेरा निजी अनुभव है। अपनी उदर पूर्ति के लिए लोग सूखी रोटी, घास खा लेते हैं और ऐसी चीज भी खा लेते हैं जो उसके लिए घातक होती है।

आज झोलाछाप डाक्टर बहुत से लोगों की जिन्दगी भी बचा रहे है। मैं यह नहीं कहता कि उनके ऊपर पूरी सेहत छोड़ दी जाए लेकिन केवल छीटाकशी करने से काम नहीं चलेगा। हमारी सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सचेष्ट है। हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं, बहुत सी बीमारियां दूषित जल के सेवन से होती है लेकिन हमारी सरकार ने शुद्ध जल मुहैय्या कराने का संकल्प किया है। पहले तो यह स्थिति थी कि गर्मी के दिनों में तरह-तरह की बीमारियां फैल जाती थी, प्लेग फैल जाता था लेकिन आज वह हालत नहीं है। मान्यवर, मृत्यु दर पर हमने बहुत कण्ट्रोल किया है लेकिन जो जनसंख्या की वृद्धि थी उस पर काण्ट्रोल न होने के कारण स्थिति विकट होती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार जनता की सेहत के प्रति सजग है कि कोई बीमारी से मरने न पाये, दैवी आपदा से न मरने पाये इसके लिए यह सरकार संवेदनशील है। मेरी सरकार जनता के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सचेष्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राजभर जी, कुल 12 मिनट बचे हैं, आप भी अभी कुछ कहना चाहेंगे, उसके बाद संसदीय कार्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री जी भी कुछ कहेंगे।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे अनुरोध है कि इस चर्चा का समय बढ़ा दें ताकि और लोग भी चर्चा में भाग ले सकें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी आप चर्चा में भाग लेना चाहते हैं तो संक्षेप में अपनी बात कहें, क्योंकि मैं 3 बजकर 42 मिनट पर इस चर्चा को समाप्त करूंगा।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विषय पर जो चर्चा हो रही है उसमें आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया। इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मेरा

ऐसा मानना है कि जो सेवायें हैं, इस शब्द का जो मूल अर्थ है, वह आज लुप्त होने की कगार पर है। डाक्टर, वकील, आई0ए0एस0, पी0सी0एस0, एम0एल0ए0, एम0पी0, मंत्री इसलिए बनना है कि किसी भी प्रकार से अधिक से अधिक धनार्जन कर आने वाले दो-चार-दस पीढ़ियों के लिए हम व्यवस्था कर लेना चाहते हैं।...

मान्यवर, मैं ऐसा मानता हूं कि अर्थ की जो अत्यन्त उत्कृष्ट अभिलाषा है उसके कारण ये अनर्थ है। सरकार कोई भी हो मैं ऐसा मानता हूं कि वह चिकित्सा के लिए उपाय करेगी, लेकिन जो आज देखने में आ रहा है कि लोगों के मन में सेवा की भावना समाप्त हो रही है। इसको कैसे रोक पायेंगे ? हाल यह है-"हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता" की तरह अर्थ की चाह बढ़ती जा रही है। इस चर्चा में जिन लोगों ने भावनाएं व्यक्त की है उनमें से अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं इनमें जो चिकित्सक तैनात हैं, इनमें सेवा भावना समाप्त हो रही हैं। मैंने नियम-56 में सूचना दी थी, एक दलित गरीब गर्भवती महिला थी उसके परिजन उसको लेकर अस्पताल जाते हैं वहां पर उनसे एक हजार रुपया डाक्टर लेता है, ऐसा उनके परिजनों का आरोप है। इसके बावजूद भी डिलीवरी नहीं करायी और महिला के पेट में आधा बच्चा रह गया और आधा बाहर आया। इस तरह की घटनायें यह बताती हैं कि आज मनुष्य की आत्मा मर गयी है। पैसे को अत्यधिक भूख ही इसका मुख्य कारण है। मेरे यहां जो अस्पताल है, शिव प्रसाद गुप्त राजकीय चिकित्सालय मेरे यहां का प्रतिष्ठित अस्पताल है। पूर्वांचल में यह एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर डायलिसिस की सुविधा है। पहले यहां पर डायलिसिस की मशीन नहीं थी। मैंने अपने विधायक निधि से यह मशीन उपलब्ध करवायी। वहां 375 रूपये में डायलिसिस की सुविधा है जबकि बाहर इसके एक हजार बन पडते हैं। मैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के चक्कर में नहीं पड़ता हूं जबकि उसकी बहुत आवश्यकता न हो। हाईकोर्ट का निर्देश है कि डाक्टरों के स्थानान्तरण के बारे में उसमें कोई असहमति नहीं है। स्थानान्तरण होने चाहिए। उस अस्पताल में जो डायलिसिस के ट्रेन्ड डाक्टर हैं वह स्थानान्तरण नीति में आ गये और उनका स्थानान्तरण हो रहा है। उनके स्थानान्तरण से डायलिसिस की सुविधा समाप्त होने जा रही है। मैंने विधायक निधि से 16 लाख रुपये उपलब्ध कराये थे जिससे यह डायलिसिस मशीन उपलब्ध हुई थी और मरीजों का डायलिसिस की सुविधा प्राप्त हो रही है। मेरा अनुरोध है कि यदि सम्भव हो तो उस डाक्टर का स्थानान्तरण रद्द कर दें वरना डायलिसिस में जो एक्सपर्ट हो उसकी नियुक्ति वहां पर कर दी जाय। अभी डाक्टर साहब अपना अनुभव बता रहे थे। जैसा कि मैंने पहले कहा आज लोगों में स्वाभाविक रूप से अर्थ की जो भूख बढ़ती जा रही है उसी से यह अनर्थ बढ़ रहा है और सरकारी दवायें बाजार में बिक रही हैं। अफसोस इस बात का है जो दवायें गरीबों को मिलनी चाहिए वह बाजार में दुकानों पर बिक जाती है। इसको कैसे रोका जायगा, किस कानून से रोका जायेगा ? अगर सरकार जागरूक है तो इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। ऐसे लोग जो इन कार्यों में लिप्त है उनको कठोर से कठोर दण्ड दिलाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चर्चा में भाग लेते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इस अहम मसले पर सत्तापक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। डा0 साहब ने पूरे सिस्टम के बारे में कहा। भाई राम करन आर्य ने कहा कि हमारे देवरिया, बस्ती में कोई समस्या नहीं है और कहा कि विपक्ष के लोग हौवा खड़ा कर रहे हैं।

हम लोग हौवा खड़ा नहीं कर रहे हैं बल्कि जो दो-चार-दस लोगों का फीगर दिया उनके प्रति हमदर्दी व्यक्त कर रहे हैं श्री राम करन जी उसको हौवा समझ रहे हैं। हमने हमदर्दी के नाते सदन को सूचना देनी चाही कि सरकार को संकेत दूंगा। सरकार से निवेदन करूंगा कि पूर्वांचल में इस तरह की बीमारी से लोग मर रहे हैं जिससे इस पर सरकार कार्यवाही करे। मानवता और इंसानियत के आधार पर विपक्ष का और हमारा यह दायित्व है कि डायरिया, उल्टी, दस्त की जो बीमारी है उसकी जानकारी सरकार को दें। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार को इस संक्रामक बीमारी का संज्ञान लेना चाहिए सरकार के हाथ लम्बे हैं। उसका प्रभाव होता है। सभी को शुद्ध पानी मिले ब्लीचिंग पाउडर डालना चाहिए जो भी सम्भव हो सके वह करना चाहिए। यह हौवा खड़ा करने की बात नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत ही अच्छा और सबके सोचने का सवाल श्री राजभर जी ने उठाया है और अच्छी चर्चा कराई है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए लेकिन जितनी बुरी हालत है वह बहुत लम्बे अरसे से है। आजादी से पहले से है जब गुलाम थे तब जिनका राज था उन्होंने हमें इस काबिल नहीं समझा कि हम स्वस्थ हों। आजादी के बाद जितना इस पर काम होना चाहिए था, जितना धन आवंटित होना चाहिए था भारत सरकार और राज्य सरकारों से वह भी व्यवस्था नहीं हो सकी। बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां झोला छाप डाक्टर न हों हालांकि मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूं लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां इनके अलावा उपचार का और कोई साधन नहीं है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जहां दवा से नहीं बल्कि देख लेने से आदमी को तसल्ली हो जाती है और उसका इलाज हो जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी है जहां डाक्टरों की कमी है। सबसे ज्यादा अफशोसजनक बात चौधरी साहब ने कही कि जो काम कर रहे हैं उनमें हमदर्दी नहीं है, मानवता नहीं रही है। यह कोई पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ है बल्कि हमारा अपना चरित्र इतना नीचे गड्ढे में चला गया है जिसमें चरित्रवान डाक्टर देना सम्भव नहीं है। आपने जिस हादसे की तरफ तवज्जो दिलाई है उसकी जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है खुद मैं इस बात का भुक्तभोगी हूं। हमारे यहां एक बच्चे को बच्चेदानी समेत बाहर निकाल लिया गया बाद में बच्चेदानी काटकर अन्दर कर दी गई जिससे जच्चा और बच्चा दोनों मर गये बाद में डाक्टर बाउंड्रीवाल फांदकर अन्दर अस्पताल चली गई। दिसम्बर के महीने में एक अस्पताल के बाहर एक महिला को अपना बच्चा पैदा करना पड़ा। इसके लिये डंडे से काम नहीं चलेगा, सख्ती से काम नहीं चलेगा और बहुत से तरीके शायद होंगे जिससे सुधार आ सके। हालांकि कोशिश की गई है दिक्कतें सुधारने की। जितना सुधार हो सकता है किया गया है। यह खैराती अस्पताल है, गरीबों के इलाज के लिये अस्पताल कहलाते हैं। इन अस्पतालों में वही शख्स जाता है जो प्राइवेट अस्पतालों में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। 40-50 रुपये मजदूरी पाने वाला मजदूर, होटल में काम करने वाला आदमी, शुगर मिल में गन्ना ढोने वाला मजदूर किसी बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज हमारे लिये यही हैरत की बात है कि आज अस्पताल में 8 रुपये का पर्चा हो गया। पहले पर्चा 15 पैसे, फिर 25 पैसे, फिर 50 पैसे, फिर 1 रुपये, 2 रुपये और हमारे इस उम्र में आते-आते वह पर्चा 8 रुपये का हो गया। पर कैपिटा इन्कम नहीं बढ़ी, आमदनी नहीं बढ़ी गरीबी कम नहीं हुई। अस्पताल जो कि खैराती अस्पताल कहलाता है, उसका पर्चा 8 रुपये का हो गया।

उस पर्चे की कीमत को कम करना जरूरी था। इसलिये जरूरी था कि जैसा डा0 राय साहब ने कहा कि ना सही दवा मिले उसको सही मश्विरा तो मिल जाय। जो 8 रुपये में लेने की हैसियत में नहीं थे वह 1 रुपये में मिलने लगा। मैं फिर कहता हूं कि आज अस्पतालों में पूरी दवाइयां नहीं हैं, यह बिल्कुल सही है। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि पहले से कहीं ज्यादा है। पहले कुत्ता काटे की दवा नहीं मिलती थी।

मेरे ही शहर में परिवर्तन के बाद, किसी भी सरकार के बदल जाने के बाद दवा नहीं मिलती थी डाक्टर कहते थे कि कुत्ते को देखते रहिये और नतीजा यह हुआ कि पागल कुत्ते को देखते रहे और 12 साल का बच्चा मर गया। जाहिर है कि उस बच्चे के बाप ने अस्पताल में जाकर मार-पीट की। हमने कहा कि गलत किया। लेकिन 12 साल का बच्चा आप मार देंगे तो उसका बाप आकर शिकायत नहीं करेगा ? सारे डाक्टर मिलकर उसको मारेंगे। आज कुत्ता काटे और सांप काटे की दवा कोई जिला ऐसा नहीं है जहां न हो। हम परिवर्तन की तरफ हैं। बेहतर करना चाहते हैं। नगर निगम हो या नगर निकाय हो कहीं भी ऐसा कोई पानी का टैंक नहीं है जिसमें दवा न डाली जा रही हो।

श्री मुंशी लाल गौतम-

बुलन्दशहर में नहीं डाली गई।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं इन्कार नहीं करता हूं।

(दो तीन सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बाद में कह लीजियेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हम सक्षम नहीं हैं। आप तो देवता लोग थे। आप तो बस यूं किया, जादू हो गया आपका। हम जादू नहीं कर सकते हैं हम सुधार कर रहे हैं आप जादूगर थे। जादू से यहां आ गये, जादू से वहां चले गये। यहां तक हुआ है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधानों को इस स्तर तक अधिकारियों में ही नहीं, अस्पतालों के डाक्टरों को ही नहीं, सी0 एम0 ओ0 को ही नहीं, ग्राम प्रधानों को एक दर्दमंद खत लिखा था कि पीने का पानी कैसा हो। इंडिया मार्का से पानी दिया जाय। तालाबों का न लिया जाय, ऐसी नदियों का न लिया जाय, सड़े गले फलों का प्रयोग न किया जाय, अपने घर के पास कूड़ा करकट न डाला जाय। इस तरह का पत्र भेजा गया है मेरे पास है। तमाम ग्राम प्रधानों को गाइड लाइन के तौर पर ऐसा पत्र भेजा गया है। इन सब सुधारों के लिये बहुत पैसे की जरूरत है, जबरदस्त व्यवस्था की जरूरत है। मैंने खुद देखा है कि अगर कोई गर्भवती महिला हमारे यहां तो नहीं, किसी विकसित देश में यदि वह रोड क्रास करना चाहती है तो उसको ग्रीन लाइट की जरूरत नहीं है। गाड़िया खुद रुक जाती हैं। एक यह माहौल है और एक हमारे यहां गर्भवती महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। अभी चौधरी साहब ने जो बताया वह वाकई निन्दनीय है। मैं समझता हूं कि चर्चा के इस विषय में बहस बहुत जरूरी है ज्यादा से ज्यादा सुधार होना चाहिए।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा था कि खैराती अस्पताल। मेरी जानकारी नहीं है। मैंने तो सरकारी अस्पतालों की जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष-

आपका कहना है कि खैराती और सरकारी अस्पताल में फर्क क्या है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

सिर्फ इसलिये कहा कि हम आप जैसे महानुभाव को समझा सकें गरीबों के अस्पताल में आपको जाने का इत्तेफाक नहीं होता है। हम तो जैसे हैं वैसी ही बात करेंगे

(व्यवधान)

हम समाजवादी हैं आप पूंजीवादी हैं अपनी-अपनी सोच का फर्क है।

श्री मुंशीलाल गौतम-

आपने चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी मान्यवर, नियम के विरुद्ध पांच प्रतिशत बुलन्दशहर में.....

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न नहीं है।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मैथार्लीन 25 प्रतिशत खर्चा होता है। मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं आर0 के0 सिंह हैं.....

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा नहीं है आपके क्षेत्र में कहीं अस्पताल में कोई बात हो तो बता दें।

श्री मुंशीलाल गौतम-

सीतापुर में मजदूरों को स्प्रे के लिये रखकर उनको मजदूरी नहीं दी गई है.....

श्री अध्यक्ष-

इसको आप दूसरे नियम में लाएं।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मरीजों के पास कोई सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर से दूसरे नियमों में इसको लाएं। अब मैं मद संख्या-12 ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार-

मेरे क्षेत्र में पास ही में एक गांव है राजेपुर वहां प्राइवेट डाक्टर बैठता है अगर वह सरकारी अस्पताल में बैठे तो ज्यादा लाभ होगा।

(व्यवधान)

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द-

जनपद मछुआ विधान सभा क्षेत्र में मछुआरी, मछुआ, मझुंवा ब्लाक में स्वयं मैं गया था वहां 13-14 गांव में डायरिया फैला है वहां एक फार्मेसिस्ट के अलावा एक डाक्टर उपलब्ध नहीं है

सी0 एम0 ओ0 के पास गये तो वह एक सप्ताह की छुट्टी गये हैं। मैं चाहता हूं इन गांवों में दवा का छिड़काव कराया जाए। माननीय अध्यक्ष जी माननीय रामकरन जी बैठे हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 02 अगस्त, 2004 को नियम-56 की एक सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-51 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुईं :--

पहली सूचना श्री हरि प्रताप सिंह की, मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद डा0 राघव राम, अधीक्षक, सचिवालय डिस्पेंसरी, लखनऊ की नियुक्ति का कार्यकाल 12 वर्ष से अधिक हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, लखनऊ महानगर का विकास होने के साथ निर्मित अविकसित कालोनियों में मूलभूत सुविधायें न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना श्री रणवीर राणा की, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री छोटे लाल यादव की, जनपद मऊ के सरदार बल्लभ भाई पटेल इण्टर कालेज, भदांव से सम्बद्ध प्राइमरी पाठशाला, हलधरपुर के सहायक अध्यापक श्री अशोक कुमार सिंह का वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की, जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत राजकीय कन्या इण्टर कालेज के भवन की मरम्मत कराने तथा सड़कों का उच्चीकरण कराने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छटी सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की, जनपद जालौन के ए0 डी0 ओ0 विद्युत, कालपी द्वारा तार टूटने से बुरी तरह जले आनन्द दीक्षित के बारे में शिकायत करने गये नागरिकों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की, जनपद आजमगढ़ के तहबरपुर ब्लाक के अन्तर्गत टोंस नदी पर बनहरा नियाउज घाट पर पुल निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की, बहराइच जिले के राजस्व विभाग में व्याप्त अराजकता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की, जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड रोहनिया में ग्राम परसीपुर से ग्राम अम्बेडकर गांव सरांय अख्तियार तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत निर्माणाधीन 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र पट्टी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। ग्यारहवीं सूचना श्री धर्मराज निषाद की, जनपद अम्बेडकर नगर में विसूही/महरूआ, मिझौड़ा, गोसाईगंज, नरायणपुर घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। बारहवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा कराई गई बी0 एड0 की प्रवेश परीक्षा में की गयी धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :--

1-श्री सुरेश कुमार खन्ना, 2-श्री शिव तपस्या पासवान, 3-श्री लल्लू सिंह 4-श्री प्रागी लाल अहिरवार, 5-श्रीमती राजरानी रावत, 6-श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, 7-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय,

8-श्री विनय शाक्य, 9-श्रीमती विद्या चौधरी, 10-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, 11-श्री राम करन आर्य, 12-डा0 विनोद तिवारी, 13-श्री राजेश कुमार, 14-श्री रमेश चन्द्र बिन्द, 15-श्री नवाब सिंह नागर, 16-श्री आर0 एस0 कुशवाहा, 17-श्री रामहेत भारती, 18-श्री राम इकबाल सिंह, 19-श्री कौशल किशोर, 20-श्री वसीम अहमद और 21-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा।

(मद संख्या-13 पुकारे जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी नहीं हैं।

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अर्धनिर्मित पानी की टंकी को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री मुंशी लाल गौतम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री मुंशीलाल गौतम, माननीय सदस्य, विधान सभा, शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत इस आशय की सूचना दी गई है.....

श्री अध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा माना जाए।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में पानी की टंकी का निर्माण पूरा न होने के कारण पेयजल की समस्या है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में तथ्य यह है कि विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर के नगर क्षेत्र शिकारपुर जनपद बुलन्दशहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है। इस भवन का निर्माण 15 वर्ष पूर्व हुआ था। तत्समय निर्माण एजेन्सी द्वारा पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया गया था। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में ट्यूबवेल चालू अवस्था में उपलब्ध है जिससे सीधे जलापूर्ति की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में परिसर में इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प भी लगे हैं।

इस प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में पेयजल की कोई समस्या वर्तमान में नहीं है।]

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, वहां पर पानी की टंकी का निर्माण कार्य चला, पर आधा होकर रुक गया। इसमें कहा गया है कि वहां पर पानी की व्यवस्था सुचारु रूप से है और टंकी के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर हैण्डपम्प लगे हुए हैं। मान्यवर, जो अधूरा कार्य हुआ है, उसको पूरा कराने के लिये कहा है इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं आई है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इसमें थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है। 15 साल पहले कुछ काम हुआ था और वहीं से काम खत्म हो गया। इसकी जरूरत नहीं समझी गई, आपने भी नहीं समझी। 15 साल में से साढ़े आठ साल आपने नहीं समझी, अगर समझते हैं तो लिखकर दीजिये, विचार किया जायेगा।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की भूमि को भू-माफियाओं द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री उदयभान करवरिया, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में.....

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि नगर निगम, इलाहाबाद द्वारा इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की भूमि को गलत तरीके से कुछ भू-माफियाओं के नामों पर चढ़ाये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन द्वारा दि0 10-02-2004 को दिये गये वक्तव्य में यह स्वीकार किया गया है कि गलत ढंग से अनियमितता करके जर्मान को प्राचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के स्थान पर अन्य लोगों के नाम दर्ज किया गया। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा की जा रही है, जबकि शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव ने अपने पत्र दि0 31-05-2003 को नगर आयुक्त, इलाहाबाद नगर निगम के नाम से निर्देशित किया था कि जिन लोगों ने हेराफेरी की, की विभागीय जांच कराकर कार्यवाही करें तथा प्राथमिकी भी दर्ज करायें। सदन में दिये गये उक्त वक्तव्य के फलस्वरूप शासन स्तर के सचिव के आदेश की अवहेलना की गयी तथा सदन की कार्यवाही में प्राप्त वक्तव्य के आश्वासन के उपरान्त भी आज तक न ही प्राचार्य होम्योपैथिक कालेज का नाम अभिलेखों में दर्ज किया गया और न ही हेराफेरी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन द्वारा 1/1 दरियाबाद भूखण्ड को प्रिन्सिपल होम्योपैथिक के नाम दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराये जाने के निर्देश नगर आयुक्त नगर निगम, इलाहाबाद को निर्गत कर दिये गये हैं।

3-उल्लेखनीय है कि 1/1 दरियाबाद भूखण्ड को प्रिन्सिपल होम्योपैथिक का नाम हटाकर श्रीमती जाकिया बेगम आदि के नाम दर्ज किये जाने के प्रकरण में नगर आयुक्त, इलाहाबाद द्वारा प्रेषित जांच आख्या में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है।]

श्री उदय भान करवरिया-

मान्यवर, इसमें मुझे यह कहना है कि इसमें जांचोपरान्त दिनांक 31 मई, 03 को शासन ने यह आदेश पारित किया कि श्रीमती जाकिया बेगम वगैरह का नाम हटाकर इसमें प्रधानाचार्य होम्योपैथिक कालेज कर लिया जाये और साथ ही इसमें दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही के

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

आदेश शासन से पारित हुए। लेकिन उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई और शासन ने वक्तव्य दिया कि जांच हुई है और इसमें दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिये गये हैं।]

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री उदयभान करवरिया-

मान्यवर, दिनांक 10-02-04 को वक्तव्य प्राप्त हुआ था और आज भी वक्तव्य प्राप्त हुआ है। 5-6 महीने बीत जाने के बाद भी कार्यवाही नहीं हुई है। आज के वक्तव्य में भी वही बात कही गयी है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश जारी कर दिये गये हैं और कालेज का नाम प्राचार्य होम्योपैथिक कालेज करने के आदेश दिये गये हैं। मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि चूंकि यह विभाग भी इन्हीं के पास है मैं यही चाहूंगा कि आप इसकी कोई तारीख निर्धारित कर दें कि उस तारीख तक दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जायेगा और कालेज का नाम प्राचार्य होम्योपैथिक कर दिया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, नगर आयुक्त को आदेशित कर दिया गया है वह जांच कर रहे हैं। जो भी रिपोर्ट आयेगी उसके तहत कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी पूरी बात हो गयी। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

जनपद बलिया स्थित इसारी सलेमपुर ग्राम में 33/11 के0 वी0 के विद्युत उप केन्द्र का निर्माण पूर्ण कराने के सम्बन्ध में श्री राम इकबाल सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र चिलकहर जनपद बलिया में 33/11 के0वी0.....

श्री जिआउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विद्युत उपकेन्द्र इसारी सलेमपुर का निर्माण वर्ष 2002-03 में स्वीकृत किया गया। इसके नियंत्रण कक्ष का निर्माण कार्य लगभग 50 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसकी लाइन के निर्माण हेतु 9 मीटर पी0 सी0 सी0 पोल प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 60 पोल खड़े हो गये हैं। इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

यार्ड में स्ट्रक्चर के अतिरिक्त अन्य सामग्री तथा 5 एम0 वी0 ए0 परिवर्तक, एम0 ओ0 सी0बी0/स्विचगियर आदि का प्रबन्ध किया जा रहा है।

उपकेन्द्र एवं लाइन के निर्माण की कुल लागत रुपये 96.11 लाख है इस कार्य हेतु रुपये 50.00 लाख पूर्वान्चल विकास निधि से प्राप्त हुआ है। अवशेष धनराशि रुपये 46.11 लाख उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वहन किया जायेगा पूर्वांचल विकास निधि से पूर्ण धनराशि समय से प्राप्त न होने के कारण कार्य को पूर्ण गति से नहीं किया जा सका, जिसे शीघ्र पूरा कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।]

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में आपकी अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगा कि वर्ष 2002-2003 से यह सब स्टेशन स्वीकृत किया गया। मान्यवर, इसमें काम रुक-रुक कर हो रहा है। इसमें 10 दिन काम करते हैं, फिर कहा जाता है कि अगली बार काम करेंगे। मान्यवर, इससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें लिखित आश्वासन भी है कि शीघ्र पूरा करा दिया जायेगा मैं उसे पुनः दोहरा देता हूं।

जनपद शाहजहांपुर के किसानों का गेहूं जेवां किसान सहकारी समिति द्वारा खरीद में घोटाला किये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथलेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत श्री मिथलेश कुमार, माननीय सदस्य.....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा द्वारा मुख्य रूप से वर्ष 2000-01 में जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पुवायां में उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ के अन्तर्गत जेवां किसान सहकारी समितियां द्वारा किसानों से खरीदे गये गेहूं का मूल्य रु0 38 लाख के घोटाले के बारे में शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है और किसानों को गेहूं के मूल्य के भुगतान नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उक्त सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि संदर्भित प्रकरण वर्ष 2000-2001 का नहीं है। अपितु यह प्रकरण वर्ष 2001-2002 से सम्बन्धित है। उत्तर प्रदेश शासन ने उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ को गेहूं क्रय एजेन्सी नामित किया था। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ ने शाहजहांपुर जनपद में किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जेवां से गेहूं क्रय के लिये अनुबंध करके उसे सब एजेन्ट नियुक्त किया था। गेहूं क्रय का जो सम्भार किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जेवां ने समय-समय पर उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ को उपलब्ध कराया उसको संघ ने खाद्य विभाग/भारतीय खाद्य निगम को डिलीवर करा दिया। संदर्भित वर्ष में किसान सेवा सहकारी समिति लि0 जेवां द्वारा कुल 40385-4975 कुन्तल गेहूं संघ को उपलब्ध कराया गया जिसका भुगतान संघ द्वारा समिति को करके खाद्य विभाग/भारतीय खाद्य निगम में डिलीवर कर दिया गया।

विवादित प्रकरण कुल 6292.80 कुन्तल गेहूं का है जिसका मूल्य रुपये 38,38,608/- बताया गया है। चूंकि उक्त गेहूं किसान सेवा सहकारी समिति जेवां ने संघ को उपलब्ध ही नहीं कराया। अतएव उक्त गेहूं के मूल्य को भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उल्लेखनीय है कि मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा नामित क्रय एजेन्सियों के माध्यम से गेहूं क्रय कराया जाता है। गेहूं क्रय करने के बाद क्रय गेहूं की उस मात्रा का भुगतान खाद्य विभाग करता है जिसकी डिलीवरी स्टेट पूल या केन्द्रीय पूल में हो जाती है। चूंकि उक्त विवादित गेहूं की मात्रा की डिलीवरी समिति अथवा क्रय एजेन्सी द्वारा स्टेट पूल या केन्द्रीय पूल में नहीं की गयी। अतः खाद्य विभाग द्वारा उसके भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।]

श्री मिथलेश कुमार-

मान्यवर, 2001-02 में गेहूं की खरीद हुई थी लेकिन उसमें किसानों का पेमेन्ट नहीं मिला। उत्तर में लिखा है कि 38,38,608/- रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। चूंकि उक्त गेहूं किसान सेवा सहकारी समिति जेवां ने संघ को उपलब्ध नहीं कराया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका पेमेन्ट करा दिया जाय क्योंकि इस समय सूखे की स्थिति है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह इससे हटकर है इस पर विचार कर लें। यह अलग से लिखकर दे दें हम विचार कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

आप इसमें लिखकर दे दें।

प्रदेश में जीवन रक्षक दवा "इन्सुलिन" को हर प्रकार से कर मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

जीवन रक्षक दवा 'इन्सुलिन' को हर प्रकार से कर से मुक्त करने के सम्बन्ध में सूचना में.....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री जयवीर सिंह-

[मा0 सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर यह अवगत कराना है कि जीवन शैली में आये त्वरित परिवर्तन के कारण मधुमेह रोगियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। मधुमेह रोग से शरीर के अन्य अंग भी कुप्रभावित होते हैं। इसके बचाव एवं कुप्रभाव के सम्बन्ध में जन-जागरण के माध्यम से आम-जनमानस को संदेश दिया जाना आवश्यक है।

2-मधुमेह रोग में 'इन्सुलिन' का प्रयोग होता है, जो एक जीवन रक्षक दवा है। इस औषधि को कर मुक्त किये जाने से इसका मूल्य घटेगा तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को भी लाभ प्राप्त होगा। इन्सुलिन को व्यापार कर से मुक्त करने की कार्यवाही संस्थागत वित्त विभाग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त किये जाने की कार्यवाही केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा किये जाने पर इस दवा को जन सुलभ बनाया जा सकता है।]

श्री श्याम देव राय चौधरी-

मान्यवर, इसके अन्तिम पैरा में यह लिखा है कि इन्सुलिन को व्यापार कर से मुक्त किये जाने की कार्यवाही संस्थागत वित्त विभाग तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से मुक्त किये जाने की कार्यवाही केन्द्र सरकार से सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा किये जाने पर इस दवा का जन सुलभ बनाया जा सकता है। तो मैं इस सम्बन्ध में यह पूछना चाहता हूं कि जो उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है उसमें इसकी उपयोगिता और जन सुलभता को स्वीकार किया गया। एक अवरोधन बतायी गयी है कि यह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है। तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, हम केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर संस्तुति भेज देंगे।

जनपद बस्ती, संतकबीर नगर एवं सिद्धार्थ नगर में चमरमंगता जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति में शामिल करने के सम्बन्ध में श्री राम करन आर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय सदस्य द्वारा यह अवगत कराते हुए कि बस्ती.....

एक सदस्य-

मान्यवर, यह पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[सन्त कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर जनपद में चमरमंगता जाति निवास करती है, यह जातियां घूमती-फिरती हैं और स्थायी निवास भी करती हैं। इस जाति का नाम न तो अनुसूचित जाति में है और न ही अनुसूचित जनजाति में हैं। परिणाम स्वरूप इनके बच्चों को छात्रवृत्ति व अन्य कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। इनको जाति प्रमाण-पत्र राजस्व अधिकारी/कर्मचारी नहीं देते हैं, जिससे इस जाति में निराशा व्याप्त है। मा0 विधायक द्वारा चमरमंगता जाति को अनसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण-पत्र दिलाये जाने और इस सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

2-मा0 अध्यक्ष विधान सभा द्वारा मा0 विधायक से प्राप्त सूचना को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत स्वीकार कर लिया गया है और इस विषय पर वक्तव्य के लिये दिनांक 02-08-04 की तिथि निर्धारित की गयी है।

3-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य द्वारा एक संयुक्त प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें चमरमंगता जाति को भोटिया जनजाति की उपजाति बताते हुए इसे भोटिया जनजाति के समान अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने तथा तद्नुसार सभी अनुमन्य लाभ दिये जाने का अनुरोध किया गया था। इस प्रत्यावेदन के क्रम में चमरमंगता जाति को उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0 प्र0 लखनऊ से सर्वेक्षण कराया गया। संस्थान द्वारा अपनी सर्वेक्षण आख्या उपलब्ध करा दी गयी है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भोटिया अनुसूचित जनजाति और चमरमंगता जाति में किसी प्रकार की साम्यता नहीं है, चमरमंगता जाति के लोगों में अनुसूचित जाति घोषित किये जाने के लिये निर्धारित मानकों अर्थात् आदिम प्रवृत्तियां, स्पष्ट भिन्न संस्तुति, भौगोलिक अलगाव, अन्य समुदायों से सम्पर्क में संकोच के चिन्ह नहीं मिलते हैं यह संस्कृति की गयी है कि चमरमंगता जाति को भोटिया अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सम्मिलित किये जाने योग्य नहीं पाया गया है।

4-जहां तक चमरमंगता जाति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का प्रमाण पत्र दिये जाने और इनके बच्चों को छात्रवृत्ति आदि की सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किये जाने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि चूंकि चमरमंगता जाति अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में सम्मिलित नहीं है इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किये जाने का औचित्य नहीं है। यह जाति विमुक्त जाति घोषित है अतः इन्हें विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र एवं विमुक्त जातियों को अनुमन्य लाभ जैसे इस जाति के बच्चों को पूर्वदशम् कक्षाओं में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति आदि की सुविधा दिये जाने के आदेश पहले ही प्रसारित किये जा चुके है।

5-जहां तक चमरमंगता जाति को प्रदेश में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि किसी भी जाति को अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने का अधिकार भारत सरकार में निहित है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम करन आर्य-

इसमें मेरा अनुरोध है माननीय मंत्री जी से कि विमुक्त जातियों का नाम छूट गया है वह जोड़ दिया जाय।

मद संख्या-20

(मद संख्या-20 पुकारे जाने पर माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे)

जनपद बलिया के श्री ओ0 पी0 सिंह, मैनेजर, सहारा इण्डिया की हत्या की जांच सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जियाउद्दीन रिजवी द्वारा निमय-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

माननीय सदस्य द्वारा नोटिस में सूचित किया गया है कि....

एक सदस्य-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खॉ-

[दिनाक 28-2-2003 को श्री ओ0 पी0 सिंह, मैनेजर सहारा इंडिया की हत्या की घटना में केवल शंका के आधार पर बलिया के निवासी श्री राज कुमार सिंह, विष्णु भगवान सिंह व सत्यदेव सिंह को मु0अ0सं0 495/03 थाना कोतवाली बलिया द्वारा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत जेल में बन्द कर दिया गया और घटना के सही मुल्जिम अब मेरट में पकड़े गये हैं। घटना की जांच सी0बी0 सी0आई0डी0 से कराये जाने की मांग करते हुए मा0 सदस्य द्वारा वक्तव्य की मांग की गयी है।

पुलिस अधीक्षक बलिया से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सुभाष यादव पुत्र श्री देवधारी यादव सा0 ब्रह्माईन, थाना सुखपुरा, बलिया द्वारा दिनांक 29-12-03 को थाना कोतवाली पर लिखित सूचना दी गयी कि वह श्री ओम प्रकाश सिंह, रीजनल मैनेजर, सहारा इंडिया, रीजनल कार्यालय का ड्राइवर है। दिनांक 28-12-2003 की रात्रि करीब 10.30 बजे श्री ओम प्रकाश सिंह, अख्तर खां, शाखा प्रबन्धक, सिकन्दरपुर को उनके बहादुरपुर आवास पर छोड़कर गया उस समय रीजनल मैनेजर साहब का नौकर कन्हैया भी आवास पर था। आज दिनांक 29-12-03 को करीब 10.00 बजे रीजनल मैनेजन के आवास पहुंचा, तो गेट पर ताला बन्द था। काफी आवाज लगाने पर अन्दर से कोई आवाज न आने पर रीजनल आफिस फोन किया जहां से प्रहलाद श्रीवास्तव, आर0एफ0ओ0, बलिया श्री कार्तीकेय भारती, सेक्टर मैनेजर श्री लौकुश श्रीवास्तव तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में अन्दर जाकर देखा गया तो कन्हैया, अख्तर साहब व ओम प्रकाश सिंह बिस्तर पर मरे पड़े थे। दरवाजे का ताला टूटा पड़ा था। कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और रीजनल मैनेजर के हाथ की दो अंगूठी,

---

नोट :- ! यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गले की चैन, घड़ी एवं मोबाइल गायब था। सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 495/03 धारा 302, 394 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात बदमाश न पंजीकृत होकर प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली बलिया द्वारा विवेचना की गयी।

विवेचना के दौरान विष्णु भगवान सिंह पुत्र पुरुषोतम सिंह सा0 डूहाबिहरा थाना सिकन्दरपुर, बलिया जो सहारा इंडिया में कार्यरत है, का स्थानान्तरण मृतक श्री ओ0 पी0 सिंह की आख्या के आधार पर पहले बक्सर में, पुनः बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ में हुआ था। बलिया में उनका स्थानान्तरण पुनः कराने से श्री ओ0 पी0 सिंह द्वारा इनकार करने फलस्वरूप विष्णु भगवान सिह द्वारा अपने भाई राज कुमार सिंह, चाचा सत्यदेव सिंह, महेश सिंह, टुनटुन पाण्डेय व अन्य के सहयोग से घटना घटित किया जाना पाया गया। अभियोग में उपरोक्त का नाम विवेचना से प्रकाश में लाया गया, जिनमें राज कुमार सिंह, विष्णु भगवान सिंह, सत्यदेव सिंह को दिनांक 11-2-04 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया जबकि अभियुक्त महेश सिंह ने दिनांक 28-2-04 को अन्य मुकदमें में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया जिसका दिनांक 5-3-04 को रिमाण्ड प्राप्त किया गया। अभियुक्त टुनटुन पाण्डेय के विरुद्ध दिनांक 4-5-04 को कुर्की की कार्यवाही सम्पन्न की गयी और उक्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना से अपराध प्रमाणित होने पर आरोप पत्र संख्या-83 दिनांक 4-5-2004 को प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन न्यायालय है।

विवेचक द्वारा 4-5-2004 को प्रेषित पर्चे में उल्लिखित किया गया है कि थाना टी0पी0 नगर मेरठ से ज्ञात हुआ कि दिनांक 11-4-2004 को थाना उपरोक्त पर शेरू उर्फ सुप्रिम पुत्र अब्दुल वहीद महराज उर्फ मांझी, परवेज उर्फ खड्डी उर्फ सपरेज पुत्र रज्जाक निवासी कस्बा सुमेरपुर जनपद हमीरपुर गिरफ्तारी के दौरान मुकदमा हाजा की घटना में शरीफ रहना स्वीकार करते हुये टुनटुन पाण्डेय, साकिन मिड्ढ़ा, थाना फेफना, बलिया द्वारा 50 हजार रुपये लेकर ले जाना बताया। इसके सम्बन्ध में साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित है। जनपद मेरठ में गिरफ्तार उक्त अभियुक्तों द्वारा टुनटुन पाण्डेय के बुलाने पर बलिया आने की बात बताई गयी है। अभियोग में सम्मिलित रहने के सम्बन्ध में छानबीन की जा रहीं है एवं साथ ही साथ अभियुक्त टुनटुन पाण्डेय की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक, सर्वजीत शाही एवं चौकी प्रभारी श्री आत्माराम यादव, उप निसीक्षक नागरिक पुलिस को दिनांक 30-12-2003 को निलम्बित किया गया था। जनपद मेरठ में गिरफ्तार उक्त अभियुक्तों के सम्बन्ध में अभियोग की विवेचना वर्तमान में उप निरीक्षक श्री भागवत सिंह, प्रभारी थाना कोतवाली बलिया द्वारा सम्पादित की जा रही है।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम मानिकपुर के निवासी स्व0 मनोज चौहान के हत्यारों को गिरफ्तार न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखदेव राजभर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य द्वारा नियम-51 में दी गई सूचना में ....

श्री अध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लें।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[प्रदेश के कानून व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट कर जनपद आजमगढ़ में थाना देवगांव के ग्राम मानिकपुर (कल्याणपुर) में दिनांक 23/24 जुलाई, 2004 की रात्रि में डकैतों के समूह द्वारा श्री शिवनाथ चौहान के घर पर लूटपाट कर उनके लड़के मनोज चौहान की गोली मारकर हत्या की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गयी है।

पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 22/23 जुलाई, 2004 की रात्रि में करीब 12.00 बजे 5-6 बदमाशों द्वारा श्री शिवनाथ चौहान के ट्यूबवेल पर हमला बोलकर उन्हें ट्यूबवेल में बन्द कर दिया और उसके बाद उसके घर में जाकर सीढ़ी लगाकर मकान की छत पर चढ़ गयें छत से घर के अन्दर जाने वाली सीढ़ी के दरवाजे को खटखटाने पर उसके पुत्र मनोज कुमार ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने पर बदमाश मनोज को धक्का देकर घर के अन्दर जाने लगे, मनोज के रोकने पर बदमाशों ने कट्टे से फायर कर दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर भाग गये व बदमाश घर के अन्दर रखे जेवर, कपड़ा आदि लूटकर चले गये। इस घटना के सम्बन्ध में थाना देवगांव में मु0अ0सं0 206/2004 अन्तर्गत धारा 396 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी एवं प्रथम सूचना में नामित अभियुक्त दिनेश चौहान पुत्र पारस चौहान की नामजदगी गलत पायी गयी।

उक्त घटना की जानकारी होते ही पुलिस उप महा निरीक्षक, आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना का अनावरण करने हेतु पुलिस टीम गठित की गयी है, सभी सम्बन्धित थानों पर दबिश देकर अभियुक्तों की तलाश करायी गयी और विवेचना से प्रकाश में आये 10 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तगण-महेन्द्र पुत्र नखडू, राजदेव पुत्र राम लखन, मोहन पुत्र नखडू, लालता पुत्र राजा, संतोष पुत्र सिरपत एवं दीना पुत्र दुख्खू बन्दी बनाये जा चुके हैं जो मुसहर जाति के हैं। बन्दी बनाये गये अभियुक्तों से प्रश्नगत घटना में लूटा गया जेवर, कपड़ा आदि कीमती सामान लगभग रु0 5,700 बरामद किया गया। शेष 4 अभियुक्तों की तलाश जारी है।

क्षेत्र में सघन पेट्रोलिंग कराई जा रही है, वहां किसी प्रकार दहशत का मौहाल नहीं है। जनपद पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही की स्थानीय जनता द्वारा प्रशंसा की जा रही है।]

(मद संख्या-23 के सूचनादाता सदस्य श्री दद्दू प्रसाद का नाम पुकारे जाने तथा उनके अनुपस्थित होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-24 लेते हैं।

जनपद अम्बेडकरनगर के लिये आवंटित विधायक निधि एवं पूर्वान्चल विकास निधि के धन को अवमुक्त कराये जाने कि सम्बन्ध में श्री धर्मराज निषाद आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खॉ)-

[माननीय सदस्यगण विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में यह बिन्दु उठाया गया है कि ....

नोट :- | | यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[जनपद अम्बेडकर नगर को दिनांक 16-07-2004 को सरकार द्वारा बहाल कर दिया गया है परन्तु विधायक निधि एवं पूर्वांचल विकास निधि जिला अंश के लिए धन का आवंटन फैजाबाद जनपद के नाम से किया गया है जिसके कारण उक्त निधियों के अन्तर्गत कोई स्वीकृति न तो फैजाबाद द्वारा न ही अम्बेडकर नगर जनपद द्वारा हो पा रही है जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 से सम्बन्धित विधायक निधि की धनराशि शासनादेश दिनांक 03-6-2004 द्वारा सम्बन्धित जनपदों के लिए स्वीकृत की गयी थी। उक्त तिथि तक जनपद अम्बेडकर नगर बहाल नहीं हुआ था। जनपद अम्बेडकर नगर के बहाल होने के उपरान्त शासनादेश दिनांक 29-7-2004 द्वारा जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा/विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बन्धित विधायक निधि की धनराशि जनपद अम्बेडकर नगर को उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को निर्गत कर दिये गये है।

जहां तक पूर्वांचल विकास निधि से सम्बन्धित धनराशि जनपद अम्बेडकर नगर को उपलब्ध कराये जाने का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में नियोजन विभाग के शासनादेश दिनांक 30-07-2004 द्वारा आयुक्त, फैजाबाद मण्डल एवं मुख्य विकास अधिकारी, फैजाबाद को जनपद अम्बेडकर नगर से सम्बन्धित अंश की धनराशि जनपद अम्बेडकर नगर को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।]

जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार में स्वीकृत 33 के0वी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती विद्या चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

निर्वाचन क्षेत्र मेहनगर जनपद आजमगढ़ के रासेपुर बाजार में नये 33 के0वी0 उपकेन्द्र के निर्माण.....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस उपकेन्द्र के लिए वर्ष 2001-2002 के अन्तर्गत रुपये 50.00 लाख पूर्वांचल विकास निधि के माध्यम से प्राप्त होने थे, उक्त धनराशि प्राप्त न होने के कारण अभी तक इस उपकेन्द्र का निर्माण नहीं किया जा सका है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से धनराशि प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। धनराशि उपलब्ध होने पर इस उपकेन्द्र का निर्माण करा दिया जायेगा।]

जनपद अम्बेडकर नगर के तहसील-टाण्डा में घाघरा नदी के कटान से हो रही क्षति को रोकने के सम्बन्ध में श्री लालजी वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य द्वारा विधान सभा में यह सूचना दी गयी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी के किनारे .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना जाता हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[स्थित तहसील टाण्डा के ग्राम फूलपुर, सहजौरा एवं राजघाट टाण्डा में कटाव के कारण जहां सैकड़ों घर गिर गये हैं वहीं ग्राम फूलपुर एवं अजमेरी बाटा शाहपुर के घाघरा नदी के किनारे स्थित समस्त आबादी को घाघरा में विलीन होने की सम्भावना उत्पन्न हो गयी है। शासन व प्रशासन द्वारा उक्त कटाव को रोकने का कोई उपाय नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण क्षेत्र की जनता में अत्यधिक भय एवं आक्रोश की स्थिति व्याप्त हो गयी है।

2-उक्त के सम्बन्ध में विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद अम्बेडकर नगर के टाण्डा तहसील में घाघरा नदी के किनारे फूलपुर, सहजौरा एवं राजघाट टाण्डा, अजमेरी बाटा शाहपुर आदि ग्राम स्थित है। इन ग्रामों में घाघरा नदी द्वारा कटाव का खतरा बना रहता है। प्रश्नगत राजघाट टाण्डा को घाघरा नदी की कटान से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कटाव निरोधक कार्य बने हुए हैं। ग्राम फूलपुर, सहजौरा एवं अजमेरी बाटा शाहपुर गांव की सुरक्षा हेतु कटाव निरोधक कार्य कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।]

जनपद-कौशाम्बी की मूरतगंज राजापुर राजमार्ग-95 की क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मो0 आजम खां)-

जनपद कौशाम्बी में मूरतगंज-राजापुर-मंझनपुर (राजमार्ग संख्या-94) जी0टी0 मार्ग संख्या-2 के कि0मी0 165 से बाई ओर .....

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[निकलकर यमुना नदी के किनारे महेवाघाट को जोड़ता है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 44.50 कि0मी0 है। मार्ग के अन्तिम छोर पर महेवा घाट (यमुना नदी) पर मोटी बालू की खदान है, जिसके कारण अत्यधिक भार की बालू की ट्रकों का मार्ग पर आवागमन है। अतः मार्ग के विभिन्न कि0मी0 में पैच एवं पाट होल्स होते रहते हैं, जिनकी मरम्मत सामान्य अनुरक्षण के मद से निरन्तर की

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा रही है। मार्ग के कि0मी0 1 से 40 तक गड्ढामुक्त है तथा यातायात हेतु उपलब्ध है। यातायात के घनत्व की अधिकता एवं अपर्याप्त क्रस्ट के कारण कि0मी0 39 से 45 तक का भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। उक्त मार्ग कि0मी0 39 से 45 (500 मी0) तक कुल 6.50 कि0मी0 की लम्बाई में ईंट की सोलिंग लगाने हेतु रु0 40.00 लाख की स्वीकृति एवं रु0 10.00 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ था, जिसके सापेक्ष कि0मी0 40 चैनेज 0.00 से 500 व कि0मी0 42 में ईंट की सोलिंग लगाने का कार्य किया जा चुका है। ईंट की सोलिंग की क्रस्ट यातायात के सापेक्ष अपर्याप्त होने के कारण अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष 2003-04 में कि0मी0 39 एवं 40 के लेपन स्तर तक निर्माण कार्य करने हेतु कार्य की स्वीकृति प्राप्त करते हुये कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। मार्ग के कि0मी0 41 से 44.50 के भाग में सामान्य अनुरक्षण के मद से क्षतिग्रस्त भाग को मरम्मत कराकर यातायात हेतु चालू है।]

जनपद-जालौन में निजी नलकूप की बोरिंग कराने वाले किसानों को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

कालपी विधान सभा क्षेत्र जनपद जालौन में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु वर्ष 2003-2004 में सामान्य योजना में .....

श्री अध्यक्ष-

इस वक्तव्य को पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खा-

[30 संयोजनों का लक्ष्य निर्धारित था। जिसके अन्तर्गत सभी 30 नलकूपों का ऊर्जीकरण कर दिया गया है। निजी नलकूपों की जमा योजना के अन्तर्गत कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इस योजना के अन्तर्गत निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा प्राक्कलन की धनराशि जमा करने के उपरान्त वरीयता के क्रम में संयोजन निर्गत किया जाता है।

वर्ष 2004-05 हेतु सामान्य योजना में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण लक्ष्यों के निर्धारण के उपरान्त सामान्य योजना के अन्तर्गत पंजीकृत आवेदकों के नलकूपों का ऊर्जीकरण वरीयता क्रम में कर दिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। कल दिनांक 03-08-2004 को 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 4 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 2 अगस्त, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पी0एस0यू0पी0-एल-238 विधान सभा (443) 3-1-2005-813 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।